Tuesday, 14 April, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक है / Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

614 (Ai) LS—1.

लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

---

१४ अप्रैल, १९६४। २५ चैत्र, १८८६(शक) का शुद्धि-पत्र

संख्या ३८०५, नीचे से ग्यारहवीं पंक्ति, '(ख) से (ग)' के
न पर '(ख) से (घ)' पढ़िये ।
संख्या ३८१६, ऊपर से उन्नीसवीं पंक्ति ,'(क) से (ख)' के
न पर ' (क) से (ग)' पढ़िये ।
ष्ठ संख्या ३८१८, अतारांकित प्रश्न संख्या २१०६, सदस्य का नाम
श्री पेनगोंडर' के स्थान पर 'श्री थनगोंडर ' पढ़िये ।
ष्ठ संख्या ३८२५, अतारांकित प्रश्न संख्या २१२४, सदस्य का नाम
श्री रा० ना० चतुर्वेदी ' के स्थान पर ' श्री शं०ना० चतुर्वेदी पढ़िये

विषय सूची

अंक ५०—मंगलवार, १४ अप्रैल, १९६४/२५ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

	विषय	पृष्ठ
***तारांकित प्रश्न संख्या**		
१०२८	सड़क दुर्घटनायें	३७८९–९१
१०२९	मुर्गी पालन	३७९१–९२
१०३४	ब्रह्मपुत्र में परिवहन	३७९२–९५
१०३५	गन्ने के मूल्य	३७९५–९९
१०३६	मैदा तथा रवा के मूल्य	३७९९–३८००
१०४०	डाकखानों में बैंकिंग का कार्य	३८०१–०२
१०४१	चीनी मिलों के प्रबन्ध का सरकार द्वारा लिया जाना	३८०२–०५
१०४२	कृषि औजारों के लिए इस्पात तथा लोहा	३८०५–०७
१०४३	कलकत्ता पत्तन	३८०७–०८
१०४४	विमान के तेल 'सिस्टम' में चीनी	३८०९–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

***तारांकित प्रश्न संख्या**		
१०३०	सहकारी प्रशासन	३८११
१०३१	सहकारी संस्थायें	३८११
१०३२	विमानों की उड़न योग्यता	३८१२
१०३३	ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क	३८१२–१३
१०३७	पी० एल०–४८० करार	३८१३
१०३८	एशियाई निकट तथा मध्य पूर्व रेलवे सम्मेलन	३८१३–१४
१०३९	गेहूं की किस्म	३८१४
१०४५	चीनी का उत्पादन	३८१४–१५
१०४६	दिल्ली परिवहन की बसों के किराये	३८१५–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१००	सुन्दरनगर में टेलीफोन एक्सचेंज	३८१६
२१०१	बागबानी का विकास	३८१६

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. *50—Tuesday, April* 14, 1964/*Chaitra* 25, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	Subject	PAGE
1028	Road Accidents	3789-91
1029	Poultry Farming	3791-92
1034	Transport in Brahmaputra	3792-95
1035	Sugarcane Prices	3795-99
1036	Prices of Maida and Rawa	3799-3800
1040	Banking Business in Post Offices	3801-02
1041	Taking over of Sugar Mills	3802-05
1042	Steel and Iron for Agricultural Implements	3805-07
1043	Calcutta Port	3807-08
1044	Sugar in Oil System of Aircraft	3809-10

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1030	Cooperative Administration	3811
1031	Co-operative Institutions	3811
1032	Airworthiness of Aircraft	3812
1033	Excise Duty on Tractors	3812-13
1037	P.L. 480 Agreement	3813
1038	Asian Near and Middle East Railways Conference	3813-14
1039	Quality of wheat	3814
1045	Production of Sugar	3815-15
1046	D.T.U. Bus Fares	3815-16

Unstarred Questions Nos.		
2100	Telephone Exchange at Sundernagar	3816
2101	Development of Horticulture	3816

---

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१०२	उड़ीसा के बाहर भेजा गया अनाज	३८१६
२१०३	उड़ीसा में रेलवे पुलों का निर्माण	३८१६–१७
२१०४	उड़ीसा को दिये गये उर्वरक	३८१७
२१०५	चीनी	३८१८
२१०६	रेलवे अस्पताल, पैराम्बूर	३८१८
२१०७	वारंगल स्टेशन	३८१९
२१०८	वारंगल में नीचे का पुल	३८१९
२१०९	भारतीय वन अनुसन्धान संस्था	३८१९
२११०	टेलीफोन बिल	३८२०
२१११	बरमाहन में राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	३८२०
२११२	इटारसी स्टेशन के पास ऊपरी पुल	३८२०–२१
२११३	महेन्द्रूघाट स्टेशन	३८२१
२११४	डाक और तार कर्मचारी संघ	३८२१
२११५	कृषि उत्पादन	३८२२
२११६	हावड़ा और खड़गपुर के बीच स्टेशनों का पुनर्निर्माण	३८२२
२११७	अन्तर्देशीय जल परिवहन	३८२२–२३
२११८	एयरवेज प्रणाली	३८२३–२४
२११९	फैज़ाबाद के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना	३८२४
२१२०	मुरादाबाद के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना	३८२४
२१२१	रेलवे कम्पार्टमेंट में शव	३८२४
२१२२	दक्षिण रेलवे का विद्युतीकरण	३८२५
२१२३	छपरा-जौनपुर गाड़ी का पटरी से उतरना	३८२५
२१२४	असिस्टेंट स्टेशन मास्टर	३८२५
२१२५	मालगाड़ी के डिब्बे से मूंगफली के तेल की चोरी	३८२५–२६
२१२६	कोयले की खानों पर वैगनों का भरा जाना	३८२६
२१२७	भारतीय जहाजों पर यात्रियों के लिए सूचनायें	३८२६–२७
२१२८	ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र	३८२७
२१२९	कलकत्ता से 'कैरेवेल' विमान सेवा	३८२७–२८
२१३०	गिर वन के शेर	३८२८
२१३१	रेलवे का 'ओपन लाइन स्टाफ'	३८२८
२१३२	दिल्ली-बीकानेर डिवीजन में भरती	३८२८–२९
२१३३	लखनऊ स्टेशन	३८२९
२१३४	रोपड़-नंगल बांध सैक्शन	३८३०
२१३५	पंजाब में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३८३०
२१३६	फरक्का में चलता फिरता अस्पताल	३८३०–३१
२१३७	डालीगंज स्टेशन	३८३१
२१३८	भारत-संयुक्त अरब गणराज्य हवाई करार	३८३१

Unstarred Questions Nos	Subject	PAGE
2102	Foodgrains sent out of Orissa	3816
2103	Construction of Railway Bridges in Orissa	3816-17
2104	Fertilizers supplied to Orissa	3817
2105	Sugar	3818
2106	Railway Hospital, Perambur	3818
2107	Warangal Station	3819
2108	Under-Bridge at Warangal	3819
2109	Indian Forest Research Institute	3819
2110	Telephone Bills	3820
2111	Bridge on National Highway at Burmahan	3820
2112	Overbridge Near Itarsi Station	3820-21
2113	Mahendru Ghat Station	3821
2114	P. and T. Workers' Unions	3821
2115	Agricultural Production	3822
2116	Re-modelling of Stations between Howrah and Kharagpur	3822
2117	Inland Water Transport	3822-23
2118	Airways System	3823-24
2119	Derailment of Train near Faizabad	3824
2120	Derailment of Goods Train near Moradabad	3824
2121	Dead Body in Railway Compartment	3824
2122	Electrification on Southern Railway	3825
2123	Derailment of Chupra-Jaunpur Train	3825
2124	Assistant Station Masters	3825
2125	Theft of groundnut oil from a Wagon	3825-26
2126	Loading of Wagons at Coal Mines	3826
2127	Instructions to Passengers in Indian Ships	3826-27
2128	Gliding Training Centres	3827
2129	Caravelle flights leaving Calcutta	3827-28
2130	Gir Lions	3828
2131	Open Line Staff on Railways	3828
2132	Recruitment in Delhi-Bikaner Division	3828-29
2133	Lucknow Station	3829
2134	Rupar-Nangal Dam Section	3830
2135	P. and T. Staff Quarters in Punjab	3830
2136	Mobile Dispensary at Farakka	3830-31
2137	Daliganj Station	3831
2138	India—U.A.R. Air Agreement	3831

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१३९	सिक्किम को चावल का सम्भरण	३८३१–३२
२१४०	धान निगम	३८३२
२१४१	चलती मालगाड़ियों में चोरियां	३८३२
२१४२	जालंधर के एक लैटर बक्स में कारतूस	३८३३
२१४३	दोहरी रेलवे लाइनें	३८३३
२१४४	काजीपेट स्टेशन को दोबारा बनाना	३८३३
२१४५	आयात किए गए माल के लिये परिवहन परमिट	३८३४
२१४६	निर्यात की वस्तुओं के लिये परिवहन परमिट	३८३४
२१४७	क्षेत्रीय रेलों के प्रतिवेदन	३८३४
२१४८	इटारसी तथा जबलपुर के बीच रेलवे लाइन	३८३५
२१४९	अजनी रेलवे यार्ड में विस्फोट	३८३५
२१५०	ज्वार के मूल्य	३८३५
२१५१	दूध इकट्ठा करने के केन्द्र	३८३६
२१५२	दुग्ध-चूर्ण	३८३६–३७
२१५३	बौदपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर	३८३७
२१५४	वनों की उत्पादन क्षमता	३८३८
२१५५	भारतीय वन सेवा	३८३९
२१५६	उड़ीसा में नलकूप	३८३९
२१५७	उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन	३८३९–४०
२१५८	चुर्क-चोपन-गढ़वा रोड लाइन	३८४०
२१५९	टिड्डी दल द्वारा क्षति	३८४१
२१६०	कलोल-मेहसाना लाइन पर दो श्रमिकों की मत्यु	३८४१
२१६१	मोटरगाड़ियां अधिनियम	३८४२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अनाज के व्यापारियों द्वारा दी गई कारबार बन्द करने की धमकी	३८४२
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	३८४२
श्री अ० म० थामस	३८४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८४३
प्राक्कलन समिति	३८४४
कार्यवाही सारांश	
सदस्य की रिहाई	३८४४
(श्री यु० द० सिंह)	

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
2139	Supply of Rice to Sikkim	3831-32
2140	Paddy Corporation	3832
2141	Thefts in Running Goods Trains	3832
2142	Cartridges in letter Box in Jullundur	3833
2143	Double Railway Lines	3833
2144	Remodelling of Kazipet Station	3833
2145	Transport Permits for Imported Goods	3834
2146	Transport Permits for Export Goods	3834
2147	Reports of Zonal Railways	3834
2148	Railway Track between Itarsi and Jabalpur	3835
2149	Explosion at Railway Yard at Ajni	3835
2150	Prices of Jowar	3835
2151	Milk Collection Centres	3836
2152	Milk Powder	3836–37
2153	Train Collision at Baudpur Station	3837
2154	Productive Capacity of Forests	3838
2155	Indian Forest Service	3839
2156	Tube Wells in Orissa	3839
2157	Co-operative Movement in Orissa	3849–40
2158	Churk-Chopan-Garwa Road Line	3840
2159	Damage Caused by Locusts	3841
2160	Death of Two Workers on Kalol-Mehsana Line	3841
2161	Motor Vehicles Act	8342

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Threatened closure of business by food-grain dealers	3842
Dr. L.M. Singhvi	3842
Shri A.M. Thomas	3842

Papers laid on the Table	3843
Estimates Committee	3844

Minutes

Release of Member (Shri Yuvraj Dutta Singh)	3844

विषय	पृष्ठ
नियम २९२ के अन्तर्गत प्रस्ताव—अस्वीकृत	३८४४–४६
(अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये नियत किये गये समय को बढ़ाना)	
अनुदानों की मांगें	३८४६–६९
गृह-कार्य मन्त्रालय	३८४६–६९
श्री सुमत प्रसाद	३८४६–४७
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	३८४७–४८
श्री दाजी	३८४८–५१
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	३८५१–५४
श्री अ० चं० गृह	३८५४–५६
श्री अब्दुल गनी गोनी	३८५६–५७
श्री बदरुद्दुजा	३८५७–५९
श्री राम सहाय पाण्डेय	३८५९
श्री मी० रु० मसानी	३८६०–६३
श्री शिव नारायण	३८६३
श्रीमती चन्द्रशेखर	३८६३–६६
श्री फ्रेंक एथम्नी	३८६६–६९

Subject	Page
Motion under Rule 292—Negatived	3844-46
(Extension of time for discussion on Demands for Grants)	
Demands for Grants	3846-69
Ministry of Home Affairs.	3846-69
Shri Sumat Prasad	3846-47
Shrimati Jyotsna Chanda	3847-48
Shri Daji	3848-51
Shri Surendranath Dwivedy	3851-54
Shri A. C. Guha	3854-56
Shri Abdul Ghani Goni	3856-57
Shri Badrudduja	3857-59
Shri R. S. Pandey	3859
Shri M. R. Masani	3860-63
Shri Sheo Narain	3863
Shrimati Chandrasekhar	3863-66
Shri Frank Anthony	3866-69

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, १४ अप्रैल, १९६४/२५ चैत्र, १८८६ (शक)

Tuesday, April 14, 1964/Chaitra 25, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सड़क दुर्घटनाएं

*१०२८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा शैल का सरकार की सहायता से सड़क दुर्घटनायें कम करने का एक कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्होंने इस प्रयोजन के लिये सरकार को कोई योजना भेजी है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

विवरण

मैसर्स बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने एक "सामुदायिक सेवा" के रूप में एक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया है । इस कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, उन्होंने भारत सरकार की स्वीकृति से अंग्रेज़ी में एक "सड़क सुरक्षा संहिता" नामक पुस्तिका प्रकाशित की है । यह पुस्तिका, जोकि मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की जा रही है, ड्राइविंग लाइसैंसधारियों को निःशुल्क दी जायेगी ।

२. इसके अलावा कम्पनी ने नई दिल्ली में बच्चों के लिए एक यातायात प्रशिक्षण पार्क बनाया है और उसे नई दिल्ली नगरपालिका को सौंप दिया है। ऐसा ही एक पार्क बम्बई में भी बनाया जा रहा है ।

३. फर्म ने सड़क सुरक्षा पर एक वृत्त चित्र भी तैयार किया है जोकि जनता को, और विशेष रूप से स्कूल के बच्चों को, दिखाई जायेगी ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से मुझे पता चला है कि एक यातायात प्रशिक्षण पार्क दिल्ली में बनाया गया है और एक दूसरा बम्बई में बनाया जा रहा है। क्या इन पार्कों के निर्माण के लिये भारत सरकार की ओर से सुझाव दिया गया था अथवा बर्मा शैल कम्पनी इन्हें स्वयं ही बनवा रही है ? यदि स्वयं बर्मा शैल कम्पनी ने इनका निर्माण नहीं किया है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्यक्रम में कलकत्ता को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत से प्रश्न एक साथ इकट्ठे कर दिये गये हैं और उन का उत्तर देना कदाचित कठिन होगा ।

श्री राज बहादुर : बर्मा शैल कम्पनी ने इस मामले में पहल की है, परन्तु उन्होंने सम्बन्धित सरकारों के निकट सम्पर्क में यह कार्य किया है; उन्होंने यह कार्य पहले दिल्ली में आरम्भ किया है और फिर वे इसे बम्बई में करेंगे। यथासमय, जबकि ये दोनों परियोजनायें सफल हो जायेंगी और उन के पास आवश्यक वित्त उपलब्ध होगा तो, वे निश्चय ही अन्य नगरों में इस कार्यक्रम को आरम्भ करेंगे । मेरी जानकारी में यह बात है ।

श्री सुबोध हंसदा : राजमार्गों पर होने वाली, विशेष रूप से, ग्रांड ट्रंक रोड और अहमदाबाद-बम्बई राजमार्ग पर, दुर्घटनाओं की संख्या देश में सब से अधिक है। क्या इन दो मार्गों पर इन सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिये अथवा उनकी संख्या को न्यूनतम करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री राज बहादुर : इस मामले की सर्वदा ही जांच की जाती है तथा इस का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग और सामूहिक रूप से बहुत से उपाय सोचे गये हैं। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम करने के हेतु उनको क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Achal Singh : Is the road safety programme launched by Burmah-Shell meant for public or for traffic or for traffic police ?

Shri Raj Bahadur : Details are given in the statement.

श्रीमती सावित्री निगम : क्योंकि बर्मा शैल द्वारा तैयार किया गया पार्क बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है अतः क्या सरकार को भी ऐसे पार्क बनाने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : सरकार के और बहुत से अधिक परिव्यय वाले कार्यक्रम हैं, उदाहरणार्थ, सड़कों को चौड़ा करना, तेज चलने वाले यातायात को मन्द गति वाले यातायात से पृथक करना, एकतरफ़ा यातायात की व्यवस्था करना आदि ।

श्री स० मो० बनर्जी : बर्मा शैल द्वारा आरम्भ किये गये इस कार्यक्रम के अतिरिक्त, सड़क दुर्घटनाओं को, विशेष रूप से कलकत्ता के निकट ग्रांड ट्रंक रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं को, होने से रोकने के लिये अथवा उनकी संख्या को न्यूनतम करने के लिये सरकार ने अपनी ओर से क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : यही बात तो मैं ने अभी बताई थी । हमने सड़कों को चौड़ा करना आदि जैसे कार्यक्रम आरम्भ किये हैं ।

Shri Yashpal Singh : Will Government learn some lesson from this road safety programme launched by Burmah Shell? Have Government posted some Government employees to instruct in ordinary traffic rules the people of those so many villages who are totally ignorant of any traffic rule?

Shri Raj Bahadur : Everybody has to learn lessons from road accidents; both Burmah Shell and Government have done it and people also should learn these lessons now since they are the users of roads.

Poultry Farming

1029. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether India received any grant or technical assistance from U.S. Agriculture Department for Studying poultry farming in 1962-63; and

(b) if so, the amount and nature thereof and how it was spent?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). From the portion of P.L.-480 Counterpart funds earmarked for the exclusive use of the American Government, the United States Department of Agriculture approved a grant of Rs. 5 lakhs to the Rajasthan College of Agriculture in April, 1962, for undertaking research in "Effectiveness of different methods of utilising available sources of germ plasm in improving the productive performance of Poultry".

The Scheme envisaged an expenditure of Rs. 65,000 on equipment, Rs. 2 lakhs on staff and Rs. 2·4 lakhs on other charges including principally poultry feed.

Shri Sarjoo Pandey : Besides Rajasthan College of Agriculture in what other parts of India, training is being imparted in poultry farming?

Dr. Ram Subhag Singh : Almost every State has got such colleges. At present there are 60 such colleges and among them training facilities in poultry farming are available in old ones.

Shri Sarjoo Pandey : In many parts of India poultry farming is looked down are upon and as such Government are propogating the benefits of poultry farming ?

Dr. Ram Subhag Singh : It has got many benefits since it provides a very nutritious article of food to people. I know that poultry farming is looked down upon by people in the area where from the hon. Member hails. Now if he himself eschews such feelings there would be more possibilities for its propogation in that area W.

Shri Onkar Lal Berwa : Have the entire requirements of the country been met by the existing Colleges of poultry farming and, if not, what action is being taken to further increase those facilities?

Mr. Speaker : This question is confined to American assistance for poultry farming.

Shri Onkar Lal Berwa : Are Central Government trying to open more Colleges like Rajastha n College of Agriculture to which assistance in poultry farming is being provided by the United States Department of Agriculture?

Mr. Speaker : He has already given this information.

Shri Onkar Lal Berwa : What assistance has been given by the Government of India for poultry farming, as has been given by the America?

Mr. Speaker : He has stated the action being taken by the Government of India.

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या हमारे मुर्गीपालन कार्यक्रमों का अन्तिम ध्येय हिन्दुओं की खाने-पीने की आदतों में मूल परिवर्तन करने का है जिससे कि वे शाकाहारी से मांसाहारी बन जायें ? यह एक आधारभूत प्रश्न है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में केवल यह ही हमारा उद्देश्य नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : यह उनमें से एक है ।

डा० राम सुभग सिंह : लोगों के लिये संतुलित और अधिक पौष्टिक खाद्य की व्यवस्था करने की दृष्टि से हम इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये कृषि कालेजों को अनुदान देने के स्थान पर, क्या सरकार का मुर्गी पालन का विकास करने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम है जिससे कि संबंधित व्यक्तियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर ४,००० से अधिक मुर्गियों वाले मुर्गी पालन केन्द्र स्थापित किये जा सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो हम कर रहे हैं । भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये प्रादेशिक केन्द्रों में ४,००० से अधिक मुर्गियां हैं । व्यक्ति विशेष भी मुर्गीपालन फार्मों के मालिक हैं । महाराष्ट्र में एक व्यक्ति द्वारा एक मुर्गीपालन फार्म हाल ही में स्थापित किया गया है जिसमें २०,००० से अधिक मुर्गियां हैं । इस प्रकार का व्यय हम प्रत्येक राज्य में करेंगे । श्रीमन्, आप को स्वयं अपने राज्य के बारे में पता है कि गुरुदासपुर में हमारे सामने समस्या यह है कि वहां हम मुर्गियों को किस प्रकार बेचें ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर कभी सही ।

ब्रह्मपुत्र में परिवहन

१०३४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, कचार और त्रिपुरा को तथा से माल का कितने प्रतिशत यातायात जल मार्गों

विशेषतया ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है ;

(ख) नौपरिवहन तथा बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सफाई और रेत निकालने की तकनीक के द्वारा इस नदी का कहां तक विनियमन तथा संधारण किया गया है ;

(ग) वर्तमान जलमार्गों के लिये किन नये जहाजों का डिज़ाइन बनाया गया है तथा विकास किया गया है ; और

(घ) अन्तर्देशीय जहाजों में कितने तेल का उपयोग किया जा रहा है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

विवरण

(क) जलमार्गों द्वारा, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, आसाम तथा कचार से बाहर भेजे जाने वाले तथा वहां पर आने वाले माल के कुल यातायात की मात्रा के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है । वह एकत्रित की जा रही है तथा तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी । अन्तर्देशीय जल परिवहन भाड़ा दर जांच समिति द्वारा १ जून, १९६१ में दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार, १ मई, १९५९ से लेकर ३० अप्रैल, १९६२ की अवधि के दौरान आसाम में नदी मार्ग द्वारा किया गया यातायात वहां के कुल यातायात का ३४ प्रतिशत से ५४ प्रतिशत तक था । तथापि, आसाम में और आसाम से वस्तुओं के लाने-ले जाने की अन्तर्देशीय जल परिवहन की क्षमता इस मार्ग पर लाई-ले जाई जाने वाली वस्तुओं की लगभग २० प्रतिशत है । त्रिपुरा को और त्रिपुरा से होने वाले कुल माल यातायात का लगभग २० प्रतिशत यातायात जलमार्गों द्वारा किया जाता है, परन्तु ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा नहीं ।

(ख) नौपरिवहन प्रयोजनों के लिये सफाई तकनीक द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी का विनियमन तथा संधारण किया जाता है । बाढ़ नियंत्रण के मामले में सफाई और रेत निकालने की तकनीक अभी तक नहीं अपनाये गये हैं । तथापि, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये अन्य उपाय किये जाते हैं ।

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन के कुछ चालकों ने कलकत्ता-आसाम मार्ग पर नये जहाज चलाये हैं अर्थात् कम डुबाव वाली डीजल कर्ष नाव, बजरे, पैडल चालित डीजल स्टीमर, नौभांड पटेले और स्व-चालित वाहक ।

(घ) कलकत्ता-आसाम मार्ग पर चलने वाले ८ प्रतिशत स्टीमरों में तेल का उपयोग किया जाता है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि ब्रिटिश स्वामित्व में चल रही आर० एस० एन० कम्पनी ने, जिसका कि उत्तर-पूर्वी भाग की ओर से होने वाले जूट और चाय के यातायात पर एकस्वाधिकार है और जो ५५ प्रतिशत यातायात की व्यवस्था करती है, सरकार को यह चेतावनी दी है कि यदि उसे बड़ी मात्रा में ऋण न दिया गया तो ३० अप्रैल १९६४ से वह अपने जहाज चलाना बन्द कर देगी ?

श्री राज बहादुर : उसने सरकार को अपनी अर्थ-व्यवस्था, विशेष रूप से जहाजों के संचालन के लिये तथा दायित्वों का भुगतान करने के लिये अपेक्षित धन, के सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयां

बताई हैं । अब तक हम अपनी सामर्थानुसार उनकी सहायता करते रहे हैं और उनकी इस प्रार्थना पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कुछ महीने पहिले हमें जो दुखद अनुभव हुए थे, जबकि ब्रिटिश मालिकों की इस कम्पनी के पाकिस्तानी कर्मचारियों ने उत्तर-पूर्वी भाग में समस्त यातायात को अस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया था, उनको दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक योजना बनाई है जिससे कि हमारे यातायात में गड़बड़ी करने के लिये ऐसी कोई विपत्ति खड़ी न हो पाये ?

श्री राज बहादुर : वैकल्पिक उपाय अधिकाधिक कम्पनियों को, विशेष रूप से भारतीय मालिकों की कम्पनियों को, इस क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने का है और हम उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इस विशेष मार्ग पर हमें अपनी नौपरिवहन कम्पनियों और उनकी सेवाओं को बनाये रखना है ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या डिब्रूगढ़ और नियामती घाट के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में से रेत निकालने के प्रस्ताव पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और क्या नियामती घाट और डिब्रूगढ़ के बीच स्टीमर चलाने भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक नदी में से रेत निकालने का सम्बन्ध है, हमने गंगा ब्रह्मपुत्र जल बोर्ड से एक ड्रैजर की व्यवस्था करने के लिये कहा है और हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक ड्रैजर आ जायेगा और तब यह कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ।

श्री बसुमतारी : चीनी आक्रमण के दौरा यह देखा गया था कि इस तथ्य के कारण कि वहां पर सारे चालकगण पाकिस्तानी थे ब्रह्मपुत्र नदी पर नौपरिवहन बन्द हो गया था । इसलिये, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज बहादुर : यह एक भिन्न प्रश्न है जो कि कदाचित श्रम सम्बन्धों के बारे में है । जब श्रम सम्बन्धी मामलों में राजनीतिक बातें आ जाती हैं तो परिवहन के अन्य साधनों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निर्णय करना कठिन हो जाता है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : हमारे गत अनुभव को देखते हुए, जिसमें कि बाढ़ों में लाखों रुपये के रेलवे स्लीपर पाकिस्तान में बह कर चले गये थे, क्या नौपरिवहन की लागत का हिसाब लगाते समय बाढ़ों में इस प्रकार खो जाने वाली सम्पत्ति का भी हिसाब लगाया जाता है ?

श्री राज बहादुर : बाढ़ में बह गई लकड़ी के बारे मे मैं ठीक-ठीक कुछ नहीं कह सकता ।

श्री रंगा : क्या तीन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में नौवहन के इस विशेष विकास के आर्थिक पहलुओं के सम्बन्ध में जांच करने का कोई प्रयत्न किया गया है और यदि हां, तो जो व्यक्ति यहां पर नावें और स्टीमर चलाते हैं उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने इसकी आर्थिक लाभकारिता अथवा हानिकारिता के बारे में अध्ययन किया है ?

श्री राज बहादुर : यदि इस जांच से माननीय सदस्य का मतलब यह है कि परिवहन के वैकल्पिक साधनों अर्थात, रेल, सड़क परिवहन की तुलना में नदी परिवहन पर अधिक व्यय होता है अथवा कम तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि अभी तक तो नदी परिवहन अन्य दो परिवहन साधनों की तुलना में कम खर्चीला सिद्ध हुआ है ।

श्री रंगा: केवल यही बात नहीं । वर्तमान सुविधाओं को कहां तक पर्याप्त कहा जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक जहाज़ी बेड़े का सम्बन्ध है वह लगभग पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त बेड़े के जहाज़ों के स्थान पर और अधिक अच्छे तथा अधिक सुचारू रूप से कार्य देने वाले जहाज़ आदि, जैसे कि डीज़ल इंजन वाले जहाज़, लाने का कार्यक्रम है जिसके लिये अपने कार्यक्रमानुसार वे जहाज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि इस ब्रिटिश कम्पनी ने हिन्दुस्तान के बाहर के एक कार्मिक संघ और उसके पाकिस्तान स्थित कर्मचारियों से बातचीत की थी, हालांकि उसका इस मामले से आसाम से पश्चिम बंगाल तक पारगमन मार्ग से सिवाय और कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री राज बहादुर : जी, नहीं । रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी की नावों को चलाने वाले बहुत से पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा वे उनसे पाकिस्तान में या अन्य स्थानों पर काम लेते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस मार्ग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जिस पर कि ३५ से ४० प्रतिशत तक यातायात चलता है, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या इस मार्ग पर सरकार सरकारी क्षेत्र में कुछ कम्पनियां खोलने की सोच रही है ?

श्री राज बहादुर : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Sugarcane Prices

†1035. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Inderjit Gupta :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether prices of sugarcane have been fixed for the next crop ; and

(b) if so, what ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). माननीय सदस्यों का ध्यान ४ मार्च, १९६४ को सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया था कि आगामी १९६४-६५ सीज़न में ९.४ प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि होने पर फ़ैक्ट्री द्वार पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य ४ रुपये ९६ नये पैसे प्रति क्विंटल होगा तथा ९.४ प्रतिशत की उपबन्ध से ०.१ प्रतिशत की प्रत्येक बढ़ोतरी पर ४ नये पैसे प्रति क्विंटल बढ़ाने की व्यवस्था है । अलग-अलग फैक्ट्रियों के भाव इस सीज़न की उपलब्धि मालूम होने पर सूचित कर दिये जायेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : After declaration of the Central Government regarding sugarcane prices, have some State Governments, particularly Uttar Pradesh Government, approached the Central Government for an increase in those prices, and if so, what has been the reaction of the Central Government thereto ?

श्री अ० म० थामस : समाचारपत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने १९६४-६५ की फसल के लिये गन्ने के न्यूनतम मूल्य को २ रुपया प्रति मन रखने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये गन्ने के इस मूल्य की पहले गन्ना नियंत्रण बोर्ड ने सिफारिश की थी। इस समय गन्ने का मूल्य न्यूनतम मूल्य पर है। गत वर्ष ९ प्रतिशत अथवा इससे कम की उपलब्धि पर गन्ने का मूल्य १ रुपया ७५ नये पैसे था और इस उपलब्धि में ०.०१ प्रतिशत की वृद्धि होने पर मूल्य में १.५ नये पैसे की वृद्धि करने की व्यवस्था थी। हम ने मूल्य बढ़ा दिया है। गत वर्ष के फारमूला के अनुसार रुपया ८१ नये पैसे प्रति मन की तुलना में अन्य न्यूनतम मूल्य १ रुपया ८५ नये पैसे होगा। पिछली फसल के लगभग अन्त में बिहार और उत्तर प्रदेश की सभी फैक्टरियों को विशष रियायत दी गई थी; अन्त में उन्हें इतनी रियायत दी गई थी जिससे कि वे २ रुपये प्रति मन न्यूनतम मूल्य दे सकें और ये रियायतें अन्य कुछ राज्यों में भी कुछ कारखानों को दी गई थीं।

Shri Prakash Vir Shastri : Inspite of their best efforts and implementation of various laws, Government have not been able to achieve the target of 33 lakhs tons of sugar production fixed for last year, as the prices fixed for sugarcane were not satisfactory. Keeping in view our aim of earning more foreign exchange by an increase in the production of sugar, will Government reconsider this policy so as to enable sugar factories to get adequate supplv of sugarcane to meet their entire requirements?

श्री अ० म० थामस : गुड़ और खांडसारी से प्रतिस्पर्द्धा कर सकने के लिये मूल्य में वृद्धि करने के सम्बन्ध में इस वर्ष अगस्त तक निर्णय लिया जायेगा, क्योंकि उस समय तक हम यह जान सकेंगे कि कितना गन्ना बोया गया है, कितना गन्ना उपलब्ध है, गुड़ और खांडसारी के मूल्य क्या हैं, आदि और यह सब कुछ जानने के पश्चात फिर इस मामले पर विचार किया जायेगा कि क्या कोई अग्रेतर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जैसा कि इस वर्ष दिया गया है। अब तो हम ने न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया है जो कि देश भर में लागू है।

Shri Kashi Ram Gupta : Have Government while deciding their policy and fixing these prices kept this fact in view that gur manufacturing is more profitable to cultivators? In these circumstances, how will Government be able to ensure a regular supply of sugarcane from cultivators to the sugar mills? In case it is not possible to ensure supply of cane to mills with this price structure, doesn't this policy need reconsideration?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि दानेदार चीनी के निर्माण के लिये गन्ने की उपलब्धि के मामले में गुड़ और खांडसारी निर्माण से प्रतिस्पर्द्धा चल रही है। जहां तक सम्भव हो सका है, हम ने उचित न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित किया है जो कि २ रुपये प्रति मन है। और अधिक मूल्य निर्धारित करना कदाचित सम्भव न हो सके क्योंकि उससे दानेदार चीनी के उपभोक्ता मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री काशीराम गुप्त : श्रीमन, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस निर्धारित मूल्य के कारण गुड़ के निर्माण का मूल्य इतना है कि उसका चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री अ० म० थामस : इस प्रतिस्पर्द्धा से गुड़ बनाने वालों को कोई हानि नहीं हो रही है। वास्तव में तो चीनी के निर्माणकर्ताओं को हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस समय भी बाज़ार

में गुड़ का मूल्य इतना ऊंचा है कि उसकी वजह से गुड़ बनाने वाला चीनी के कारखाने वालों से अधिक मूल्य दे सकता है ।

Shri Yashpal Singh : In the course of a discussion on sugar it was accepted by the Government that under recovery system cultivators are put to a loss and, therefore, when this recovery system is going to be discontinued ?

श्री अ० म० थामस : चीनी की उपलब्धि (रिकवरी) निर्धारित करने के लिये अनेक तरीके– जांच और प्रति जांच–– हैं । उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारियों, गन्ना उत्पादक संघ तथा श्रमिक संघों द्वारा भी जांच की जाती है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि उपलब्धि के मामले में गड़बड़ी की जाती है ।

श्री अ० प्र० जैन : यह सर्वविदित तथ्य है कि एक ही किस्म के गन्ने से चीनी के उत्पादन की मात्रा (रिकवरी) भिन्न-भिन्न मिलों में उनकी मशीनों, कार्यक्षमता और प्रबन्ध के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है । एक ही किस्म के गन्ने से विभिन्न मिलों में लगभग एक ही समान मात्रा में चीनी का उत्पादन (रिकवरी) हो इसके लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

श्री अ० म० थामस : कुछ हद तक यह बात सही है कि मशीनों की हालत और अन्य बातों के अनुसार यह होती है परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता और गन्ने के मूल्य का उसकी उपलब्धि (रिकवरी) के साथ सम्बन्ध जोड़ने की बात बड़ी अनुचित है । इस पद्धति से अच्छा कार्य हुआ है । किसान को जो पहिले पैसा मिलता था उससे कहीं अधिक अब उसे मिल रहा है । (**अन्तर्बाधा**) । उदाहरणार्थ, ९.४ प्रतिशत और उससे कम की उपलब्धि (रिकवरी) पर १ रुपया ८५ नये पैसे प्रति मन मूल्य गन्ने के लिये दिया जाता है और उपलब्धि में १ प्रतिशत की वृद्धि होने पर १·५ नये पैसे अधिक मूल्य दिये जाने की व्यवस्था है । इससे गन्ना उत्पादकों को लाभ होता है । मैं समझता हूं कि मूल्य का उपलब्धि (रिकवरी) के साथ सम्बन्ध रखने वाले फारमूला से अतिरिक्त अन्य किसी पद्धति से, गन्ना उत्पादकों को अधिक ऊंचे मूल्य नहीं मिल पाते । (**अन्तर्बाधा**)

श्री अ० प्र० जैन : पहले उन्हें बोनस दिया जा रहा था ।

श्री अ० म० थामस : इसे ग़ैर-कानूनी और अवांछनीय समझा गया था । प्रशुल्क आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि बोनस पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये । केवल इसी आधार पर यह पद्धति समाप्त की गई थी कि किसानों को अधिक लाभ पहुंचे ।

Shri Tulshidas Jadhav : By fixing those sugarcane prices it was expected that production of sugar will increase. May I know whether the production has actually increased or Government simply thinks so?

श्री अ० म० थामस : सरकार स्थिति का अध्ययन करेगी और यह देखेगी कि क्या निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये मूल्यों के मामले में और अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि, गन्ना उगाने वाले अन्य क्षेत्रों के लोगों की भी यही मांग है कि गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन निर्धारित हो । इसको देखते हुए, सरकार

इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी कि गन्ने का मूल्य समस्त देश में २ रुपया प्रति मन निर्धारित किया जाये ?

श्री अ० म० थामस : गन्ने के मूल्य समस्त देश में कभी भी एक समान नहीं रहे हैं । उनमें अन्तर रहा है । जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का सम्बन्ध है उनके मूल्यों का आधार अन्य राज्यों से, जैसे कि महाराष्ट्र, भिन्न है जहां कि उपलब्धि (रिकवरी) अधिक मात्रा में होती है . . . .

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : कृषकों का हित तो सभी स्थानों पर एक ही जैसा है ।

श्री अ० म० थामस : उत्तर प्रदेश मे कृषकों को विद्यमान पद्धति के आधार पर भी जितना मूल्य मिलता है उससे कहीं अधिक उन अन्य लोगों को मिलता है ।

Shri Gulshan : Has this grievance of the cane-growers come to the notice of the Government that, after supply of their sugarcane to the factory-owners, they have to approach the latter several times for getting payment of amount due to them, and if so, what efforts have been made to remove this difficulty?

श्री अ० म० थामस : इस मामले का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है । वास्तव में जब बहुत सा रुपया देना बाकी रहता है तो हम राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाते हैं । जहां तक हम जानते हैं गन्ने के मूल्य के लिये किसानों को अब इतना अधिक रुपया देना बाकी नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था ।

Shri Kachhavaiya : Has this fact come to the notice of Government that for receiving the amount from mill owners as price pf sugarcane supplied by them to the sugar mills the cane-growers have to pay commission at the rate of 1 anna per rupee and if so, will Government take some measures to remove this difficulty?

श्री अ० म० थामस : मैं नहीं समझता हूं कि हमको किसी ने यह रिपोर्ट की है कि गन्ना उत्पादकों को १ आना प्रति रुपया के हिसाब के कमीशन देना पड़ता है । हमारी जानकारी के अनुसार कुछ सप्ताह पहले स्थिति यह थी ८६ प्रतिशत गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया था और केवल १४ प्रतिशत भुगतान किये जाने के लिये शेष रहता था ।

श्री रंगा : क्या सरकार गन्ने से चीनी निकालने के मशीनी पहलू में इस उद्देश्य से कोई अनुसन्धान कर रही है कि कम से कम एक ही क्षेत्र में किसी एक ही महीने में गन्नों से समान मात्रा में चीनी निकाली जा सके जिससे कि किसानों को उनके गन्ने के मिठास की मात्रा के आधार पर गन्ने के पर्याप्त उचित और ईमानदारीपूर्ण मूल्य का भुगतान सुनिश्चित हो सके ?

श्री अ० म० थामस : हमारा अन्तिम उद्देश्य यही है, परन्तु इसमें कुछ बाधायें हैं । कुछ कारखानों ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत किसानों के क्षेत्र विशेष के अनुसार भुगतान किये जाते हैं । प्रत्येक गन्ना उत्पादक को उसके गन्ने में चीनी की मात्रा की उपलब्धि (रिकवरी) के अनुसार कीमत दिये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई अनुसन्धान किया है कि किसानों को गन्ने का जो मूल्य दिया जाता है वह उस क्षेत्र में उगाये जाने वाले अन्य पदार्थों को उगाने में लगने वाले समय और व्यय आदि को ध्यान में रखते हुए उनके मूल्य के बराबर होता है अथवा नहीं ?

श्री अ० म० थामस : इन सब बातों को भी ध्यान में रखा गया है और यदि हम अन्य प्रतियोगी फसलों के मूल्यों पर विचार करें तो यह सर्वविदित है कि निष्कर्ष यह निकलता है कि गन्ना उत्पादकों को अन्य फसलों के उत्पादकों से कहीं अधिक मूल्य मिलता है ।

श्री पु० र० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समस्त देश में बेचारे किसानों को गुड़ के लिये अधिक कीमत देनी पड़ती है और जो किसान गुड़ बनाते हैं उन्हें भी कम मूल्य मिलता है, क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निर्धन किसानों की सहायता करने की अपेक्षा मिल मालिकों की सहायता करने में अधिक रुचि है ?

श्री अ० म० थामस : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस प्रतिबन्ध की बात कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश जैसे चीनी का उत्पादन करने वाले राज्यों से गुजरात जैसे राज्यों को चीनी के निर्यात पर लगाया गया है ।

श्री पु० र० पटेल : मेरा कहना यह है कि मिल मालिकों को किसानों से अधिक लाभ होता है ।

श्री अ० म० थामस : इस समय भी किसानों को बहुत उचित मूल्य दिया जा रहा है । उन्हें एक मन गन्ने के लिये लगभग २ रुपये ७ आने से २ रुपये ८ आने तक मिलते हैं । **(अन्तर्बाधा)** ।

Shri Sheo Narain : Who will pay interest on the amount equivalent to 14 per cent of the prices of sugarcane retained by the mill owners for payment?

श्री अ० म० थामस : नहीं, नहीं, यह सही नहीं है । वास्तव में तो निर्माण की लागत १७ प्रतिशत अथवा उसके लगभग बैठती है ।

Prices of Maida and Rawa

*1036. **Shri Kachhayaiva :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there used to be a difference of one or one and a half rupees in the prices of Maida and Rawa during the past year, but this year the difference between the prices is Rs. 5; and

(b) if so, the reasons therefor?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस :) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Kachhavaiya : Arising out of the answer given by the Minister, what is the reason for such an abnormal rise in the prices?

श्री अ० म० थामस : मूल्य को १७ मार्च, १९६२ से नियंत्रित किया गया था । जब रवा का मूल्य ५८.९४ रु० प्रति क्विन्टल था (सकल भार) और मैदा का मूल्य ५३.५८ रु० प्रति क्विन्टल (सकल भार) था तब अन्तर ५.३६ रु० था । अब हमने १५ फरवरी को कुछ संशोधन किये हैं जिनके अन्तर्गत शुद्ध भार के आधार पर मूल्य निर्धारित किये गये हैं । अब रवा का मूल्य ५९.६२ रु० प्रति क्विन्टल है और मैदा का मूल्य ५४.१९ रु० है और अन्तर ५.४३ रु० है, परन्तु वास्तव में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि ये मूल्य शुद्ध भार के लिये हैं ।

Shri Kachhavaiya : How many mills engaged in the manufacture of Rawa and Maida have fixed different prices of these Commodities and what is the reason therefor ?

श्री अ० म० थामस : तकरीबन सभी कारखाने रवा और आटा बनाते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इन मिलों को मैदा और रवा के लिये गेहूं केन्द्र द्वारा दिया जाता है, और क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना दिलाई गई है कि मैदा और रवा में चोरबाजारी के कारण ये आटा मिलें अत्यधिक मुनाफा अर्जित कर रही हैं; य हां, तो मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अ० म० थामस: कारखाना द्वार मूल्य, जिस गेहूं को हम संभरण करते हैं उसके मूल्य के आधार पर, निर्धारित किये गये हैं । हम गेहूं लगभग १४ रु० मन की दर से देते हैं, और इसके आटे का मूल्य १६.५० रु० प्रति मन बनता है । वास्तव में हमने गेहूं से बनी वस्तुओं के मूल्य बहुत युक्ति-संगत निर्धारित किये हुए हैं । मेरे माननीय मित्र ने जिस प्रकार की शिकायतों का उल्लेख किया है, हमें उनकी सूचना नहीं मिली है । हां, चक्कियों द्वारा बेचे गये देशी आटे से बनाये गये गेहूं के उत्पादों का मूल्य आटा मिलों द्वारा बेचे गये गहूं के उत्पादों की तुलना में ऊंचे हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या मिलों को मैदा और रवा बनाने के लिये पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत आयात किया गया गेहूं संभरित किया जाता है अथवा इस प्रयोजन के लिये उन्हें देशी गेहूं भी दिया जाता है, और यदि उन्हें रवा और आटे के लिये देशी गेहूं भी दिया जाता है तो क्या मैदा और रवा दोनों के मूल्यों पर कोई सीमा रखी गई है अथवा केवल एक पर ही ?

श्री अ० म० थामस : रोलर मिलों को खुली मंडी से गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं है । वास्तव में उन्हें सरकार से ही, अर्थात् आयात किया हुआ गेहूं खरीदने दिया जाता है ।

श्री अ० प्र० जैन : यह एक सर्वविदित तरीका है कि कठिनाई के समय में आटा और अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है । अब क्या सरकार की मैदा और सूजी के उत्पादन को सीमित करने की कोई नीति है ?

श्री अ० म० थामस : उत्पादन की मात्रा निर्धारित करना राज्य सरकार का कार्य है और मेरा विचार है कि कुछ राज्यों ने ऐसा किया है ।

Shri Sheo Narain : Will the Government run those mills which are incurring losses on Co-operative lines.

श्री अ० म० थामस : यह एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Sarjoo Pandey : Generally the atta and rawa supplied particularly by cheap grain shops in the cities is of very inferior quality. May I know the measures that the Government propose to take to check it ?

श्री अ० म० थामस : यह सही नहीं है । हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । यदि किसी मामले की हमें सूचना दी जायेगी तो हम उसकी जांच करने के लिये तैयार हैं ।

डाकखानों में बैंकिंग का कार्य

+

*१०४०. { श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग ने बैंकिंग के कुछ काम अपने हाथ में ले लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) डाकखाना बचत बैंक को छोड़ कर जिससे कि १८८२ से चलाया जा रहा है डाक विभाग ने कोई अन्य बैंकिंग का काम अपने हाथ में नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कपूर सिंह : बैंकिंग संगठन को डाक सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिये क्या सरकार का विचार भारतीय डाक और तार अधिनियम में संशोधन करने का है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भगवती : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : क्यों नहीं ?

श्री भगवती : इस समय देश भर में डाकखानों में ४०,००० बचत बैंक हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । डाक और तार विभाग द्वारा अन्य बैंकिंग के काम कराने के लिये डाक और तार अधिनियम में संशोधन करने का विचार नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन, यह मेरा प्रश्न नहीं था । मेरा प्रश्न तो यह था : यदि डाक संगठन बैंकिंग का कार्य कर सकता है तो फिर बैंकिंग संगठन को डाक सेवा के काम को करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ? अब डाक सेवा का कार्य डाक विभाग को छोड़ कर कोई भी अन्य संगठन नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नीति सम्बन्धी बड़ा प्रश्न है ।

श्री रंगा : डाक बचत निक्षेपों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर में क्या कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

श्री भगवती : बचत बैंक के खाते पर ब्याज की दर को २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत से बढ़ा कर ३ प्रति शत कर दिया गया था । इसे और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Gulshan: Is it a fact that people have to visit the post offices again and again before they can collect the small Savings Scheme bonds which are purchased by them?

श्री भगवती: जब कोई विशेष शिकायत होगी तो हम उसकी जांच करेंगे । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई सामान्य शिकायत है ।

Shri Kashi Ram Gupta : Has it been brought to the notice of the Government that in a number of Post Offices in Rajasthan no entry is made in S.B. pass-books for as long a period as two years and is it also a fact that Government do not want to undertake more banking business because they are already not in a position to handle the existing volume of work?

श्री भगवती : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य बचत बैंक के खातों पर ब्याज की गणना का जिक्र कर रहे हैं। पहले यह पद्धति थी कि लेखा परीक्षा विभाग ब्याज की गणना किया करता था और ब्याज का विवरण मुख्यालयों को भेज दिया जाता था। अब उस प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है और अधिकांश मामलों में मुख्यालय ब्याज की गणना करते हैं। फिर इसे पास बुकों में लिखा जाता है। इससे यह कार्य शीघ्र हो जायेगा।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इन खातों में चैकों द्वारा पैसा निकालने की व्यवस्था चालू कर दी गई है ; यदि हां, तो सप्ताह में कितनी बार ?

श्री भगवती : बिना सूचना के १,००० रु० तक सप्ताह में दो बार। १,००० से अधिक रु० खातेदार द्वारा डाकखाना बचत बैंक को ७ दिन की पूर्व सूचना देकर निकाला जा सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम: क्या माननीय मंत्री को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसा निकलवाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि कभी कभी हस्ताक्षर नहीं मिलते ? प्रधानों, सरपंचों आदि की सहायता से उनके हस्ताक्षर मिलाने के लिये ग्रामीण डाकखानों को हिदायतें देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री भगवती : कुछ दिन हुए एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने सभा को बताया था कि अब पंचायतों के सरपंच भी खातेदारों के हस्ताक्षरों की तसदीक कर सकते हैं।

श्री पु० र० पटेल : आज डाकखानों में बचत बैंक खाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डाकखानों में चालू खाते रखने में क्या कोई कठिनाई है। यदि कोई कठिनाई है तो वे क्या हैं ?

श्री भगवती : फिर तो बैंकों की सभी बातें लागू करना आवश्यक होगा। डाकखानों के बचत बैंक खातेदारों को अधिक सुविधायें देने के लिये अब हमने नियम उदार बना दिये हैं। मैं नहीं समझता कि इस समय हम इससे अधिक किसी चीज़ पर विचार कर सकते हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : When the people go to post offices to withdraw the money from S.B. accounts, the post office gives only as much money as available with it. Due to this, many people have to go back without takig the money. They have to call at post Offices again and again. Sometimes they have to wait for 2-3 days. Is Government, aware of it and has any step been taken to deal with this situation?.

श्री भगवती : मैं नहीं समझता कि स्थिति इतनी खराब है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रुपया पर्याप्त न हो ; परन्तु हम उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं।

Taking over of Sugar Mills.

***1041. Shri Kachhavaiya :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to take over the sugar mills that are running at a loss.

(*b*) if so, the total number of mills which are running in loss at present and the locations thereof ; and

(*c*) when Government propose to take them over?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Kachhavaiya : May I know the main reason why the mills are running at a loss?

श्री अ० म० थामस : जैसा कि इस सभा में पहले बताया जा चुका है, इस मामले के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अलाभप्रद यूनिटों की समस्या की जांच करने के लिये जून, १९६३ में एक समिति नियुक्त की थी । हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् हम आवश्यक कदम उठायेंगे ।

Shri Kachhavaiya : May I know the time by which we would receive the report of the Committee and what is the number of sugar mills in our country?

श्री अ० म० थामस : समिति ने मुख्य गन्ना उत्पादन क्षेत्रों का पहले से ही दौरा कर लिया है । उसे कुछ और राज्यों का भी दौरा करना है । मेरा विचार है कि समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देगी ।

स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ अलाभप्रद यूनिटों को अपने हाथ में लेने के लिये हिदायतें जारी की हैं और यदि नहीं तो उन अलाभप्रद यूनिटों को क्या तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता दी जायेगी जिनसे कि वे अच्छी तरह चल सकें ।

श्री अ० म० थामस : हम कुछ कुप्रबन्धित कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले रहे हैं । गत वर्ष तीन कारखानों के प्रबन्ध को हमने अपने हाथ में लिया जिनके नाम ये हैं : एम० के० शूगर मिल्स, रमकोला ; दूसरा कारखाना भटनी में है और तीसरा समस्तीपुर कारखाना है । वे कुप्रबन्धित कारखाने थे । उनका प्रबन्ध हमारे हाथ में आने के पश्चात् उनकी दशा में काफी सुधार हुआ है ।

Shri Vishram Prasad : May I know whether these uneconomic mills are uneconomic because of bad machinery or there is some other reason for their being uneconomic?

श्री अ० म० थामस : मुख्यतः मशीनरी बहुत पुरानी है और इसी कारण उन्हें हानि उठानी पड़ती है । वहां कुप्रबन्ध भी है । इन तीनों बातों के कारण इनमें से कुछ ही कारखाने घाटे में चलते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने श्री जैन अथवा अन्य व्यक्तियों के इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि चीनी मिलों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले अथवा उनका राष्ट्रीयकरण कर दे । क्या सरकार को यह सुझाव लाभप्रद और व्यवहार्य लगा है?

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीयकरण तो सर्वथा भिन्न चीज है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा निवेदन यह है कि यह सुझाव श्री जैन द्वारा दिया गया था और इसका एक कारण यह था कि चीनी उद्योग पूर्ण रूप से अलाभप्रद है और इसका राष्ट्रीयकरण करना सामान्य रूप से देश के हित की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उन्हें रहने दीजिये कि वे प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लेना चाहते ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : हानि के प्रश्न के संबन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि हानि धन की होती है अथवा उत्पादन की ।

श्री अ० म० थामस : हानि दोनों प्रकार की हो सकती है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या इस समिति के निर्देश पदों में से एक यह भी है कि यह अलाभप्रद यूनिटों को काश्तकारों की सहकारी समितियों में बदलने के प्रश्न की जांच करेगी ?

श्री अ० म० थामस : हम ने समिति से चीनी उद्योग में अलाभप्रद यूनिटों की स्थिति और समस्या की जांच करने के लिये कहा था । समिति को ऐसे उपायों का सुझाव देना है जिससे कि अलाभप्रद यूनिटों को लाभप्रद बनाया जा सके, जैसे कि वर्तमान यूनिटों में विस्तार करना, संयंत्रों का बदलना और आधुनिकीकरण करना तथा इसके परिणाम स्वरूप फालतू मज़दूरों की समस्या का समाधान करना। समिति इन्हें सहकारी समितियों में बदलने की संभावना पर भी प्रतिवेदन दे सकती है ।

श्री प्र० कु० घोष : जिन अलाभप्रद यूनिटों का प्रबन्ध सरकार ने पहले से ही अपने हाथ में ले लिया है क्या वे सुचारू रूप से चल रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैं पहले ही बात चुका हूं, ये कुप्रबन्धित कारखाने, जिनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है, बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं और इन-में से कुछ कारखानों ने लाभ दिखाया है ।

Shri Bade : Are Government going to take over those mills which are running at a loss as is evident from their balance sheets or some test is going to be conducted ?

श्री अ० म० थामस : मैं नहीं कह सकता कि कितने कारखाने घाटे में चल रहे हैं । सरकार सभी कारखानों के प्रबन्ध को जो घाटे में चल रहे हैं अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है । सरकार ने इन कुप्रबन्धित कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया है । हमें उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत भी कार्यवाही करनी है जिसमें कुछ प्रक्रिया भी निर्धारित की हुई है । हम ने इन में से कुछ कारखानों के प्रबन्ध को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है क्योंकि शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक था।

Shri Tulsidas Jadhav : The Government gave aid to the extent of Rs. 5,6 crores to the mills which were not getting sugarcane. I want to know whether these very mills have sustained losses ?

श्री अ० म० थामस : गन्ना उपलब्ध न होने के कारण भी कुछ कारखानों को हानि हो रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ अलाभप्रद यूनिटों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये कुछ हिदायतें जारी की गई हैं और यदि नहीं तो क्या सरकार उन कारखानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देगी जिससे कि वे भली भाँति चल सकें ?

श्री अ० म० थामस : हम सामान्यतः राज्य सरकारों की सिफारिशों पर इन कुप्रबन्धित कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेते हैं। हम केवल उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही करते हैं। हम इस मामले में स्वच्छन्दतः कार्यवाही नहीं करते।

कृषि औजारों के लिए इस्पात तथा लोहा

\+

*१०४२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कृषि औजारों के लिए इस्पात तथा लोहे की अपनी तीन वर्ष की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए कहा गया है ;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो कुल आवश्यकतायें कितनी हैं ; और

(घ) क्या राज्यों ने इन औजारों को बनाने के लिए सहकारी निर्माण एकक स्थापित कर दिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासों से सूचना पूछी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री सुबोध हंसदा : क्या लोहा और इस्पात राज्यों को राज्य-सहायता प्राप्त दरों पर दिये जायेंगे अथवा लोहा-इस्पात नियत्रक द्वारा निर्धारित दरों पर ?

डा० राम सुभग सिंह : अब समतल माल के भिन्न इस्पात और लोहा मिलने में अधिक कठिनाई नहीं है। जो वस्तुएं समतल माल की श्रेणी में नहीं आतीं लोहे की वस्तुएं अब मिल सकती है। इस समय केवल चादरों पर नियंत्रक है।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी। क्या इसका कारण यह है कि कृषि औजार निर्माता और गैर सरकारी सार्थ इस एकाधिकार को बनाये रखना चाहते हैं और वे यह सूचना नहीं देते ?

डा० राम सुभग सिंह : जब मैंने यह कहा है कि सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी, मेरा यह अर्थ नहीं है कि सभी राज्य सरकारों ने सूचना नहीं भेजी, क्योंकि हमारे पास ११ राज्य सरकारों की सूचना आ चुकी है और उनको आगामी तीन वर्षों के लिये २१८०३१ मीट्रिक टन की आवश्यकता है, और हमें शीघ्र ही अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त हो जाने की आशा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या लोहा और इस्पात की आवश्यकता देशी साधनों से पूरी की जायेगी और यदि नहीं, तो विदेशों से किस विशेष प्रकार का इस्पात हमें मंगवाना पड़ेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : आवश्यकता अधिकतर देशी साधनों से पूरी की जायेगी किन्तु कुछ नई किस्मों का इस्पात हमें विदेश से मंगवाना पड़ेगा और आयात करना होगा।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार के पास उपयोग के नवीनतम आंकड़े क्या हैं। क्या सरकार यह बता सकेगी कि इस समय मोटे तौर पर कितने प्रतिशत मांग पूरी की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में, तीन वर्षों के लिये, ११ प्रमुख राज्यों द्वारा बताई गई आवश्यकता २१८०३१ मीट्रिक टन है; यह सभी राज्यों की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ३ लाख मीट्रिक टन के लगभग हो सकती है। परन्तु वर्तमान आवश्यकता मानक नहीं है, क्योंकि कृषि औजारों की मांग प्रतिदिन बढ़ती रहती है, अतः आज जितनी आवश्यकता बताई गई है, हम उससे अधिक इस्पात का प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार के पास मैसूर सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से कोई शिकायत आई है कि जब कि सहकारी संस्थाओं ने पिछले दो या तीन वर्षों में जस्ते की चादरें प्राप्त करने के लिये लाखों रुपये जमा कर दिये हैं, उनको अभी तक जस्ते की चादरें नहीं दी गईं ?

डा० राम सुभग सिंह : जी० पी० चादरों, बी० पी० चादरों और जी० सी० चादरों के बारे में, कुछ कठिनाई हुई है। संकटकाल की घोषणा के उपरान्त, इन तीनों किस्मों की चादरें देने में कुछ कठिनाई हुई, और प्रायः इनका संभरण असंभव हो गया। किन्तु गत वर्ष हम ने 'पैकेज कार्यक्रम' या सघन कृषि जिला कार्यक्रम को जी० सी० चादरें भी दीं : जहां तक सहकारी संस्थाओं को चादरें देने का सम्बन्ध है, कोई कठिनाई नहीं हुई और हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। अब हम ने यह मामला लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के पास उठाया है और यह प्रयत्न होगा कि इनका भी संभरण किया जाये।

Shri Vishram Prasad : I want to know that the Director of Industries in Uttar Pradesh has distributed lakhs of rupees in blocks for manufacture of agricultural implements or persian wheel, but for want of availability of raw material the money is being utilised for other purposes. What action is being taken by the Government in this regard ?

Dr. Ram Subhag Singh : We have some knowledge about it, and we are trying to check that money given for a particular purpose should be spent for that very purpose.

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या कुछ राज्य सरकारों ने लोहा और इस्पात के अन्तर्गत कृषि कार्यों के लिये दिये गये अपने नियतनों को कुछ अन्य कामों में लगा दिया है ? यदि हां, तो किन किन राज्यों ने ऐसा किया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि कोई विशिष्ट शिकायत की जाये, तो मैं संबंधित राज्य सरकार से जांच पड़ताल करूंगा ।

श्री दे० जो० नायक : इन कृषि औजारों के लिये कितने प्रतिशत आयातित इस्पात की जरूरत है और कितनी विदेशी मुद्रा इसके लिये चाहिये ?

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रतिशतता का अनुमान नहीं लगाया गया। किन्तु सभी ट्रैक्टर और अन्य बढ़िया औजारों में प्रायः आयात किये गये पुर्जे होते हैं ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि असम राज्य में कृषि औजार का निर्माण इस्पात और लोहे का कम सम्भरण होने के कारण कम हो गया है ?

डा० राम सुभग सिं : जैसा कि मैं ने बताया, कठिनाइयों के बावजूद, हम ने आई० ए० डी० की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताएं गत वर्ष पूरी कीं । असम राज्य ने आगामी तीन वर्षों के लिये केवल ६० टन आवश्यकता दर्शायी है। हम असम सरकार से पूछेंगे कि क्या वे इस कार्य के लिये अधिक इस्पात को प्रयोग में ला सकते हैं ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि केवल इसी कारण अनुमान लगाने की जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश में हल, गाड़ी आदि देशी चीजों के लिये लोहा उपलब्ध नहीं है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस समय हलों, गाड़ियों और फलकों के लिये लोहा उपलब्ध है । यदि कहीं कोई कठिनाई है, तो हम उसको लोहा देंगे ।

कलकत्ता पत्तन

*१०४३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी के बहाव सम्बन्धी अनिश्चितता के कारण उत्पन्न कलकत्ता पत्तन की नौपरिवहन सम्बन्धी तथा अन्य कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या नदी की जल विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है;

(ग) नदी के तल से रेत निकालने का काम किस प्रकार किया जा रहा है; और

(घ) क्या पूरे वर्ष हुगली में शीर्ष जल (हैड वाटर) का विनियमित संभरण करने की व्यवस्था कर दी गई है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७१०/६४]**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह बात मानते हुए कि हुगली में मुख्य समस्या जलपोतों के लिये पर्याप्त गहराई कायम रखना है, क्या सरकार ने फरक्का बांध के निर्माण को सर्वाग्रता दी है ताकि वर्ष भर हुगली को पर्याप्त जल का सम्भरण होता रहे ?

श्री राज बहादुर : हम इसको उचित अग्रता दे रहे हैं। यह सभा को मालूम है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना ने क्या विशिष्ट सुझाव दिये हैं और उनको किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

श्री राज बहादुर : कतिपय नियंत्रण कार्यों के रूप में कुछ सलाह दी गई है, और दो मामलों में, जिनका उल्लेख विवरण में किया गया है, इसे क्रियान्वित किया जा चुका है, अर्थात् अकरा स्पर और फुल्टा पुआइंट योजना।

श्री स० चं० सामन्त : हुगली नियंत्रण के लिये फुल्टा पुआइंट पर २ करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके नौवहन सम्बन्धी कठिनाइयां किस सीमा तक कम की गई हैं ?

श्री राज बहादुर : फुल्टा पुआइंट योजना का उद्देश्य अनिवार्यतः तीन स्थानों पर अर्थात् फुल्टा, नूरपुर निहांन और पूर्वी घाट बारों पर पर्याप्त गहराई की व्यवस्था करना है। इन स्थानों पर काफी अच्छा सुधार होने की सूचना मिली है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या हुगली में वर्तमान खुदाई दस्ता पर्याप्त समझा जाता है, क्या सभी की गई कार्रवाइयों के लिये बेड़े का काम संतोषजनक है ? स्थिति क्या है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि विवरण से पता चलता है, हमारे पास बड़े आकार के सक्शन ड्रेजर हैं, एक ड्रेजिंग बेड़ा है, जिसमें चार बड़े वकट वाले ड्रेजर, दो छोटे सक्शन ड्रेजर और होपर बारज हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी तक पत्तन अधिकारी विभिन्न बारों में समय समय पर होने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने कुल मिलाकर अच्छा काम किया है। स्पुआइल के लिये उचित कार्रवाई की गई है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : एक विशिष्ट स्थान तक जल की गहराई बनाये रखने के निमित्त, कितने और क्षेत्र अथवा और कितने मील तक नदी को नौवहन योग्य बनाना होगा, जिससे भारी जहाज़ उसमें आ सकें ? क्या यह योजना का अंग है ?

श्री राज बहादुर : पत्तन तथा हुगली से नहर की कुल लम्बाई १२६ मील है। इसको नौवहन योग्य रखा जाता है। ड्रेजिंग बेड़े का यही मुख्य काम है और अन्य सभी कार्रवाइयां भी की जाती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : हाल्दिया पत्तन के सम्बन्ध में और क्या प्रगति की गई है तथा इसके कब पूर्ण होने की संभावना है ? यह समूची नदी के विकास के बारे में है। इस पर कलकत्ता पत्तन निर्भर है। हाल्दिया का इससे निकट का सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्दर नहीं आता। अगला प्रश्न।

Sugar in Oil System of Aircraft

+

*1044. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri U. M. Trivedi :
Shri Kachhavaiya :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Yashpal Singh :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently sugar was found in the oil system of the engine of a civil aviation plane at Amritsar:

(b) whether its cause has been investigated; and

(c) if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) to (c). Sugar was found in the oil system of the engine of a Pushpak aircraft registered in the name of Government of Punjab and operated by Amritsar Aviation Club at Amritsar on 20th February, 1964. The case is at present being investigated by the police authorities.

Shri Prakash Vir Shastri : Have certain employees been suspended in this connection?

Shri Mohiuddin : At present the matter is under investigation by the police. Action will be taken according to their findings.

Shri Bade : Pending the findings of police investigations, has any person been suspended by Government?

Shri Mohiuddin : The responsibility could be fixed only after the police investigations have been completed.

Shri Prakash Vir Shastri : There have been similar accidents met by aeroplanes in Jammu & Kashmir area. This is also an adjoining area. Are Government tryine to ascertain as to whether any foreign power is working behind all these incidents?

Shri Mohiuddin : I think hon. Member's assumption in this regard is not correct. On the basis of the information so far available with me, I would like to remove the misunderstanding. It was the mischief of a mechanic who wanted to entangle an Engineer. Any foreign power is not involved in this matter.

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order. Just now the Minister said that as the matter was under investigation by police no employee could be suspended now he says it was a mischief played by a mechanic. The two replies are contradictory. I want to know why, in such circumstances, the mechanic was not suspended?

Shri Mohiuddin : That is why I said that I did not want to disclose the information; but when the hon. Member raised another matter regarding any foreign power having a hand in it, then with a view to remove his misunderstanding, I referred to the report received by me.

Mr. Speaker : He said that the police investigations were in progress and it was, therefore, not known, as to who would be ultimately found responsible for that. How can he remove the misunderstanding in such a situation?

Shri Mohiuddin : I said that a person, who was suspected to have committed that mischief, was a mechanic there and the police were investigating into that matter. When their report is received, action would be taken accordingly.

Mr. Speaker : In that case the question put by the hon. Member as to why the person suspected to have committed the mischief was not suspended, appears to be relevant.

Shri Mohiuddin : The report from the police has not been received so far. Whatever information I had was given simply to dispel the misunderstanding of the hon. Member.

Shri Onkar Lal Berwa : Did the mechanic belong to Hindu or Muslim Community?

Mr. Speaker : This question need not be replied.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह बताया गया है कि कुछ रिपोर्टें आई हैं और उनके आधार पर यह संदेह किया जाता है कि उस हवाई अड्डे के किसी कर्मचारी ने शरारत की है। यदि कोई रिपोर्ट आई है तो क्या मंत्री के लिये यह कहना ठीक है कि चूंकि पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिये इस बात को मुअत्तिल नहीं किया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मैंने उनसे कही है।

Shri Vishram Prasad : Even if a drop of water enters the tank of an aeroplane, the aircraft is likely to crash. Just now the hon. Minister stated that the act of putting sugar into it was a mischief of a mechanic. Is that man still in employment or he has been suspended or discharged?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that he is not under suspension, nor has he been discharged. He is still in service.

Shri Kachhavaiya : The Minister stated just now that that was the mischief of a mechanic. What are the reasons which led him to do that?

Mr. Speaker : Let the investigation be completed.

Shri Kachhavaiya : The background should be stated as to why he did so? When will the police investigations be completed?

Mr. Speaker : The Minister may reply to the second part of the question.

Shri Mohiuddin : I do not know when the investigations will be completed. Anyhow, I shall ask them to complete the work as early as possible.

Shri Tan Singh : What measures have been adopted by Government to ensure non-recurrence of such incidents in future?

Mr. Speaker : There is police report

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सहकारी प्रशासन

*१०३०. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी प्रशासन समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७०८/६४]**

(ग) मुख्य सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार करने योग्य समझा गया और उनको राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । राज्य सहकारी मंत्रियों के अगले वार्षिक सम्मेलन में इन पर भी विचार किया जायेगा ।

सहकारी संस्थाएं

*१०३१. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सहकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को पारितोषिक और प्रोत्साहन देने की एक योजना बनाई है और इसको राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक नोट, जिसमें योजना का ब्योरा दिया हुआ है सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७०९/६४]**

विमानों की उड़न योग्यता

*१०३२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २८ विमानों में से कितनों की मरम्मत की जा चुकी है और उनकी उड़न-योग्यता प्रमाणपत्र दे दिये गये हैं ; और उनका किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ख) तब से कितने और विमान उड़ान के लिये अयोग्य हो गये हैं ; और

(ग) इनमें से कुछ को उड़ान योग्य बनाने के मार्ग में अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता बाधक बन रही है और यदि हां, तो किस हद तक ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) तीन चिपमंक विमानों, वी० टी०—सी० वी० पी०, वी०टी—सी० वी० टी० और वी०टी—सी० एक्स० एफ० की मरम्मत कर दी गई है और उन्हें क्रमशः मद्रास, केरल और उड़ीसा उड्डयन क्लबों को उधार दे दिया गया है। एक मरम्मत योग्य एच०टी० ८ विमान वी०टी०—डी० के० यू० को भारतीय वायुसेना को दिया गया है और एक चिपमंक विमान वी०टी०—सी० वी० क्यू० को रद्दी कर दिया गया है।

(ख) उड्डयन क्लबों को ऋण पर दिये गये छः और सरकारी विमान बकार हो गये हैं। इनमें से चार की उड़न योग्यता प्रमाणपत्र के लिये मरम्मत की जा रही है, एक के लिये पुर्जों का इन्तजार है और दूसरे में इंजन लगाया जाना है। २९ फरवरी, १९६४ को खराब हुए विमान की कुल संख्या २९ थी।

(ग) क्लबों द्वारा सामान्य तरीके से पुर्जे प्राप्त करने में बाज़ दफ़ा मरम्मत के काम में और उड़न योग्यता-प्रमाणपत्र देने में देर लग जाती है।

ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क

*१०३३. **श्री लहरी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसिद्ध फर्म मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर्स और मेसर्ज युनाइटिड प्राविंसेज़ कर्मशियल कारपोरेशन, ६, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं से अब भी उत्पादन-शुल्क या सीमा शुल्क वसूल किये जाने के क्या कारण हैं जबकि वे ट्रैक्टरों की खरीद के समय प्रमाणपत्र पेश कर देते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि उनके ट्रैक्टर केवल कृषि के लिए ही इस्तेमाल किये जायेंगे ; और

(ख) उन विक्रेताओं ने इस कथित शुल्क को उन खरीदारों को, जिनसे उन्होंने यह वसूल किया है, वापस क्यों नहीं किया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ५ जनवरी, १९६३ के बाद आयात किये गये ५० डी० बी० एच० पी० वाले ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगता और इस समय मेसर्ज़ युनाइटिड प्राविंसेज़ कर्मशियल कारपोरेशन के व्यापारियों द्वारा यह शुल्क लिये जाने का प्रश्न नहीं ही उठता। १३ जनवरी, १९६४ से पूर्व मैसी फर्गूसन जैसे देशी ट्रैक्टरों को केवल यह बता कर, कि यदि इन ट्रैक्टरों को कृषि के लिये इस्तेमाल न किया गया तो निर्माता उत्पादन-शुल्क देंगे, बिना शुल्क दिये बेचने दिया जाता है। व्यापारी लोग अपने हित में ऐसा करते

हैं कि वे पहले तो सभी से उत्पादन-शुल्क ले लेते हैं और जब उत्पादन-शुल्क अधिकारी लोग इस के प्रयोग-प्रमाणपत्र को स्वीकार कर लेते हैं तो यह रकम वापस कर दी जाती है। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड ने १३ जनवरी, १९६४ को ऐसे आदेश जारी किये कि बांड देने पर खरीदार को मजबूर न किया जाये। तबसे देशी ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बारे में ट्रैक्टर निर्माताओं को आवश्यक निदेश दे दिये गये हैं।

(ख) निःसन्देह देशी ट्रैक्टरों के व्यापारियों को अब जारी किये गये निदेशों के आधार पर अब तक वसूल की जा चुकी उत्पादन-शुल्क की रकम वापस करने की व्यवस्था करना चाहिये थी। उनसे पुनः किसानों से ली गई रकम वापस करने को कहा जायेगा और राज्य सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने की प्रार्थना की जायेगी कि यह रकम अविलम्ब वापस की जाये।

पी० एल०-४८० करार

*१०३७. **श्री दो० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धूलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी चार वर्षों में लगभग १५० लाख टन गेहूं और चावल के आयात के लिए तथा वर्तमान करार को लगभग एक वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिये एक नये पी० एल०-४८० करार के बारे में अमरीका सरकार का निर्णय मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : : (क) जी, नहीं। अभी अमरीका सरकार को यह प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई निकट संघ मध्य पूर्व रेलवे सम्मेलन

*१०३८. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने काहिरा में हुए चौथे एशियाई निकट तथा मध्य पूर्व रेलवे सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने कोई प्रस्ताव पेश किया था ; और

(घ) सम्मेलन भारत के लिये कितना लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री (शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया, वे ये हैं :—

१. केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना (सी० टी० सी०)

२. कार टन-राउन्ड कार्यक्रम और सुधार के तरीके ।

३. ट्रैक के संधारण और नवीकरण में मशीनी साधन लगाना ।

४. रेलवे की वित्तीय समस्याएं और रेलवे लेखों का पेश किया जाना ।

५. पिछले दस वर्षों में रेलवे परिवहन में डीज़ल के इस्तेमाल के परिणाम ।

(ग) सम्मेलन में उन विषयों पर विचार किया गया जो कार्य-सूची में थे सम्मेलन में नये प्रस्ताव रखने की प्रथा नहीं है ।

(घ) सम्मेलन इस रूप में तो लाभप्रद है कि यह इन महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न देशों के अनुभव और विचार एकत्र कर सका है। इससे इसमें भाग लेने वाले देशों की रेलवे के बीच सम्बन्ध भी अच्छे होते हैं ।

Quality of Wheat

*1039. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the wheat coming under the terms of P.L.-480, is boiled before being exported and as such it has neither taste nor the substance; and

(*b*) whether all such wheat received under P.L.-480 is sold through Government Licensed fair price shops ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A.M. Thomas) : (*a*) No sir.

(*b*) wheat imported under PL-480 is either sold through fair price shops or issued to roller Flour mills or chakkis.

चीनी का उत्पादन

*१०४५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार १९६३-६४ में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा राज्य-वार, विभिन्न चीनी कारखानों में चीनी की रिकवरी के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) सरकार को देश में खपत और निर्यात के लिये कितनी चीनी की आवश्यकता है, और

(ग) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये भविष्य में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें यह बताया गया है कि ३१ मार्च, १९६४ तक चीनी का कुल कितना उत्पादन

हुआ और वर्ष १९६३–६४ के मौसम में गन्ने से राज्य-वार कितने चीनी की प्राप्ति हुई। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७११/६४]**

(ख) वर्ष १९६३-६४ में निर्यात करारों को पूरा करने के लिए २.६० लाख टन चीनी की आवश्यकता है। आन्तरिक खपत उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) सरकार वर्ष १९६४–६५ के लिये गन्ने के उच्चतर मूल्य न्यूनतम मूल्य पहले ही घोषित कर चुकी है और आगामी सीजन में उत्पादन बढ़ाने के लिये यथा समय अन्य उपायों पर भी विचार किया जायेगा। वर्ष १९६४-६५ में कुल अतिरिक्त क्षमता भी स्थापित किये जाने की संभावना है। भावी वर्षों में उत्पादन बढ़ाने के लिये और क्षमता के लिये साइसेंस दिये जा रहे हैं।

D.T.U—Bus Fares

*1046. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kapur Singh :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Buta Singh :
Shri Yashpal Singh
Shri D.C. Sharma :
Shiri Kachhavaiya :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Murli Manohar :
Shrimati Chavda :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Man Singh P. Patel :
Shri Sheo Narain Das :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(*a*) whether it is afact that Delhi Municipal Corporation have enhanced the D.T.U. bus fares;

(*b*) whether it is also a fact that Delhi State Transport Authority have not accepted the enhancement of bus fares;

(*c*) whether it is also a fact that some memoranda have also been submitted to Government in this connection ; and

(*d*) if so the decisions taken in this regard ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (*a*) to (*d*). Since the existing fare structure of the Delhi Transport Undertaking presented practical problems and gave rise to numerous complaints the Delhi Municipal Corporation, on the suggestion of the Delhi Transport Committee, approved the introduction of rationalised fare structure (*vide* annexure) in respect of the regular services operated by that Undertaking. **[Placed in Library. See No. LT 2712/64.** The revised fare structure was submitted by the Delhi Transport Undertaking to the State Transport Authority, Delhi, for approval. That Authority at its meeting held on the 25th March, 1964, declined to approve the revised rate-structure. The Undertaking then moved a review application on the 30th March, 1964. The State Transport Authority, Delhi duly considered it on the 10th April, 1964 and approved the fare-structure proposed by the Delhi Transport Undertaking, with one modification.

2. Several memoranda have also been received by the Central Government in this connection. Since the proposed fare-structure was being considered by the State Transport Authority, Delhi, which is a quasi-judicial body, no action has been taken on them.

सुन्दर नगर में टेलीफोन एक्सचेंज

२१००. **श्री अंसार हरवानी** : क्या **डाक और तार** मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सुन्दर नगर टाटानगर (सिंहभूम) में जो एक विकासशील औद्योगिक नगर है, टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : एक्सचेन्ज खोलना मंजूर कर लिया गया है और आवश्यक अनुमान आदि तैयार किये जा रहे हैं और वे शीघ्र ही मंजूर किये जायेंगे ।

बागवानी का विकास

२१०१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को बागवानी के लिए ऋण और अनुदान के रूप में कितनी रकम दी गयी ;

(ख) उसी अवधि में राज्य ने कितनी रकम इस्तेमाल की ; और

(ग) उसी प्रयोजन के लिए १९६४–६५ में उस राज्य को कितनी रकम दी जाने वाली है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७१३/६४]

उड़ीसा के बाहर भेजा गया अनाज

२१०२. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में कितना अनाज उड़ीसा राज्य से बाहर भेजा गया ; और

(ख) वह किन किन राज्यों को भेजा गया ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पिछले छः महीने अर्थात् सितम्बर, १९६३ से फरवरी, १९६४ तक व्यापार के तौर पर रेल से लगभग ८४,००० मीट्रिक टन अनाज उड़ीसा से भेजा गया । सड़क से भेजे गये अनाज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और केरल ।

उड़ीसा में रेलवे पुलों का निर्माण

२१०३. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऊपरी/नीचे के पुलों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ३१ जनवरी, १९६४ को पूरे किये गये ऊपरी/नीचे के पुलों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) १९६४–६५ में उड़ीसा में कौन कौन से ऊपरी/नीचे के पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) यह जानकारी संलग्न अनुबन्ध में दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७१४/६४]

(ख) शून्य ।

(ग) १९६४–६५ में राज्य सरकार केवल रायगढ़ में एक सड़क ऊपरी पुल की योजना आरम्भ करने वाली है ।

उड़ीसा को दिये गये उर्वरक

२१०४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा को वास्तव में कुल कितना उर्वरक दिया गया ;

(ख) क्या १९६४–६५ में यह कोटा बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) १९६४–६५ में उड़ीसा राज्य को, राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी निर्धारित मात्रा के मुकाबले में, निम्न प्रकार के उर्वरक सप्लाई किये गये :—

(आंकड़े मेट्रिक टनों में)

उर्वरकों की किस्म	दी गयी मात्रा	स्वीकार की गयी मात्रा	३१-३-६४ तक दी गयी मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया .	८,५००	६,६६०	*६,३९६
यूरिया .	१००	२०	२०
कैल्शियम नाइट्रेट . .	१४,०००	५,१४३	*४,२१०
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	२६७	१००	१००

*राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया कोटा रवानगी संबंधी हिदायतें देर से मिलने के कारण ३१-३-६४ के पहले पूरा पूरा नहीं सप्लाई किया जा सका ।

(ख) और (ग). कोटा तिमाही आधार पर नियत किया जाता है और यदि राज्य सरकार ज्यादा मांग पेश करती है तो संपूर्ण स्टाक को और पिछली तिमाहियों में राज्य सरकार वास्तव में उठायी गयी मात्रा को ध्यान में रख कर उस मांग को पूरा करने के लिए हर कोशिश की जायेगी । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने १९६३–६४ में नियत की गयी मात्रा को भी पूरा पूरा स्वीकार नहीं किया ।

चीनी

२१०५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चीनी की सालाना कुल कितनी जरूरत है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस राज्य में इस समय चीनी की कमी है;

(ग) यदि हां,तो उस राज्य को चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) उड़ीसा में इस समय चीनी की क्या कीमत है और देश के अन्य भागों में चीनी की कीमतों के मुकाबले में वह कम है या ज्यादा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अनुमान है कि उड़ीसा में चीनी की कुल आवश्यकता लगभग ४२,००० मीट्रिक टन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उड़ीसा में चीनी का वर्तमान फुटकर भाव १ . २४ रुपयों से १ . ३१ रुपया प्रति किलोग्राम के बीच में है । देश के अन्य भागों में चीनी के फुटकर दामों के मुकाबले में वह भाव कम है ।

रेलवे अस्पताल, पैराम्बूर

२१०६. **श्री पेनगोंडर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अस्पताल, पेरम्बूर, मद्रास में काम करने वाले अवैतनिक सर्जनों को अभी हाल में बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) नये अवैतनिक सर्जन किस आधार पर नियुक्त किये गये हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अस्पताल में नियुक्त किये गये अवैतनिक सर्जन आवश्यक संख्या से अधिक है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पेरम्बूर के रेलवे अस्पताल में कोई अवैतनिक सर्जन नहीं है । फिर भी शल्य चिकित्सा के एक अवैतनिक सलाहकार हैं जिन्हें बदला नहीं गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शल्य चिकित्सा के अवैतनिक सर्जन के अलावा मेडिसिन, आर्थोपैडिक सर्जरी, पैट्रियाट्रिक्स और पैथोलाजी के भी अवैतनिक सलाहकार हैं जिनमें से किसी को बदला नहीं गया है । अवैतनिक सलाहकारों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं है ।

वारंगल स्टेशन

२१०७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वारंगल के नागरिकों ने मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर से यह प्रार्थना की थी कि वे एक विशिष्ट तरीके से वारंगल स्टेशन का ढांचा बदलें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने या अन्य अधिकारियों ने उस सुझाव पर इस बीच विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । जब जनरल मैनेजर इस वर्ष जुलाई में उस स्टेशन पर गये थे तब उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) एकीकृत योजना के रूप में वारंगल में स्टेशन की इमारत का पुनर्निर्माण करने का विचार है । रेलवे प्रशासन योजनाओं की छानबीन कर रहा है और काजीपेठ–डोरनाकल सेक्शन में दोहरी लाइन बनाने के काम के साथ इसे मिला दिया जायगा ।

वारंगल में नीचे का पुल

२१०८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डोरनाकल नगरपालिका ने वारंगल में एक नीचे का पुल बनाने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यद्यपि नगरपालिका से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से काजीपेठ–विजयवाडा सेक्शन में वारंगल के पास मील २०७/१४–१५ (के० एम० ३३३–३३४) पर एक नीचे का पुल रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है । काम जारी है ।

INDIAN FOREST RESEARCH INSTITUTE

2109. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the question of declaring the Indian Forest Research Institute, Dehradun as an institute of national importance is under consideration; and

(*b*) if so, the latest position in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr.Ram Subhag Singh) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The Ministry of Food and Agriculture is examining the question of declaring the Forest Research Institute and Colleges as a University by legislative enactment. The draft proposal in this respect is under scrutiny in consultation with the other Ministries concerned. After a definite decision regarding implimentation of the proposal is taken, further steps will be taken to promote the necessary legislation.

टेलीफोन बिल

२११०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कटक और भुवनेश्वर टेलीफोन एक्स्चेंजों में सरकारी और गैर-सरकारी कनेक्शनों के संबंध में कितने टेलीफोन बिलों की वसूली बाकी थी ;

(ख) इस अवधि में कुल कितनी रकम के टेलीफोन बिलों की वसूली की गयी ; और

(ग) सरकारी कनेक्शनों से संबंधित बकाया बिलों की वसूली प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) :

(क)

	सरकारी कनेक्शनों संबंधी बिलों की संख्या	गैर-सरकारी कनेक्शनों संबंधी बिलों की संख्या
कटक . . .	२६०३	३६२६
भुवनेश्वर . .	२४३४	४०९

(ख) १४.९२ लाख रुपया

(ग) नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

आगे, उड़ीसा मंडल संबंधी टेलीफोन राजस्व कार्यालय कलकत्ते से कटक को जाया जा रहा है । इससे वसूली में और बकाया मामलों की पूछताछ में सहूलित होगी ।

बरमाहन में राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

२१११. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरमाहन, जिला नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ २६ पर सड़क पुल यातायात के लिए खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). मुख्य पुल पूरा हो चुका है लेकिन पहुंच सड़कों को पूरा करने में कुछ देर हुई है । अनुमान है कि यह पुल अब १५ जुलाई, १९६४ को यातायात के लिए खोल दिया जायगा ।

इटारसी स्टेशन के पास ऊपरी पुल

२११२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी स्टेशन (मध्य रेलवे), मध्य प्रदेश के पास दो लेवल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल बनाने का काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और यह पुल संभवतः कब खुल जायगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार ने मध्य रेलवे के इटारसी-भोपाल सेक्शन में ४६३/१२–१३ मील पर मौजूदा लेवल क्रासिंग की जगह पर सड़क ऊपरी पुल के लिए एक योजना अंतिम रूप से प्रस्तुत की है । रेलवे को आवश्यक तकनीकी जानकारी और स्थल चित्र राज्य सरकार से अभी फरवरी, १९६४ में ही प्राप्त हुआ है और योजना के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है ।

महेन्द्रूघाट स्टेशन

२११३. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महेन्द्रूघाट रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक उपाहार कक्ष खोलने की कोई योजना है;

(ख) वह इमारत कब तक पूरी होनी थी और कब पूरी हुई;

(ग) उपाहार कक्ष में सेवा चालू करने में देर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त योजना कार्यान्वित करने में देर होने के कारण रेलवे को कितनी वित्तीय हानि हुई ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डाक और तार कर्मचारी संघ

२११४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन डाक और तार कर्मचारियों को जो वर्तमान पुनर्निमित संघों में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें अपने निजी संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जब पुनर्निर्माण योजना के ब्योरे जुलाई, १९६४ में बताये गये थे तब गैर-राजपत्र घोषित (नॉन गजेटेड) गैर-औद्योगिक डाक-तार कर्मचारियों के हितों वाले संघों की बहुलता कम करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार उसके बाद ऐसे कर्मचारियों के कोई नये संघों को मान्यता नहीं देगी ।

सेवा संघों की मान्यता सम्बन्धी नये नियमों/आदेशों पर सरकार विचार कर रही है और सरकार से मान्यता के लिए सेवा संघों से प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन उन संशोधित आदेशों को ध्यान में रख कर ही की जायगी ।

कृषि उत्पादन

२११५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से योजना आयोग द्वारा बनाये गये उच्चस्तरीय अध्ययन दल के सम्मेलन का क्या परिणाम निकला;

(ख) यदि हां, तो राज्यों ने तब से क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या उत्पादन में अब तक कोई वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). कृषि विकास उनके कार्यक्रमों की, जिन्हें राज्य सरकारों ने सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया है, गति बढ़ाने के लिए केन्द्रीय दलों ने अनेक सिफारिशें की हैं। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए इस बीच की गयी महत्वपूर्ण कार्यवाही संलग्न विवरण में बतायी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७१५/६४]**

हावड़ा और खड़गपुर के बीच स्टेशनों का पुनर्निर्माण

२११६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा और खड़गपुर के बीच के स्टेशनों के पुनर्निर्माण का प्रति हज़ार घन फुट दर क्या है; और

(ख) क्या वह टेन्डर की दर थी या तय की हुई दर थी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) :(क) शायद माननीय सदस्य यार्डों में मिट्टी के काम की दरों के बारे में पूछ रहे हैं। स्वीकृत दरों की औसत यह थी : (१) २८३ रुपये प्रति हजार घन फुट जहां मिट्टी रेलवे की जमीन से बाहर से लानी थी; और (२) १२५ रुपये प्रति हजार घन फुट जहां मिट्टी रेलवे की जमीन से ही लानी थी। इन दरों में सभी प्रकार के मिट्टी सम्बन्धी काम, रायल्टी और आनुषंगिक व्यय शामिल हैं।

(ख) खुले सार्वजनिक टेन्डरों से ऊंची दरें प्राप्त होने के बाद उच्चस्तरीय टेन्डर समिति द्वारा बातचीत के जरिये ये दरें तय की गई थीं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

२११७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन के कोई लक्ष्य निश्चित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य निश्चित किये गये थे;

(ग) लक्ष्यों को किस सीमा तक पूरा करना सम्भव है; और

(घ) यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये ६४० करोड़ रुपये की मूल योजनाओं का अनुमान लगाया गया है। बाद में १.१७ करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजनायें भी शामिल की गई थीं। विभिन्न योजनाओं का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख गया। देखिये संख्या एल टी--२७१६/६४]**

तीसरी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये वित्तीय आबंटन ४ करोड़ के रखे गये हैं। अब तक ११५ लाख रुपये का व्यय किया गया है।

धीमी गति से काम के मुख्य कारण नीचे दिये जाते हैं :--

(१) रीवर स्टीम नैविगेशन कम्पनी की उनको दिये गये ऋण में से २१ प्रतिशत से अधिक खर्च न कर सकने के कारण (२ करोड़ रुपये में से अनुमानतः ४२ लाख रुपया)।

(२) नदी द्वारा कोयले के लदान के बारे में योजना समाप्त कर देना (७० लाख रुपया) तथा सुन्दर वन की अग्रिम परियोजना का समाप्त किया जाना (१५ लाख रुपया)।

(३) राजस्थान नहर में नौवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने को अन्तिम रूप न दिया जाना (३० लाख रुपया)।

(४) केरल (१ करोड़ रुपया), मद्रास (१० लाख रुपया), महाराष्ट्र (२० लाख रुपया) तथा पश्चिम बंगाल (१४ लाख रुपया), हिमाचल प्रदेश प्रशासन (१५ लाख रुपया) तथा गोहाटी परियोजना (१० लाख रुपया) की राज्य सरकारों की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाना।

उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकारों की सभी योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम, तथा गुजरात की कुछ योजनायें भी स्वीकार कर ली गई हैं। आशा है कि तीसरी योजना के शेष भाग में काम अधिक गति से होगा।

एयरवेज प्रणाली

२११८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भिक दो मार्गों पर एयरवेज प्रणाली लागू करने के लिये अपेक्षित उपकरण इस बीच मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिस्थापना में क्या प्रगति हुई है और काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) (क) अब तक उच्चोत्तर फ्रीक्वैन्सी ओमनी डायरैक्शनल रेडियो रेंज (वी० ओ० आर०) के आठ सैट तथा विस्तृत रेंज की एक-एक उपकरण के ३ सैट अब तक मिल गये हैं।

(ख) आशा है कि वी एच एफ विस्तृत रेंज उपकरण दिल्ली तथा कलकत्ता में जुलाई, १९६४ के अन्त तक स्थापित हो जायेंगे । उच्चोत्तर फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरैक्शनल रेडियो रेंज (वी ओ आर) की स्थापना के बारे में आवश्यक आरम्भिक कार्यवाहियां जैसे भवन आदि के लिए भूमि अर्जन करना आदि पूरी हो चुकी हैं ।

Derailment of Train near Faizabad

2119. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that five wagons of a goods train moving towards Varanasi were derailed between Malipur and Bilwai at a place about 18 miles from Faizabad (U.P.) on or about the 26th January, 1964; and

(*b*) if so, the loss caused thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) At about 16·05 hrs. on 27-1-64, one wagon of Down Loop Special goods train derailed between Malipur and Bilwai stations on Faizabad-Varanasi section of Northern Railway.

(*b*) The cost of damage to Railway property has been estimated at approximately Rs. 1,050 -. There were no casualties.

Derailment of Goods Train near Moradabad

2120. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that two wagons of a goods train were derailed on the eastern side of Moradabad Railway Station yard on the 29th January, 1964 ; and

(*b*) if so, the loss of railway property caused thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) At about 23·30 hrs. on 28-1-64, while yard pilot engine was from goods shed to new yard line in Moradabad station yard, two wagons of the yard load derailed.

(*b*) The damage to railway property was negligible.

DEAD BODY IN RAILWAY COMPARTMENT

2121. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the of Minister **Railways** be pleased to state.

(*a*) whether it is a fact that a dead body of an Austrian national was found in a second class compartment of a train on the morning of the 27th January 1964 at Jaipur Railway Station; and

(*b*) if so, the cause of his death ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) Yes.

(*b*) According to medical report the death was due to 'Heart Failure'

दक्षिण रेलवे का विद्युतीकरण

२१२२. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में दक्षिण रेलवे पर किन स्टेशनों का विद्युतीकरण कर दिया गया है; और

(ख) तीसरी योजना के पहले वर्ष में उक्त रेलवे के किन स्टेशनों का विद्युतीकरण कर दिया गया था ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--२७१७/६४]

Derailment of Chupra-Jaunpur Train

3123. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is fact that the engine of 79 UP Chupra-Jaunpur Passenger train (N.E. Railway) was derailed near Revelganj railway station on the 31st January, 1964;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the loss caused thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sahab Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) The accident was due to 'Failure of Railway Staff'.

(c) There was no injury either to the passengers of the train or to any Railway servant. The loss to railway property was also negligible.

असिस्टेंट स्टेशन मास्टर

२१२४. **श्री रा० ना० चतुर्वेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों की तुलना में असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को सेवा की शर्तों तथा पदोन्नति के अवसरों के मामले में नीचा स्थान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन गड़बड़ियों को सरकार का विचार किस प्रकार दूर करने का है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

THEFT OF GROUNDNUT OIL FROM A WAGON

2125. **Shri Kachhavaiya** :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a wagon was detached on the 14th February 1964 at Dohna Station (Narrow Gauge) near Bareilly, U.P. and many tins of groundnut oil were stolen;

(b) if so, the total quantity of oil stolen; and

(c) the action taken by Government in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). A theft of 31 tins of groundnut oil valued at Rs. 1,240 occurred on the night of February 13, 14, 1964 from a wagon which was attached to B.M. 13 UP while standing at Dohna Yard near Bareilly.

(c) Immediately the theft was detected on arrival of the train at Bhojeepura, search was conducted by the Railway Protection Force, assisted by the Government Railway Police between Bhojeepura and Dohna stations. 28 tins including 7 damaged tins valued at Rs. 1,120/- were recovered. Police investigation is going on. Police dogs of Bareilly were employed. One veteran criminal has so far been arrested.

All goods trains running in this section are since being escorted. Plain clothes staff have been deputed to collect intelligence regarding the gang, if any, operating in the area.

Loading of Wagons at Coal Mines

2126. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 5 working hours time has been fixed for loading of wagons at coal mines;

(b) whether the working hours of the collieries are taken into consideration while fixing working hours for labour so that the time of the labour is not wasted; and

(c) whether it is also a fact that it takes upto six days to get wagons loaded with coal out of the yard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The free time for loading of wagons at collieries is generally allowed on "pilot to pilot" basis, subject to a minimum of 5 working hours. In other words, the minimum time of interval between the visit of any two pilots is 5 working hours.

(b) Yes, the working hours of the collieries are taken into consideration while fixing the working hours for loading.

(c) No. Normally, the loaded wagons are cleared promptly, excepting some isolated cases of detention due to accidents etc.

INSTRUCTIONS TO PASSENGERS IN INDIAN SHIPS

2127. **Shri Kachhavaiya** :
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether the instructions intended for passengers in Indian Ships are available only in English or in Hindi also; and

(b) whether Government have considered the question that these instructions should be printed in Hindi also?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) **and** (b). All unberthed passenger ships *i.e.* ships carrying more than thirty unberthed passengers, based in India carry instructions not only in English and Hindi but also in other suitable Regional Languages.

ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र

२१२८. **श्री तुलसीदास जाधव :**
श्री जेधे :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र को आरम्भ करने की क्या आवश्यकतायें होती हैं ;

(ख) १९६२-६३ में कितने ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये थे ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से केन्द्र खोले गये थे ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) सरकार की यह नीति है कि स्थानीय प्रोत्साहन के द्वारा गैर सरकारी ग्लाइडिंग क्लब बनाये जायें । सरकार से सहायता पाने के लिये क्लबों को निम्न शर्त पूरी करनी चाहियें :—

(एक) ५० सदस्यों से कम सदस्य न हों ।

(दो) गैरसरकारी अंशदान तथा अन्यथा धन की व्यवस्था करना जिससे जीप, पैराशूट, तार, वर्कशाप उपकरण, औजार आदि खरीदे जा सकें ।

(तीन) अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की भरती ।

(ख) १९६२-६३ में सहायता प्राप्त योजनाओं में दो ग्लाइडिंग क्लब शामिल किए गये थे ।

(ग) आशा थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३५ ग्लाइडिंग केन्द्र (ग्लाइडिंग शाखाओं समेत) खोले जायेंगे । आरम्भ में फ्लाइंग क्लब ग्लाइडिंग शाखायें खोलने को बड़े उत्सुक थे । परन्तु १९६२ में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप आपातकाल की घोषणा के बाद से फ्लाइंग क्लबों का भारतीय-वायुसेना को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रयोग होने लगा । नये ग्लाइडिंग क्लब स्थानीय रूप से प्रोत्साहन पर आधारित होते हैं । ऐसे क्लबों की स्थापना के बारे में कुछ आवेदन पत्र आये थे और उन को यह परामर्श दे दिया गया था कि सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये उनको शर्तें पूरी करनी चाहिय । परन्तु अभी बताना संभव नहीं है कि तीसरी योजनावधि में कितने नये क्लब चालू हो जायेंगे ।

कलकत्ता से विमान सेवा वाले 'कैरेवैल'

२१२९. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रातः ६ बजे कलकत्ता से दिल्ली को जाने वाले 'कैरेवैल' विमान प्रायः देर से रवाना होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता में प्रातःकाल कोहरा रहता है, इस उड़ान का समय बदलने का विचार कर रही है ?

परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). फरवरी में केवल तीन उड़ानें विलम्ब से हुई थीं जिनमें से दो कोहरे के कारण विलम्ब से हुई थीं । निगम का विचार समय बदलने का नहीं है ।

GIR LIONS

2130. **Shri Bal Krishna Singh :**
Shri Bishwanath Roy :
Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Food and Agricultur** bc pleased to state :

(a) whether the Gir Lions and Lionesses introduced in the Chakia Forest (Varanasi) in Uttar Pradesh are kept in the sanctuary or have escaped to other areas; and

(b) whether it is a fact that they are killing the domestic cattle grazing in the sanctuary and other adjoining areas?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The lions introduced in Chandraprabha Sanctuary in Uttar Pradesh, usually operate in the sanctuary but often cross into the adjoining forest of Son Forest Division and sometimes into the forests of Bihar State.

(b) Yes, Sir. Besides the natural game, the lions also occasionally prey upon the domestic cattle grazing in the sanctuary area.

रेलवे का 'ओपन लाइन स्टाफ'

२१३१. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुछ पदों पर काम करने वाले 'ओपन लाइन स्टाफ' जिन का समय समय पर डाक्टरी मुआयना होता है, मुआयने में ठीक नहीं पाये जाने पर ऐसे दूसरे पदों पर लगाये जाते हैं जिनमें कम मेडिकल "फिटनेस" की ज़रूरत होती है जैसे क्लर्क आदि ;

(ख) क्या डाक्टरी मुआयने में 'फिट' न पाये गये कर्मचारी केवल उतना ही वेतन पाने वाले कर्मचारियों से कनिष्ठ माने जाते हैं ऐसा रेलवे बोर्ड का निर्णय है ;

(ग) क्या इन आदेशों को दक्षिण रेलवे के सभी डिविजनों में लागू कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, २२-१०-१९५६ के बाद ।

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है ।

RECRUITMENT IN DELHI-BIKANER DIVISION

2132. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Clerks Grade I are being directly recruited in the Accounts Department of the Delhi and Bikaner Divisions of the Northern

Railway when graduates with two to five years' experience are already available; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, direct recruitment is made to the extent of 20% of vacancies in the Accounts Department on all Railways, and Graduates already in service are entitled to compete; if otherwise eligible.

(a) The above procedure is intended to add to the efficiency of the Accounts Department on Railways.

Lucknow Station

2133. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the contract of parcel handling at Lucknow Station was previously given to the Railway Porters' Co-operative Society and if so, the monthly rate of the contract and the reasons for terminating it :

(b) whether it is a fact that the Society was paid Rs. 5,000/- per month while Rs. 7,000/- are being paid to the contractor every month ;

(c) whether the Society had lodged a complaint of corruption against to the station authorities ; and

(d) whether it is also a fact that even after the termination of the contract system of porters the Railway is charging Rs. 2/- from each porter as license fee and if so, the reasons therefor and the head under which that money is credited and spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) (& (b). Yes. The Railway Porters' Co-operative Society Ltd., Lucknow, were entrusted with the contract of handling work at six stations including Lucknow on a lump sum payment of Rs. 12,450/- per month for all stations. On termination of contract for all stations except Lucknow, the monthly rate paid in respect of the Lucknow contract from 1-12-59 to 5-6-60 was Rs. 5,060/-. The contract at Lucknow was terminated with effect from 5-6-1960 consequent on the Society's inability to supply adequate labour and unsatisfactory working. The work was done departmentally from the 5-6-1960 to 15-1-1961 when it was entrusted, after inviting tenders, to a contractor for a period of two years for Rs. 6,153/- per month. From 15-1-1963 a new contractor has been appointed after inviting tenders and the amount paid is Rs. 6,700/- per month.

(c) No.

(d) Yes. Under the decasualisation scheme for licensed porters, which has to be run on "no profit no loss" basis, a license fee of Rs. 2.00/- per month per porter is levied at Lucknow station to cover the cost of supervisory staff.

रोपड़-नंगल बांध सेक्शन

२१३४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रोपड़–नंगल बांध सेक्शन पर चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों के पास क्वार्टर नहीं हैं ;

(ख) क्या उन्हें स्लीपरों से बनी अस्थायी झोंपड़ियां देने का विचार है जिन को बेकार पड़े स्लीपरों से बनाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो ये झोंपड़ियां कब तक इन को दे दी जायेंगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रोपड़ स्टेशन समेत ५५ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

२१३५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में पंजाब में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ख) इस में से अब तक कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में कितने क्वार्टरों का निर्माण हुआ था ?

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) सभी सर्किलों के लिये कर्मचारियों के नये क्वार्टर बनाने के लिये तीसरी योजना में २६५ लाख रुपया आवंटित किया गया था तथा प्रत्येक सर्किल के लिये अलग उपबन्ध नहीं किया गया है । हाल में ही बनाये गये विकास कोष से धन निकाल कर इसमें लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) तीसरी योजना में पंजाब में लगभग १३.६ लाख रुपये । पहले भी कई वर्षों में कुछ क्वार्टरों पर धन व्यय किया गया था ।

(ग) ३३६ ;

फरक्का में चलता फिरता अस्पताल

२१३६. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का (पूर्व रेलवे) में एक रेलवे यात्री डिब्बे को डाक्टर के कार्यालय, शल्य चिकित्सा तथा रहने के लिये अलग खड़ा कर दिया है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी तथा भारी वर्षा होने के कारण कोई और आवास देने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यह सामान्य यात्री डिब्बा नहीं है अपितु विशेष यात्री डिब्बा है जिसका चलते-फिरते अस्पताल के रूप में प्रयोग होता है। डाक्टर की इच्छानुसार उसको भी उसी में रहने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) फरक्का में एक डिस्पेंसरी तथा क्वार्टर बनाने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

Daliganj Station

2137. Shri S. L. Verma : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students at Daliganj Station of Lucknow pull the alarm chains of passenger trains and cause inconvenience to passengers by detaining the train for hours together ; and

(b) if so, the action proposed to be taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) Yes ;

(b) The Railway has been directed to organize special checks to apprehend and prosecute the offenders.

Assistance and co-operation of the Heads of educational institutions are being sought to instil a sense of discipline and obedience to law on the part of the students. The State Government has also been addressed in the matter.

India-U.A.R. Air Agreement

2138. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an air agreement has been signed between fe Government of India and the United Arab Republic ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin) : (a) and (b). An air agreement was signed in 1952 between the Government of India and the then Government of Egypt. This agreement is still in force between the Government of India and Government of U.A.R.

A copy of the agreement has been placed in the Library.

Discussions for revision of the 1952 agreement were held between the two Governments in 1962. The proposed revisions are under consideration of Governments.

सिक्किम को चावल का सम्भरण

२१३९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम दरबार ने भारत सरकार से कहा है कि बहुत से क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए ३००० मन का मासिक कोटा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सिक्किम दरबार ने भारत सरकार से ३००० मन चावल का अतिरिक्त कोटा देने के लिये कहा था।

(ख) सिक्किम दरबार की चावल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय रिज़र्व से चावल का संभरण किए जाने के अतिरिक्त उनके अधिकारियों से कह दिया गया था कि सिलीगुड़ी के समान पश्चिम बंगाल के पास के बाज़ारों से खरीदारी कर लें। केन्द्रीय सरकार के पास चावल की उपलब्धता तथा कमी वाले राज्यों की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सिक्किम दरबार को परामर्श दिया गया है कि उन की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पश्चिम बंगाल, जहां पर इस वर्ष चावल का उत्पादन अधिक हुआ है से खरीद कर पूरा कर ले।

धान निगम

२१४०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्रोतों द्वारा व्यापार का विनियमन करने के लिये धान निगम बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) इस निगम के बन जाने से उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के बीच किस प्रकार नियंत्रण रहेगा तथा स्ट्रैटिजिक नियंत्रण लागू करने की नीति के यह कहां तक अनुरूप होगा ; और

(ग) इस से व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी रोकने तथा अनुचित संग्रह में कहां तक सहायता मिलेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Thefts in Running Goods Trains

2141. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a special intelligence team of the Central Crime Bureau, Ministry of Railways arrested a gang of thieves near Kathgarh, who used to commit thefts in the running goods trains;

(b) if so, the number of persons in this gang; and

(c) whether any railway employee has been found involved?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) 8 persons were reported to be the members of this gang.

(c) No railway employee has so far been found involved.

Cartridges in Letter Box in Jullunder

2142. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some cartridges and some important papers were found in the Jullunder City Head Post Office letter-Box recently;

(b) if so, the content of the letter; and

(c) whether any enquiry was made into the matter and the result thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Posts & Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) Yes, Sir. 192 cartridges of Revolver of ·38 bore and an identity card of Sgt. Brinder Singh of I.A.F. along with some private papers of the sergeant were found from the letter-box clearance at 9·15 hrs. on 16-3-64.

(b). No letter was found.

(c) Yes, Sir. The matter is still under Police investigation.

दोहरी रेलवे लाइनें

२१४३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोरनाकल तथा काज़ीपेट और काज़ीपेट तथा हैदराबाद के बीच दोहरी-रेलवे लाइन कब चालू हो जायेगी ; और

(ख) प्रत्येक मामले में परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) दोरनाकल तथा काज़ीपेट सेक्शन की लाइनों को दोहरा बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। काज़ीपेट तथा सिकन्दराबाद के बीच ८२ मील की लाइन में से ४५ मील की लाइन को दोहरा करने के लिये स्वीकृति दे दी गई है। इन ४५ मीलों में से १९ मील को यातायात के लिये खोल दिया गया है तथा आशा है कि शेष २६ मील भी मार्च १९६५ तक यातायात होने लगेगा।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट ४५ मील के टुकड़े में लाइन दोहरी करने पर लगभग २९८.४० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

काज़ीपेट स्टेशन को दोबारा बनाना

२१४४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काज़ीपेट रेलवे स्टेशन को दोबारा बनाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) क्या भवन की लम्बाई तथा ऊंचाई बढ़ा दी गई है ; और

(ग) परियोजना पर कितना धन व्यय हुआ ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ग). काज़ीपेट में गुड्स यार्ड को ५६.९८ लाख रुपये से दोबारा बनाया जा रहा है। योजना में स्टेशन भवन में परिवर्तन शामिल नहीं किए गए हैं। परन्तु स्टेशन भवन को दोबारा बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है कि इस को १९६५-६६ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए।

Transport Permits for Imported Goods

2145. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has issued some permits to the transport companies for transporting imported goods ; and

(b) if so, the number of such permits issued and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No.

(b) Permits for the operation of transport vehicles are granted by the State Regional Transport Authorities, which are quasi-judicial bodies and are appointed by the State Governments under Section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939. No request for the grant of public carrier permits for the transport of imported goods has, however, been received by the Government of India from any transport company or operator.

Transport Permits for Export Goods

2146. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are giving the facility of inter-state permits to the Motor Transport Companies for transporting export goods in order to encourage export trade ; and

(b) if not; whether the issue of inter-State permits is under consideration and if so, when it would be implemented ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) & (b). The Inter-State Transport Commission has laid down the conditions for the selection of applicants for the grant of regular public carrier permits on inter-State routes exceeding 300 miles in length. These conditions do not, however, envisage any preference to applicants who offer to use their vehicles for transporting goods intended for export.

However, a request has recently been received from the Capital Transport Corporation, Delhi, transport contractors in the capital that, as a matter of policy, preference in the grant of public carrier permits might be given to those operators who are engaged in the transport of goods intended for export. The matter is under consideration.

Reports of Zonal Railways

2147. { Shri Vishram Prasad : / Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any reports regarding the Zonal Railways besides the annual report of the General Manager are also being published in English ;

(b) if so, whether their Hindi versions are also being published ; and

(c) if not, the action being taken by Railway Administration regarding the publication of Hind versions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

इटारसी तथा जबलपुर के बीच रेलवे लाइन

२१४८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी और जबलपुर के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाने का काम योजनानुसार हो रहा है; और

(ख) यदि काम अनुसूची से पीछे है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजनी रेलवे यार्ड में विस्फोट

२१४९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री २४ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के निकट अजनी के रेलवे यार्ड में वैगन में हुए विस्फोट, क्योंकि उसमें गलती से डेटानेटर्स तथा पोटासियम क्लोरेट भर दिया गया था, के लिये जिम्मेदार कौन था इस बारे में समिति ने उपपत्तियां दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के क्या नाम अथवा पद हैं ; और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) श्री के० जी० कृष्णा, सीनियर टैली क्लर्क, अजनी।

(ग) दो आगामी वर्षों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है।

Prices of Jowar

2150. Shri D.S. Patil: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of Jowar have risen in Maharashtra ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the minimum support price fixed by the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food & Agriculture (Dr Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Jowar prices in Maharashtra were rising until the end of January 1964. Thereafter they have remained generally steady or shown a declining tendency in some markets. The immediate cause for strength in jowar prices appears to be the damage caused this year to jowar, bajra and rabi foodgrain crops.

(c) The Government of India have fixed the minimum support prices of Jowar for the 1963-64 season at Rs. 24·12 per quintal (or Rs. 9·00 per md.) for white variety and Rs. 27·78 per quintal (or Rs. 8·50 per md.) for yellow variety.

MILK COLLECTION CENTRES

2151. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of milk collection centres run by the Delhi Milk Scheme at present ;

(b) the expenditure incurred on each centre and the quantity of milk received at each of them per day;

(c) the salary paid to the employees appointed at the centre to collect milk ;

(d) whether it is a fact that milk is not received in sufficient quantity; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) Twelve. Milk is also being produced at Bikaner although no regular Milk Collection and Chilling Centre has been established there.

(b) & (c). The capital cost of buildings and equipment of each Centre is Rs. 3 lakhs approximately. The quantity of milk received by each Centre on 31-3-1964 is given in the attached statement. [*Placed in library see no. LT2718/64* The statement also gives the salary paid to the staff employed at each Centre during March, 1964.

(d) No. except in the case of Ballabgarh, Bahadurgarh, Dadri, Palwal and Bikaner Centres.

(e) The lower supply at Ballabgarh and Bahadurgarh is due to the fact that industries have come up at these places within the past 3—4 years and local demand has increased very considerably. The supply at Bikaner would have been larger but for the famine conditions prevailing there. The lower supplies at Dadri and Palwal are generally due to the flooding of vast areas of the milk shed of the Delhi Milk Scheme in September, 1963, which resulted in destruction of fodder crops and disease and death of a large number of buffaloes. Actually, the supplies from most of the Centres in the milk shed of the scheme would have been much better had it not been for the damage caused by floods.

Milk Powder

2152. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk powder used in the manufacture of biscuit is produced by the Delhi Milk Scheme in considerable quantity and if so, the production per month; and

(b) whether it is also a fact that it is sold without inviting any tenders and if so, the name of the party to which it is sold?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes. The Delhi Milk Scheme manufactures roller-dried skim milk powder from surplus milk. The monthly production varies depending upon availability of milk. From April, 1963, to March, 1964, 143·101 tonnes of skim milk powder was manufactured. A statement giving month-wise production of the powder is attached.

STATEMENT

The Production of Skim Milk Powder During 1963-64.

Months	*Quantity Produced Kgs.*
April, 1963	38,343
May, 1963	15,681
June, 1963	5,530
July, 1963	6,198
August, 1963	19,639
September, 1963	16,250
October, 1963	5,590
November, 1963	5,810
December, 1963	8,661
January, 1964	7,380
February, 1964	4,565
March, 1964	9,454
Total Production	1,43,101
Quantity brought forward from previous year	61,096
	2,04,197

(b) The price of milk powder is fixed after calling tenders. No Sales of milk powder are done at a price other than this price.

बोदपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर

२१५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री ३१ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोदपुर स्टेशन पर हुई रेलगाड़ी की टक्कर के लिये जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चालू कर दिया गया है ; और

(ख) किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा आरम्भ किया गया है तथा उनके पद क्या क्या हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त का दुर्घटना की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। अब तक राज्य सरकार ने कोई मुकदमा शुरू नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनों की उत्पादन क्षमता

२१५४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं तथा लकड़ी वाले उद्योगों को इमारती लकड़ी तथा ईंधन के पर्याप्त सम्भरण के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं तथा देश में सूखा रोकने, बाढ़ रोकने तथा उचित जलवायु बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) पहली पंचवर्षीय योजना में विकास की कुछ योजनायें चालू कर दी गई थीं। लगभग ७५,००० एकड़ के क्षेत्र में बागान लगाये जा रहे हैं। इसी अवधि में लगभग ३,००० मील में वन संचार व्यवस्था लागू कर दी गई थी

इसी योजनावधि में बड़ी परियोजनाओं का काम आरम्भ किया जायेगा। टीक, साल वेट्टल, साफ्टवुड (दियासलाई आदि के लिये) के पेड़ लगाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

७०,००० एकड़ भूमि में वाणिज्यिक तथा औद्योगिक महत्व के पेड़ लगाये गये थे तथा पुराने वनों के ३,२०,००० क्षेत्र में पेड़ लगाये गये थे। इस अवधि में ६,८०० मील वन सड़कें बनाई गई थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश की दीर्घकालीन आवश्यकता पूर्ति वाले पेड़ों के सम्बन्ध में विशेष बल दिया जायेगा। इस में राज्यों के विकास कार्यक्रमों के लिये लगभग ५१ करोड़ रुपया रखा गया था तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पहली तथा दूसरी योजना में क्रमशः ९.६ करोड़ रुपया तथा २७ करोड़ रुपया रखा गया था।

आर्थिक बागानों के सम्बन्ध में राज्य योजना के अधीन लगभग ७.०१ लाख एकड़ भूमि में बाग़ लगाना है। १९६२-६३ के अन्त तक २.१७५ लाख एकड़ में बाग़ लगाया जायेगा। 'प्लांटेशन आफ क्विक ग्रोइंग स्पैसीज़' की केन्द्रीय योजना के अधीन इस योजना में १,३०,००० एकड़ भूमि में बाग़ लगाने का विचार है। लकड़ी पर आधारित उद्योग जैसे--काग़ज़, दियासलाई, चिप बोर्ड आदि की आवश्यकता को पूरा करने का उद्देश्य है। १९६२-६३ में २१,००० एकड़ भूमि में बाग़ लगाये गये थे। पुराने वनों में पेड़ लगाने की योजना के अधीन ५.२३ लाख एकड़ में बाग़ लगाने का प्रस्ताव है जिसमें से १९६२-६३ के अन्त तक १.८४ लाख एकड़ में बाग़ लगा दिया गया है। ११,००० मील की सड़क बनाने का प्रस्ताव है जिसमें से १९६२-६३ में २५९० मील की वन सड़क बना दी गई है।

मूसांमारा की राज्य योजनाओं के अधीन ६.७४ लाख एकड़ में बाग लगाने का विचार है। १९६२-६३ में १.९९१ लाख एकड़ में बाग़ लगा दिये गये थे।

नदी घाटी परियोजनाओं की तलहटी में केन्द्र द्वारा चालू भू-संरक्षण कार्यों के अधीन लगभग ८ लाख एकड़ में बाग़ लगाने, पशुओं को चरने न देने, आग संरक्षण, आदि कार्य किये जाने का विचार है। १९६२-६३ के अन्त तक १.३० लाख एकड़ में बाग़ लगा दिए गए हैं।

भारतीय वन सेना

२१५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारतीय वन सेवा स्थापित करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभगसिंह) : सेवा का ब्योरा विचाराधीन है ।

उड़ीसा में नल कूप

२१५६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६४ तक उड़ीसा में कितने अन्वेषणात्मक नलकूप खोदे गये ;

(ख) क्या वर्ष १९६४–६५ में राज्य में और नलकूप खोदने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) उड़ीसा में भूमिगत जल की खोज के सम्बन्ध में २९ अन्वेषणात्मक छिद्रों का छिद्रण किया गया जिनमें से जनवरी, १९६४ के अन्त तक १९ को उत्पादन नलकूपों में बदल दिया गया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निम्नलिखित जिलों में ८ अन्वेषणात्मक छिद्रों का छिद्रण किया जायेगा :

१. बालासोर	३
२. कटक	३
३. पुरी	२
कुल	८

उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन

२१५७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा उड़ीसा सरकार को वर्ष १९६३–६४ में सहकारी आन्दोलन तीव्र करने के लिये कोई ऋण अथवा सहायता दी गयी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) राज्य को वर्ष १९६४–६५ में कुल कितनी रकम दी जायेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	ब्योरा	ऋण	अनुदान	कुल
१.	केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाएं . .	७.६५५	७.९५९	१५.६१४
२.	नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ता स्टोरों के संगठन के लिये केन्द्रीय पुरस्कृत योजना	९.०२५	०.८०५	९.८३०
३.	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाएं	—	०.६८०	०.६८०
४.	पूर्वी राज्यों को उदार-सहायता योजनाएं .	—	१.३९०	१.३९०
५.	सहकारी खेती की योजनाएं .	५.४७०	१.१३०	६.६००
६.	सहकारी प्रशिक्षण की योजनाएं . .	—	२.०९०	२.०९०
	कुल .	२२.१५०	१४.०५४	३६.२०४

(ग) राज्य के आयव्ययक में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किये गये उपबन्धों का ब्योरा प्राप्त होने पर इस का पता लगाया जायेगा ।

Churk-Chopan-Garwa Road Line

2158. **Shri Ram Swarup :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date from which passenger trains would start plying on Churk-Chopan-Garwa Road Railway Line ; and

(b) whether goods trains have started plying on that line and if so, whether the general public can avail of the facility of goods traffic ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Churk-Chopan-Garwa Road Section has been opened for passenger traffic with effect from 1-4-64. From the same date, the following train services have ben introduced on this section :—

Section	*No. of trains introduced*
Churk-Chopan	2 pairs of passenger trains
Chopan-Garwa Road	1 pair of Mixed trains.

(b) Yes.

Damage caused by Locusts

2159 Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that locusts cause heavy damage to crops ; and

(b) if so, the measures taken by Government to destroy them and the steps taken to eliminate the danger during the current plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr.Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir However, India is at present free from locusts and there is no immediate danger of any locust invasion, as locust activity throughout the desert locust belt has been retarded.

(b)(*i*) The Central Government is maintaining a permanent Locust Warning Organisation, adequately equipped with machine, insecticides and staff for the destruction of locust swarms in the desert areas, where they normally settle and breed.

(*ii*) The State Governments also maintain adequate staff, stocks of insecticides and machines for locust control in their cutltivated areas.

(*iii*) The Central Aerial Unit under the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, for the control of crop pests and diseases, is also pressed into service, whenever required.

(*iv*) India is a member of the United Nations Special Fund Desert Locust Project from its inception since 1960 and contributes a sum of Rs. 1.41 lakhs annually. This project aims at developing better and long range methods of locust control and the strengthening of the national anti-locust research and control organisations.

(*v*) Border meetings between officials of India and Pakistan with opportunities to survey the infested border areas, are held from time to time to discuss locust intelligence and control measures.

(*vi*) With a view to enabling India to anticipate locust swarm incurtions and taking timely action to combat them, locust information is exchanged with neighbouring countries.

कलोल-मेहसाना लाइन पर दो श्रमिकों की मृत्यु

२१६०. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे को कलोल-मेहसाना लाइन को दोहरा करने का कार्य करते समय हाल में दो व्यक्तियों की मत्यु हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । एक पुल की नींव में गढ़े भरते समय ।

(ख) मृतकों की विधवाओं को प्रत्येक को अन्तरिम अग्रिम भुगतान के रूप में १०० रुपये दिये जा रहे हैं । श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति देने में शीघ्रता करने के लिये कार्यवाही की गयी है । एक विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है ।

मोटरगाड़ियां अधिनियम

२१६१. श्री वाडिवा : क्या **परिवहन** मंत्री ५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन पत्र दाखिल करने के लिये मोटरगाड़ियां अधिनियम, १९३९ में निर्धारित समय-सीमा में संशोधन करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) वर्ष १९६३ में दिल्ली में न्यायाधिकरण से, मोटर गाड़ियों से हुई दुर्घटनाओं के बारे में, कितने प्रतिशत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति मिली ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष १९६२ में नियुक्त की गयी मोटरगाड़ियां बीमा समिति ने सिफारिश की है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिये दायर किये जाने वाले आवेदन-पत्र के लिये दुर्घटना की तिथि से वर्तमान ६० दिन की अवधि को बढ़ा कर छः महीने कर दिया जाये। इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) पत्नी वर्ष १९६३ में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष क्षतिपूर्ति के २५१ दावे दायर किये गये। इनमें से उस वर्ष केवल ५५ मामलों का फैसला किया गया और २० मामलों में क्षतिपूर्ति दिलायी गयी। जिन मामलों में क्षतिपूर्ति दिलायी गयी उनकी संख्या कुल दायर किये गये मामलों की संख्या का ८ प्रतिशत बैठती है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अनाज के व्यापारियों द्वारा दी गई कारबार बन्द करने की धमकी

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा उनसे उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं :

"अनाज के व्यापारियों द्वारा दी गई कार-बार बन्द करने की धमकी"

श्री अ० म० थामस: वक्तव्य चार पृष्ठ का है ।

अध्यक्ष महोदय : तो वह उसे सभा-पटल पर रख दें ।

श्री अ० म० थामस : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७०२/६४]**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस मामले पर चर्चा करने के लिये शीघ्र अवसर प्रदान किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आज पांच बजे इस पर चर्चा की जायेगी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार तथा विकास सम्मेलन के मंत्रियों के अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता, पांच प्रतिनिधियों तथा गैट के प्रशासनिक सचिव के वक्तव्य

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित वक्तव्यों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) २५ मार्च, १९६४ को जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार तथा विकास सम्मेलन के मंत्रियों के अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता का वक्तव्य ।

(२) उपरोक्त सम्मेलन की विभिन्न समितियों की बैठकों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के पांच प्रतिनिधियों के वक्तव्य ।

(३) ८ अप्रैल, १९६४ को हुई उक्त सम्मेलन की सम्पूर्ण बैठक में गैट के प्रशासनिक सचिव का वक्तव्य ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० २७०३/६४ से एल० टी० २७०५/६४ तक]

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति का १९६२-६३ का वार्षिक प्रतिवेदन

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : I beg to lay on the table a copy of the Annual Report of Indian Central Coconut Committee for 1962-63.

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखियें संख्या एल० टी० २७०६/६४)

आवश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : मैं आवश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १९ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७८ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं उत्पादन (न्यिति नियंत्रण) आदेश, १९६४ को रद्द करने वाली दिनांक २ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५७१ ।

(दो) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७२ में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश धान (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७०७/६४]

614 (ai) LSD—5

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
कार्यवाही सारांश

श्री अ० च० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों संबंधी उप-समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांशों और निम्नलिखित रिपोर्टों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठक के कार्यवाही-सारांशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय—चाय बोर्ड, कलकत्ता के बारे में छियाली-सवां प्रतिवेदन ।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय—निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई (जो अब निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम लिमिटेड, बम्बई में बदल दिया गया है) के बारे में सैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

सदस्य की रिहाई
(श्री यु० द० सिंह)
RELEASE OF MEMBER
(SHRI YUVERAJ DUTTA SINGH)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लखनऊ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ज्युडिशियल) का दिनांक १३ अप्रैल, १९६४ का एक तार मिला है कि लोक-सभा के सदस्य श्री युवराज दत्त सिंह को ११ अप्रैल, १९६४ को लखनऊ की जिला जेल से रिहा कर दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि उनके विरुद्ध मामले को आगे न बढ़ाया जाये ।

नियम २९२ के अन्तर्गत प्रस्ताव—अस्वीकृत
MOTION UNDER RULE 292—NEGATIVED
(अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये नियत किये गये समय को बढ़ाना)
(*Extension of time for discussion on Demands for grants*)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, मैं आप की अनुमति से, प्रक्रिया नियमों के नियम २९२ के अन्तर्गत, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये नियत समय को १५ अप्रैल, १९६४ से आगे बढ़ाया जाये ।"

संसद्-कार्य मंत्री के कथनानुसार सभी शेष अनुदानों की मांगों पर चर्चा कल सायंकाल ५ बजे तक समाप्त हो जायेगी, यहां तक कि योजना तथा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी । मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को वृहस्पतिवार तक के लिये बढ़ा दिया जाये । उस दिन यदि योजना तथा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ४ बजे सायं को भी समाप्त हो तो उसी समय समापन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये तथा उसके पश्चात ही वित्त विधेयक

पर चर्चा आरम्भ कर दी जाये । शुक्रवार को जो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा की जानी है वह उसके स्थान पर बुधवार, २२ तारीख को की जाये, जिसके लिये कि गैर-सरकारी कार्य-सूची के प्रथम सदस्य ने अपनी सहमति दे दी है । इस प्रकार वित्त विधेयक पर चर्चा करने के लिये वृहस्पतिवार से लेकर हमें १७½ घंटे का समय मिल जायेगा । आशा है कि यह प्रस्ताव सदन की इच्छा के अनुरूप है तथा वह इसे स्वीकार कर लेगा ।

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : हम चाहते हैं कि वित्त विधेयक दिनांक २१ तक इस सदन द्वारा पारित कर दिया जाये और इस समय के अन्दर ही यदि उचित समायोजन सम्भव है तो किया जाये । परन्तु वे तो वित्त विधेयक के लिये भी १७½ घंटे का समय चाहते हैं । मैं नहीं समझता कि सदन शनिवार के सरकारी कार्य पर चर्चा के समय में से उसके लिये समय देने को सहमत होगा अथवा नहीं । गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विवाद के समय के बारे में सदस्यगण स्वयं जो चाहें निर्णय ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि अन्य सदस्य इस बात से सहमत हो जायें कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर अगले बुधवार को चर्चा की जाये, तो क्या मंत्री महोदय श्री कामत के प्रस्तावानुसार शुक्रवार को पूरे समय वित्त विधेयक पर चर्चा के लिये सहमत हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : इससे तो बुधवार का सरकारी-कार्य का समय इसमें लग जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह भी तो सरकारी कार्य है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो समय बढ़ाने की केवल एक विधि है । क्या मंत्री महोदय समय बढ़ाने के लिये सहमत हैं अथवा नहीं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : श्रीमन्, हम पहले ही सभी मांगों पर समय बढ़ा चुके हैं । विभिन्न मंत्रालयों से २६ विधेयकों के लिये मांग है; हमारे पास समयाभाव है अतः समय बढ़ाने के लिये सहमत होना सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम ने इस ढंग से समय को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है कि उससे वित्त विधेयक की मूल निर्धारित कार्य सूची में कोई अव्यवस्था नहीं होती । यदि माननीय मंत्री ठीक से सोचें तो इस बात को समझ सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम सरकारी कार्य-सूची में से किसी मद पर लगने वाले समय को नहीं ले रहे हैं । वित्त मंत्रालय की जिन मांगों पर चर्चा करने के लिये हम २½ घंटे का समय चाहते हैं वह भी सरकारी कार्य है । केवल समय का समायोजन किया जाना है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों आदि के समय का समायोजन करने से पहिले हम यह जानना चाहते हैं कि सरकारी कार्य पर कुल कितना समय लगेगा और क्या सदन की बैठक १ मई के पश्चात् भी होगी ।

Shri Bade (Khargon) : I support the motion moved by hon. Member, Shri Kamath, since by its acceptance Members will get more time for discussion, Private Members' Business will not be affected and Finance Bill will also be passed within scheduled time.

श्री मसानी (राजकोट) : श्रीमन्, यदि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को आगे स्थगित करने से वित्त विधेयक पर चर्चा करने के लिये हमें १७½ घंटे का समय मिलने में कोई गड़बड़ी न पड़े तो हमें इस प्रस्ताव से सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : श्रीमन्, मैं आप के द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये क्योंकि योजना और वित्त बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर चर्चा करने के लिये अधिक समय मिलना ही चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : श्रीमन्, मैं इस बात का निर्णय सभा पर ही छोड़ता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तो मुझे इसके लिये सभा का मत लेना होगा ।

प्रश्न यह है :

"कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये नियत समय को १५ अप्रैल, १९६४ से आगे बढ़ाया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

पक्ष में ६४; विपक्ष में ११८

The Lok Sabha Divided

Ayes : 64 ; Noes : 118

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived.

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS--*Contd.*

गृह-कार्य मन्त्रालय--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब गृह कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी तथा मत विभाजन होगा । श्री सुमत प्रसाद अपना भाषण जारी करें ।

श्री सुमत प्रसाद (मुजफ्फर नगर) : देश में एकता और शान्ति बनाये रखने के मामले में हम सभी अपने प्रधान मंत्री के साथ हैं । श्री नन्दा जी आदि ने जिस साहस के साथ साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान में खुन-खराबी का उद्देश्य एक ऐसी परिस्थिति को पैदा करना था जिससे कि काश्मीर का प्रश्न फिर से सुरक्षा परिषद् के सामने आ जाये । काश्मीर अन्य राज्यों की भांति ही भारत का एक अंग है और उसका भारत में अन्तिम प्रवेश हो चुका है । काश्मीर की पृथकता की बात करना हमारी एकता, प्रभुसत्ता तथा धर्मनिरपेक्षता को एक चुनौती है ।

हरिजनों का उत्थान करने के लिये उनकी आर्थिक दशा में सुधार करना अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है । उनमें से बहुत से कृषि श्रमिक हैं और उन्हें सरकार के आयोजनों और अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यवाहियों से बहुत लाभ पहुंचा है । कृषि श्रमिकों की मजूरी आज

भी निर्वाह मजूरी से कम है । सरकार को उनकी दशा में सुधार करने के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम चलाने चाहिये जिससे कि आगामी १५ वर्षों में सभी समर्थक हरिजन रोजगार पा सकें । भूमिहीन और आदिमजाति क्षेत्रों के श्रमिकों की हालत भी हरिजनों से अच्छी नहीं है ।

कहावत है कि न्याय में विलम्ब का अर्थ है न्याय से इन्कार । अब यही बात ठीक उतरती क्योंकि न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में असाधारण विलम्ब होता है । पहली और दूसरी अपीलों को तय करने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्रमशः आठ और दस वर्ष का समय लग जाता है । ऐसे भी मामले देखे गये हैं जिनमें मुकदमों के निर्णयाधीन होने के समय के दौरान सम्बन्धित दलों के व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं । इस विलम्ब को दूर करने के लिये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाये तथा अन्य उपाय किये जायें । न्याय पर आज बहुत अधिक खर्च होता है और सर्वसाधारण के लिये अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये न्यायालय की शरण लेना सम्भव नहीं है । इसका उपाय किया जाये ।

आज हमारे उत्तर और पश्चिम में शत्रु घात लगाये बैठे हैं । राष्ट्रीय आपात की इस अवधि में हम सभी को उद्योगपतियों, श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को—राष्ट्रीय एकता स्थापित किये रखनी चाहिये जिससे हम शत्रुओं का सामना कर सकें तथा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें ।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा (कचार) : आसाम के सामने एक बड़ी भारी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अत्याचार-पीड़ित शरणार्थियों को बसाने की है जिसे हम हल नहीं कर पा रहे हैं । ईसाई शरणार्थी गारो पहाड़ियों में, चाय बागान श्रमिक कचार में तथा बौद्ध शरणार्थी निजी पहाड़ियों में शरण ले रहे हैं । साथ ही एक दूसरी अवैध समस्या पाकिस्तानियों की अवैध घुसपैठ की है जो कि देश के विभाजन से पहले ही से १९३७ से चल रही है । विभाजन के पश्चात पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को देश के बाहर निकालने के लिये उचित उपाय किये जाने चाहिये थे । परन्तु सीमावर्ती राज्य आसाम की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले और उस राज्य पर अधिक बोझा डालने वाले इस मामले को सुलझाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों पर परमिट पद्धति लागू करने के बाद भी पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानियों के आने पर कोई नियंत्रणादि नहीं रखा गया और वे बे रोक टोक आते रहे। पाकिस्तान सरकार ने तो भारतीयों के पाकिस्तान में प्रवेश तथा दाखले पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी कानून लागू किये हुए हैं जिनके उल्लंघन पर कठोर दंड दिया जाता है, परन्तु भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है । १९२०–२१ में जो पासपोर्ट अधिनियम पारित किया गया था, जो कि आज बिल्कुल भी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, उसी प्रकार हमारी सरकार निर्भर है । जटिल वीसा पद्धति को कानूनी मान्यता देने का उसमें कोई उपबन्ध नहीं था । विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ऐसे बहुत से निर्णय दिये हैं जिनमें वीसा विनियमों के उल्लंघन में अवैध प्रवेश पर अथवा अनाधिकृत निवास पर पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया है । बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पासपोर्ट लेकर आये थे और अब उनका पता नहीं चल रहा है और जो नोटिसों के दिये जाने तथा समय बढ़ाये जाने पर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं ले रहे हैं ।

आसाम में पूर्वी बंगाल के ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध है । बहुत से पाकिस्तानी मुसलमान असुरक्षित सीमाओं को पार करके अथवा अनिर्धारित मार्गों से भारत में घुस आये हैं और फिर अन्दर आकर सभी ओर फैल गये हैं । ऐसे व्यक्तियों की अनुमानतः संख्या ७ अथवा ८ लाख है ।

[श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा]

१९५६–५७ से जटिल प्रक्रियाओं वाला जो विदेशी व्यक्ति अधिनियम पाकिस्तानियों के मामले में लागू कर दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है । हालांकि कुछ हजार पाकिस्तानी मुसलमान त्रिपुरा और आसाम से निकाले गये हैं परन्तु पाकिस्तानी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही से अब इस कार्य की गति मन्द हो गई है । पाकिस्तानी अखबारों में झूठा प्रचार किया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण नीति बरती जा रही है । उनका विदेशों में प्रचार अधिक प्रभावी है तथा निरन्तर चल रहा है । उस प्रचार का खण्डन करने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है । पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार की गाथा कहने वाले साहित्य वितरित करके पहिले ही से प्रचार किया जाना चाहिये था ।

गत १७ वर्षों से बहुत से अवांछनीय विदेशी हमारे देश में अनियंत्रित रूप में आते रहे हैं । आसाम में प्रत्येक मामले की जांच करने के लिये जो न्यायिक अधिकरण नियुक्त किये गये हैं उससे पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने में कठिनाई और विलम्ब होने की सम्भावना है । इस समस्या का विकराल रूप धारण करने से पहले कोई कार्यवाही न करने के लिये सरकार दोषी है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के साधनों को और अधिक मजबूत करना चाहिये । आसाम राज्य सरकार तो ६०० मील लम्बी सीमा पर निगरानी नहीं रख सकती अतः प्रशुल्क चौकियों और सशस्त्र पुलिस चौकियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये जिससे कि घुसपैठ तथा तस्कर व्यापार रुके । सैनिक गुप्तचर सेवा की भांति गृह-कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये सभी राज्यों से योग्य व्यक्ति चुनकर एक पृथक् पुलिस गुप्तचर विभाग की स्थापना की जानी चाहिये ।

उन क्षेत्रों में छोटे और बड़े उद्योग धंधे स्थापित करके लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वे खाली रहने के दुःख से मुक्त हो जायें तथा शैतानी भरे कार्य न करें । आसाम में आये शरणार्थियों को तुरन्त ही सड़क बनाने के कर्य में लगा दिया जाना चाहिये ।

शरणार्थियों के पुनर्वास की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये तथा चतुर्थ योजना में सम्भावित प्रव्रजकों के लिये भी व्यवस्था कर रखनी चाहिये ।

धार्मिक भावनाओं के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये तथा संसदीय साधनों द्वारा समाजवाद और लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक समान असैनिक संहिता बनाई जानी चाहिये ।

श्री दाजी (इन्दौर) : माननीय गृह-मंत्री ने हजरतबल दरगाह से पवित्र बाल की चोरी के मामले को तय करने में कुशलता दिखाई है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

परन्तु आज भी काश्मीर की समस्या हमारे सामने प्रमुख है । इस समस्या का प्रभाव केवल काश्मीर पर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत पर है । शेख अब्दुल्ला को रिहा करके सरकार ने जो पूर्व आयोजित जोखिम उठाया है वह कदाचित ठीक हो, परन्तु उस जोखिम को उठाने के लिये जो अनुमान किया गया है वह कुछ संदेहास्पद बात प्रतीत होती है । संविधान के अनुसार भारत के किसी भी राज्य और विशेषकर काश्मीर को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि वह भारत के साथ रहेगा अथवा नहीं । पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा आक्रमण किये जाने पर उन्होंने भारत में अपना विलय किया था और उसके पश्चात आक्रमण के विरुद्ध भारत से सैनिक सहायता ली थी । अब वे विलय की इस बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ।

काश्मीर के मामले में हमारे विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया जा रहा है। मुझे खेद है कि स्वतंत्र दल के कुछ भारतीय राजनीतिज्ञ भी काश्मीर को आत्म-निर्धारण का हक देने की बात करते हैं जो कि अनुचित है। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा था कि यदि पाश्चात्य देश काश्मीर के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र न कर रहे होते और पाकिस्तान को उनका समर्थन प्राप्त न होता तो काश्मीर की समस्या कभी की हल हो गई होती। इस समस्या पर विशेष अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि यह केवल काश्मीरियों की ही समस्या नहीं अपितु भारतीय एकता को एक चुनौती है।

आजकल हमारे सामने दूसरी महत्वपूर्ण समस्या साम्प्रदायिक दंगों की है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है उसे भूला नहीं जा सकता, उसे बर्बरता अथवा कत्ले आम आदि कोई भी नाम दिया जा सकता है।

हमारे गृह कार्य मंत्री ने जिस दक्षता और कुशलता से साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी स्थिति को सम्भाला है उससे उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करके दिखाया है जिसके लिये वह प्रशंसनीय हैं।

रूरकेला, रांची, जमशेदपुर और रायगढ़ में श्रमिकों के बीच जो दंगे हुए हैं उनसे मुझे खेद पहुंचा है। उन सबके पीछे कोई इरादा और योजना मालूम पड़ती थी और यह अचानक ही होने वाला जन विद्रोह नहीं प्रतीत होता था।

मैं कुछ उपयुक्त प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या कारण है कि वहां का प्रशासन इस सम्बन्ध में पूर्व अनुमान लगाने में असफल रहा जब कि वह यह जानता था कि वहां से शरणार्थियों की गाड़ी गुजरने वाली है। पुलिस की गुप्तचर सेवा बिलकुल बेकार सिद्ध हुई। तीन चार दिन बिलकुल कलकत्ते जैसी हालत रही। कुछ कारखानों में दंगा करने वाले लोगों में शस्त्र इत्यादि बांटे गये। यह भी पता चला कि हथियार बनाये भी जाते रहे। प्रशासन कुछ न कर सका। पुलिस भी मुंह ही देखती रह गयी। यहां तक की उन्होंने दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने में भी हिचकिचाहट दिखाई। आखिर यह सब क्यों? यह सब लोकतंत्री व्यवस्था में हुआ। यह भी आरोप है कि टाटा फैक्टरी ने छोटे छोट हथियार बनाने की अनुमति दी और यह दो तीन दिन तक बराबर बनते रहे। स्वयं बिहार के मुख्य मंत्री ने इन शस्त्रों को पकड़ा यह बड़ी भयंकर बात है और मैं यह सब बातें गृह कार्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं ताकि वह इस बारे में कोई निर्णयात्मक कार्यवाही कर सकें।

इसके अतिरिक्त जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है वह यह है कि केवल निवारक साधन है काफी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यह दंगे हुए हैं उनके पीछे स्पष्ट रूप से एक विचारधारा कार्य कर रही है। वह बड़ी खतरनाक विचारधारा है और उसे, 'हिन्दुराष्ट्र ही' क्यों नाम की पुस्तक में छापी गयी है। आज इस देश में उन सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस विचारधारा का खण्डन किया जाना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो लोकतंत्र तथा समाजवाद यहां पनप नहीं सकता। इस विचारधारा का प्रचार जो संगठन कर रहा है। उसका विश्वास है कि इस देश में रहने वाले सभी यहूदी, पारसी, मुसलमान और ईसाई भारत के हिन्दुओं का दया के सहारे ही जीवित हैं। मेरे विचार में इस तरह के खतरनाक प्रचार करने से ही दंगों को हवा मिलती है। मेरा निवदन यह है कि इस समस्या को जहां हमें प्रशासनिक रूप से हल करना

[श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा]

होगा वहां राजनीतिक स्तर पर भी इस समस्या को हल करना होगा। गृह कार्य मंत्री को इस प्रकार की विचारधारा के प्रचार करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

यह सुझाव दिया गया है कि जनसंख्या की अदला बदली भारत और पाकिस्तान के बीच कर ली जानी चाहिये। मेरे विचार में यह सुझाव बहुत ही शरारत पूर्ण है और इसका भारी विरोध किया जाना चाहिये। जो लोग इस सुझाव को प्रस्तुत कर रहे हैं वह देश में भयंकर गड़बड़ लाना चाहते हैं। मेरे विचार में सरकार को इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। जो लोग देश की मूल भूत नीति जो कि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, पर प्रहार करें उन्हें तुरन्त कानूनी कार्यवाही द्वारा ऐसा करने से रोका जाना चाहिये। हमारे प्रशासन को भी इस मामले में काफी जागरूक होना होगा। ऐसी सभायें करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जिसमें यह मांग की जाय कि भारत देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाय। हमें यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि यदि हम देश में समाजवाद अथवा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें जनसंघ जैसी संस्थाओं की राजनीतिक चुनौती स्वीकार करनी ही होगी।

अन्य बात जिसकी ओर मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। वह स्वयं भी यह कह चुके हैं कि वह दो वर्षों में देश भर से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। मेरे विचार में यह कोई ऐसा रोग नहीं जिसका उपचार दो वर्षों में हो जायेगा। फिर भी मेरा यह कहना है कि संतानम समिति प्रतिवेदन से अच्छा वातावरण बनेगा। उसमें कमियां हैं फिर भी उसने रोग का कुछ उपचार तो बताया है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि जब तक राजनीतिक दलों और व्यापारी संस्थाओं के बीच के गठ बन्धन को समाप्त नहीं कर दिया जाता, देश भर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना असम्भव है। ऐसे उदाहरण हैं कि सेवा निवृत्त होकर बड़े बड़े सरकारी अफसर व्यापारी सार्थों में कार्य करने लगते हैं। वह सरकारी दफतरों की जानकारी का लाभ फर्मों के मालिकों को देकर स्वयं पैसा प्राप्त करते हैं। मेरे विचार में इस बात को भी रोकने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिये। कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने जो शब्द कहे हैं उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जनता में जो यह धारणा फैल गयी है कि भ्रष्टाचार सब जगह व्यापक हो गया है, और यह बड़ी खतरनाक बात है। इससे लोकतंत्र को बहुत हानि पहुंच सकती है। मेरा सुझाव है कि न्यायाधिकरण नियुक्त किये जाने चाहियें ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। चौकसी आयोग से बहुत अधिक काम नहीं हो सकेगा जब तक आप ऊपर से बीमारी का इलाज नहीं करेंगे यह नीचे से नहीं जायेगी। मेरा कहना है कि सत्तारूढ़ व्यक्तियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप दबाये नहीं जाने चाहियें। उनकी जहां तक हो सके उचित जांच पड़ताल की ही जानी चाहिये। जब तक प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती।

अब मैं एक दो छोटी छोटी बातें कहता हूं सरकार को प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। उनके कर्मचारियों के लिए जल्दी से और अच्छा काम मिलने का सुनिश्चय

होना चाहिए । उन सबको सामान्य सर्वक्षमा दी जानी चाहिए जिन्होंने १९६० में हड़ताल में भाग लिया था । किसी परामर्शदाता व्यवस्था का इन्तजाम होना चाहिए ताकि कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर ठीक से कार्यवाही की जा सके ।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश से आपात को समाप्त कर दिया जाना चाहिये । जो लोग आपात की घोषणा के बाद गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिये । उनके मामलों पर फिर से विचार किया जाना चाहिये । जब हम ६ करोड़ रूपये खर्च करके षड्यन्त्र के मामले के अभियुक्त रिहा कर सकते हैं तो उन लोगों को रिहा करना क्या कठिन है जिन्हें भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं है । सम्भव है कि हमारे देश के लिए पाकिस्तान और चीन का खतरा काफी समय तक बना रहे। परन्तु सरकार को अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिये और संकट की स्थिति को समाप्त कर देना चाहिये । यह बात स्पष्ट है कि आज संकट की स्थिति हमें केवल कानून में ही दिखाई देती है परन्तु सरकार के काम में उसकी कोई झलक दिखाई नहीं देती।

आज देश की एकता की ओर बहुत अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । हमें अपने सामने गांधी जी का आदर्श रखना होगा । समाजवाद और सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य होना चाहिये और इसी लक्ष्य को जनता के सामने रख कर प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये यदि हम इन आदर्शों पर चलेंगे तो हम अपने देश को काफी आगे ले जा सकेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKEKR *in the Chair*]

यद्यपि आज बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय जगत के मित्र कुछ बेरूखी दिखा रहे हैं परन्तु यदि हम एक एकता के साथ अपने आदर्शों को सामने रख कर चलते रहे तो हम इस संकट पर काबू पा लेंगे और एक नये समाजवादी भारत का निर्माण कर सकेंगे । जिसकी ओर हम निरन्तर शलाघा की दृष्टि से देख सकेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : आज हमारे गृह-कार्य मंत्री पर बहुत भारी जिम्मेदारी है । उन्हें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय करने पड़ते हैं और कई निर्णयों को कड़ाई के साथ कार्यान्वित करना पड़ता है । मेरा निवेदन है गृह मंत्री ने मंत्रालय का भार संभालने के बाद अच्छी तरह काम आरम्भ किया था लेकिन वह भी पुराने दलदल में फंस गये हैं । नौकरशाही व्यवस्था वही रही है और इसे बदलने या सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में बुद्धि है ही नहीं । प्रधान मंत्री के बीमार होने से कोई भी व्यक्ति कोई निश्चय नहीं करता है । सरकार ने वचन दिया था कि मंत्री मण्डल सुव्यवस्थित किया जायेगा लेकिन यह नहीं किया गया है । फिर भी पुनर्वास के लिए अलग मंत्री नियुक्त करने का स्वागत है । इस बारे में हाऊस ने तो कई बार मांग भी की थी परन्तु कुछ एक आध व्यक्ति के शामिल कर लेने अथवा निकाल देने से मंत्री मंडल योग्य नहीं बन जाता । आज भी जो खर्च की मांगें मंत्री मंडल सचिवालय की ओर से रखी गयी हैं वह बहुत ज्यादा हैं । खर्च काफी बढ़ा है यद्यपि बचत का आश्वासन दिया गया था । इसी तरह राज्यपाल के पदों के बारे

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

में भी स्थिति यही है इन पदों का कोई लाभ नहीं है राज्यों में यह पद तुरन्त समाप्त कर दिये जाने चाहिय राज्यों में राज्यपाल पद समाप्त होने चाहिय। उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नियम नहीं बनाये गये हैं और वे अपने ही ढंग से राज्यों को चला रहे हैं। भूतपूर्व शासकों और शेष नागरिकों के बीच भी अनियमितता भी समाप्त की जानी चाहिये। वैसे भी देश के कल्याण और समाजवादी समाज के निर्माण की दृटि से यह जरूरी है कि बड़े बड़े राजाओं की यह निजी थैलियां समाप्त कर दी जांय। यह बात तो उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार की है कि भूतपूर्व राजा महाराजाओं तथो देश के बाकी नागरिकों में अन्तर अब चलता नहीं रहना चाहिए। आप समाजवाद की बातें करते हैं परन्तु अमली तौर पर आप कुछ भी नहीं कर रहे।

सेवाओं की ओर से भी शिकायत है कि केन्द्रीय सचिवालय के सदस्यों की पदोन्नति के नियमों का पालन नहीं होता। १९६२ के पेनल में नाम वाले लोगों को पदोन्नति नहीं दी गयी है और उसके बाद कोई पेनल नहीं बनाया गया है। केन्द्रीय सचिवालय में १० हजार व्यक्ति काम करते हैं और इसमें कठिनाई यह आती है कि बड़े बड़े अधिकारी जब छुट्टी पर जाते हैं तो उनकी वापिसी पर महीनों उनको काम पर नहीं लगाया जाता। परन्तु वह अपना वेतन और भत्ता लेते रहते हैं। मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि उन्हें केवल राजनीतिक निर्णय करने में भी अपना समय नहीं लगाते रहना चाहिए। प्रत्युत प्रशासन के साथ सम्बन्ध रखने और बहुत आवश्यक मामलों पर भी ध्यान देना चाहिये।

अभी हाल ही गृह मंत्री महोदय द्वारा भारत-पाक गृह मंत्री सम्मेलन का हाल हमने सुना है मेरे विचार में अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। स्पष्ट ही था कि पाकिस्तान के वर्तमान शासकों का हृदय बदलना सरल नहीं है। यह सम्मेलन आगे भी होगा। आशा तो नहीं इसका परिणाम निकले परन्तु यदि कोई अच्छा परिणाम निकल आये तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध मैत्री पूर्ण हों। परन्तु साथ ही वर्तमान स्थिति को भी भूलना नहीं चाहिये। पाकिस्तान बहुत बड़ी राजनीतिक चाल खेल रहा है।

पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को जामिनों के रूप में रख रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रख कर कि पाकिस्तान चीन से मिल कर कार्यवाही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे विवादों का कोई भी आंशिक हल निकलना संभव नहीं है। आसाम में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के अवैध रूप में आ जाने से बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे लोगों को राज्य से निकालने में सरकार को दृढ़ रहना चाहिये। सरकार को बताना चाहिए कि शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का दफ्तर बन्द करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी जबकि वह जासूसी का काम कर रहा है। पाकिस्तान से आ रहे लोगों को समुचित सुविधायें न मिलने के कारण उन्हें काफी कष्ट हो रहा है। वहां महिलाओं का अपहरण भी हो रहा है। मैंने यह सुझाव दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास या अन्य किसी संगठन से प्रार्थना की जानी चाहिए कि वह पूर्वी पास्किताान में अगवा की गई औरतों के प्रश्न पर जांच करें। वहां की पूरी सूचना प्राप्त न होने के कारण लोगों में काफी परेशानी है। इसके साथ ही सीमा के साथ साथ रहने वाले लोगों की सुरक्षा स्थिति भी काफी गम्भीर हो गयी है। क्या हम उनकी सुरक्षा के लिये कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? मेरे विचार में जो लोग सीमा के साथ साथ रहते हैं उन्हें पाकिस्तानी गुंडों का मुकाबला करने के लिये शस्त्र दिये जाने चाहिये।

जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिये हमें संसार का जनमत भी तैयार करना चाहिये। संसार को बताना चाहिये कि पाकिस्तान क्या अत्याचार कर रहा है। काश्मीर का प्रश्न भी पुनः सुरक्षा परिषद के समक्ष आ रहा है। इस प्रश्न पर हमें बड़ी दृढ़ नीति अपनानी चाहिये। श्री चागला सुरक्षा परिषद में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। शेख अब्दुल्ला को मुक्त करने से नयी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इस बात को मैं नहीं मानता यदि सरकार के पास शेख के मुकदमे में कोई सबूत नहीं थे तो दस बरस तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिये था। उन्हें जेल में रख कर सरकार ने बाहर की दुनिया को यह विचार दिया है कि उन्हें जबरदस्ती नज़रबन्द रखा गया। एक बात निश्चित है कि काश्मीर को भारत को पूरी तरह मिला दिया जाना चाहिये। यह अच्छा होता यदि संविधान के अनुच्छेद ३७० को शेख अब्दुल्ला के छोड़े जाने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता। काश्मीर का दर्जा भारत संघ में वही होना चाहिये जो कि अन्य राज्यों का है। सभी प्रकार के देश के कानून काश्मीर पर भी लागू होने चाहिये।

देश में साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिये। इस बात पह विचार करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे देश में साम्प्रदायिकता को हवा देने वाली जो कहानियां चल रही हैं वह लज्जापूर्ण हैं। परन्तु अब तो यह प्रश्न हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा नहीं है। ईसाइयों पर भी अत्याचार किये गये हैं। यह तो एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है और हमें इस से इसी दृष्टि से देखना चाहिये यह एक राष्ट्रीय चुनौती है। किसी दल का प्रश्न नहीं है अतः किसी भी बात को छिपाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। यह अच्छी बात है कि श्री नन्दा इस मामले में काफी जागरुक हैं और वह प्रत्येक स्थान पर स्वयं स्थिति को देखने के लिये गये हैं जहां पर कि दंगे हुए हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि तत्सम्बन्धी समस्याओं का हल तलाश किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जो धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन करते हैं उन्हें उचित दंड देने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

रूरकेला, जमशेदपुर आदि क्षेत्रों में, वहां पर हाल में हुए दंगों के परिणामस्वरूप प्रशासन समाप्त हो गया था। श्री जयप्रकाश नारायण--जो उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गये थे--के पत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन दंगों के पीछे किसी दल का हाथ है। वही दल सारा समाज विरोधी कार्यवाहियां और साम्प्रदायिकता फैलाने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वहां पर किसी प्रकार की व्यस्था नहीं है। तरह तरह की कहानियां सुनने में आ रही हैं। लोग हजारों की संख्या में स्टेशन पर जमा हो गये थे। अनेक स्थानों पर पुलिस अश्रुगैस का प्रयोग करने के बावजूद भी वहां धारा १४४ नहीं लगाई गई। बहुत से कांग्रेसी इन दंगों के लिए उत्तरदायी पाये गये किन्तु उनका प्रभाव होने के कारण उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकी। राज्य सरकार ने इन साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। इसका ज्वलन्त उदाहरण यह है कि उड़ीसा के गृह मंत्री ने विधान सभा में जो वक्तव्य दिया उसमें यह स्वीकार किया कि रूरकेला में उपद्रव हो रहेहैं। किन्तु वे उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों को देखने के लिये एक बार भी नहीं गये। वे इन उपद्रवों के लिए हिन्दुस्तान मजदूर सभा को दोषी मानते हैं, जो बात बिल्कुल निराधार है।

इन दंगों को दबाने के लिए रांची से सेना मंगाई गई। सेना २१ तारीख को वहां पर पहुंची और उसी दिन दोपहर को ३ बजे वहां पर कर्फ्यू लगाया गया। वहां पर ता० १९ से २१ तक काफी लोग मारे गये। इन दिनों वहां पर अराजकता छाई रही। श्री नन्दा इस बात से इन्कार नहीं कर

[श्री सुठेन्द्रनाथ द्विवेदी]

सकते हैं कि इस अराजकता के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी है क्योंकि स्थिति का पूरा ज्ञान होने पर भी उसने दंगों को रोकने के लिये किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। देश में इस प्रकार के राज्य को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री नन्दा को राष्ट्रपति से सिफारिश करनी चाहिए थी कि वहां पर राज्य सरकार का प्रशासन समाप्त कर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये। इन दंगों के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों।

यह खेद की बात है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने रूरकेला में हुए दंगों के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और हिन्द मजदूर सभा को दोषी ठहराया है जब कि वास्तविकता यह है कि हिन्द मजदूर सभा के सचिव ने वहां पर शान्ति स्थापित करने के लिये काफी सहयोग दिया है और वहां पर मुसलमानों की रक्षा की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने में असमर्थ है तो उसे साम्प्रदायिकता समाप्त करने तथा अन्य राजनैतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने की बात नहीं करनी चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार समाप्त करने का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा केवल झूठे आश्वासन दिये जाने से समस्या हल नहीं हो सकती है। इसके लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है तो प्रशासन को किसी राजनैतिक दबाव में न आकर दृढ़तापूर्वक भ्रष्टाचार के अभियोगी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में संथानम समिति की सिफारिशें सरकार के सामने हैं। सरकार को इन सिफारिशों को लागू करना चाहिये और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इन सिफारिशों को लागू करने में क्या कदम उठा रही है।

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के बारे में सभा में बार बार प्रश्न पूछे जाने के बावजूद भी सभा को वास्तविकता की जानकारी नहीं दी गई है। कम्पनी की बहियों से पता चलता है कि इस मामले में मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्री भी दोषी पाये गये हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने कम्पनी से अवैधिक रूप से धन लिया है। किन्तु सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार को इस कम्पनी से सम्बन्धित तथ्यों को सभा के सामने रखना चाहिए। इस कम्पनी के रजिस्टरों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए और आयोग की उपपत्तियों के अनुसार दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह मामला सदा के लिए समाप्त हो जाये।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : आज देश में चारों ओर विद्यमान भ्रष्टाचार की समस्या बहुत गम्भीर है। सन्थानम समिति के प्रतिवेदन से बहुत से भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले सामने आये हैं।

आज स्थिति यह है कि बिना किसी प्रकार के दबाव डाले अथवा किसी कुप्रथा का सहारा लिये सरकारी दफतरों में कोई काम नही करवा सकते हैं। सरकार के प्रशासन का ऊंचे से ऊंचा अधिकारी भी आज जनता द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार सरकार जन साधारण का विश्वास खो रही है। प्रशासन का प्रत्येक अधिकारी आज लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि बड़े पदाधिकारियों तथा मंत्रियों के कितने सम्बन्धी गैर-सरकारी समवायों में अधिक वेतन पाने वाले पदों पर काम कर रहे हैं।

यदि श्री नन्दा अपने इस वचन को पूरा करना चाहते हैं कि दो वर्ष में भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा तो उन्हें इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी होगी ।

सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सतर्कता विभाग बनाया है किन्तु इस पर अनेक नियंत्रण रखे गये हैं। जिससे यह स्वतन्त्रता पूर्वक प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता है । यदि यही स्थिति रही तो यह विभाग भाई भतीजावाद समाप्त करने में कभी सफल नहीं हो सकता है । भाई भतीजावाद भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है जो इस समय प्रशासन में व्यापक रूप से विद्यमान है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

यह दुःख की बात है कि आज भी देश की राजनीति में भाषावाद और जातिवाद का बोलबाला है । कुछ राज्यों में मंत्री स्तर पर भी जातिवाद का ही प्रभुत्व है और जाति के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाती हैं । इससे राष्ट्र की एकता को खतरा बना हुआ है ।

यद्यपि भारत से सम्बन्ध विच्छेद करके अलग स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की मांग करना संवैधानिक रूप से दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है किन्तु फिर भी काश्मीर तथा नागालैंड को अलग राज्य बनाने की जोरों से मांग की जा रही है । इस प्रकार की मांग को कानून द्वारा नहीं रोका जाता है अपितु इसके लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें जनता में देश की अखंडता की भावना हो ।

काश्मीर का मामला हमारा आन्तरिक मामला है, इसलिए इससे सम्बन्धित मामलों के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बजाय गृह-कार्य मंत्रालय को कार्यवाही करनी चाहिये ।

यद्यपि शेख अब्दुल्ला रिहा कर दिये गये हैं क्योंकि सरकार के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था, किन्तु सरकार को अब इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि काश्मीर के एकीकरण का प्रश्न फिर न उठाया जाये। काश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के सम्बन्ध में राज्य विधान सभा तथा संसद को जो भी वैधानिक कार्यवाही करनी है, उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ।

भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है । यहां प्रत्येक नागरिक को समान, अधिकार प्राप्त हैं चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो । यहां पर साम्प्रदायिक दंगों का होना दुःख की बात है चाहे पाकिस्तान में हुए साम्प्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप ही इन दंगों की आग भड़की हो। किन्तु यह आशा करना भी व्यर्थ है कि पाकिस्तान द्वारा बारबार उत्तेजनात्मक कार्यवाही करने पर भी भारत की जनता चुप रहे। भारत में भी मुसलमानों ने पहले उत्तेजनात्मक कार्य किये । कलकत्ता में हुए दंगे केवल पूर्वी पाकिस्तान में हुए दंगों की प्रतिक्रिया मात्र नहीं हैं । वास्तविकता यह है कि वहां दंगे उस समय आरम्भ हुए जब कि विद्यार्थियों के एक जलूस पर बिना किसी उत्तेजना के मुसलमानों ने आक्रमण किया और सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की अथवा नहीं कर सकी । रूरकेला में हुए दंगों में भी पहले मुसलमानों ने हिन्दुओं पर आक्रमण किया । यदि सरकार इन दंगों को रोकने के लिए उचित समय पर कार्यवाही करती तो दंगे काफी सीमा तक रोके जा सकते थे ।

९ जनवरी, १९६४ को कुछ शरारती मुसलमानों ने 'पार्क सर्कस पण्डाल' पर आग लगा दी थी किन्तु गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री महोदय ने १ अप्रैल, १९६४ को इस सभा में दिये गये वक्तव्य में कहा है कि आग शार्ट सर्किट होने से लगी थी । सरकार शरारती लोगों को दण्ड

[श्री अ० चं० गुह]

देने के स्थान पर उनके कारनामों पर पर्दा डाल कर उन्हें प्रोत्साहन देती है। अतः निराश हो कर जनता ने स्वयं कार्यवाही की।

काला बागान बस्ती जलायी गई और वहां मलवे में एक शक्तिशाली ट्रांजिस्टर मिला है। जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। देश के प्रत्येक भाग में पाकिस्तानी एजेण्ट भारत विरोधी कार्यवाहियों में लगे हुए हैं। अपी हाल में लखनऊ में गोला बारूद बनाने के एक कारखाने का पता चला है जिसे पाकिस्तानी एजेण्ट चला रहे हैं। यह दुःख की बात है कि सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में असफल रही है।

आसाम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में अवैध रूप से आने वाले मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आसाम में भी प्रायः नागालैंड अथवा काश्मीर जैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। इन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होना देश के लिये खतरे की बात है।

सरकार पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्र को खाली करवाना चाहती है। इस क्षेत्र में घनी आबादी है। सरकार के सामने इन लोगों को बसाने की समस्या भी गंभीर है।

यह ठीक है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है परन्तु हम इस आदर्श के पीछे देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। भारत को अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों तथा भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी एजेंटों से विशेष कर खतरा बना हुआ है। मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्रालय इस समस्या का कोई हल निकालेगा।

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर) : हालांकि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सतर्कता समितियां बनाई गई हैं परन्तु भ्रष्टाचार और भी बढ़ गया है। मैंने पिछली बार यह सुझाव दिया था कि महत्वपूर्ण अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्यों को भेजा जाये ताकि देश के समूचे प्रशासन में सुधार हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्र से कुछ अधिकारी जम्मू तथा काश्मीर राज्य को स्थानान्तरित किये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के नये मुख्य सचिव बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं।

कलकत्ता से मुझे इस आशय का एक ज्ञापन पत्र मिला है कि पुलिस अधिकारियों तक ने साम्प्रदायिक दंगों में हस्तक्षेप नहीं किया। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। इन दंगों को दबाने के लिये हमें सेना को नहीं बुलाना चाहिये यह ठीक है कि सेना ने बहुत अच्छे ढंग से स्थिति को संभाला है परन्तु एक सभ्य राष्ट्र के लिये ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं। पुलिस अधिकारियों को उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जो सैनिक अधिकारियों को दिया जाता है। मेरा सुझाव हैं कि पुलिस अधिकारियों तथा सैनिक अधिकारियों को एक ही कालेज में प्रशिक्षण दिवा जाना चाहिये और उनकी आपस में अदला बदली की जानी चाहिये ताकि पुलिस एक सबल और अनुशासित दल के रूप में काम कर सके।

ये साम्प्रदायिक दंगे देश के विभाजन का परिणाम है। काश्मीर समस्या भी उसी का परिणाम है : हम सरकार द्वारा शेख अब्दुल्ला की रिहाई का स्वागत करते हैं परन्तु यह

समझ में नहीं आता कि वे परस्पर विरोधी भाषण क्यों दे रहे हैं, जबकि १९४७ में उन्होंने भारत का निर्भीकतापूर्ण समर्थन किया था। हमने १९५८, १९५९ और उसके बाद १९६२ तथा १९६३ में शेख अब्दुल्ला को रिहा करने की मांग की थी। उस समय काश्मीर में बहुत मजबूत सरकार थी। परन्तु मुझे नहीं मालूम कि उस समय राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के रास्ते में उन्हें रिहा करने में क्या अड़चन थी। मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल शेख अब्दुल्ला ही काश्मीर के एक नेता नहीं हैं। भारत प्रभुत्व सम्पन्न देश है और प्रभुत्व सम्पन्नता अविभाज्य होती है। अतः काश्मीर के प्रश्न का केवल काश्मीरी जनता ही निर्णय नहीं कर सकती अपितु समूचे राष्ट्र ने इस प्रश्न का निर्णय करना है।

शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि काश्मीर में निर्वाचन ठीक तरह से नहीं हुए थे। उन्होंने काश्मीर के भारत में अन्तिम विलय के बारे में भी आपत्ति की है। उन्होंने स्वयं १९४८ में सुरक्षा परिषद् में कहा था कि हम सुरक्षा परिषद् में यह सिद्ध करना चाहते हैं कि काश्मीरी जनता विधि में तथा संवैधानिक रूप में भारत के साथ मिल गई है और पाकिस्तान को इस बारे में आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। ५ नवम्बर, १९५१ को उन्होंने काश्मीर विधान सभा में विभिन्न दृष्टिकोणों से काश्मीर के भविष्य के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने काश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने या उसे एक स्वतन्त्र देश घोषित करने के विरुद्ध तर्क दिये थे और भारत के साथ विलय का समर्थन किया था; काश्मीर के प्रधान मंत्री तथा नेशनल कांफ्रेंस के प्रेसीडेंट की हैसियत से उन्होंने ये उद्गार प्रकट किये थे। ६ फरवरी, १९६४ को विधान सभा ने उस निर्णय को स्वीकार किया था और काश्मीर राज्य के भारत के साथ विलय की पुष्टि कर दी थी। १९५३ में शेख अब्दुल्ला ने निराशा, आर्थिक संकट और विदेशी प्रभाव के कारण भिन्न बातें कहना आरम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पद से हटाना पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया। अब जेल से रिहा किये जाने के पश्चात् उन्होंने अजीब भाषण देने आरम्भ कर दिये हैं। उनकी नजरों में भारत तथा पाकिस्तान बराबर हैं। मेरा निवेदन है कि यदि इस मामले में कोई उचित कार्यवाही नहीं की जायेगी तो यह सीमान्त राज्य समाप्त हो जायेगा। भारत यह सहन नहीं करेगा कि काश्मीर इसके हाथ से जाता रहे। काश्मीर की अधिकांश जनता भारत के साथ है। बख्शी गुलाम मुहम्मद के पद त्यागने से यह सब गड़बड़ पैदा हुई है। यह कामराज प्लान मद्रास में भी सफल नहीं हुई है। मद्रास निगम के चुनावों में कांग्रेस द्रविड़ मुनेत्र कषगम से हार गई है। यदि काश्मीर भारत से पथक् हो गया तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम की भारत से पृथक् होने की मांग को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अतः सरकार को इस मामले में पूरी सावधानी बरतनी चाहिये।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : प्रधान मंत्री के भाषण तथा भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के सम्मेलन से यह आशा बंधी थी कि अल्पसंख्यकों की समस्या शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जायेगी और दोनों देशों में अल्पसंख्यक चैन से रह सकेंगे। परन्तु आसाम में अवैध रूप से आये हुए लोगों के प्रश्न पर दोनों देशों के गृह मंत्रियों में मतभेद हो गया और इस प्रश्न के कारण सारा मामला खटाई में पड़ गया। मैं इसके लिये गृह-कार्य मंत्री को दोष नहीं देता परन्तु मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आसाम में घुस आये पाकिस्तानियों के प्रश्न पर सहानुभूति के साथ तथा एक माननीय समस्या के रूप में विचार करें। जो सहानुभूति पूर्वी बंगाल से आये अल्पसंख्यकों के प्रति दिखाई गई है वही सहानुभूति इन लोगों के साथ भी दिखाई जानी चाहिये। यह प्रश्न सीमा के दोनों ओर रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए बहुत

[श्री बदरुद्दुजा]

महत्व रखता है। १९५१ की जनगणना से पहले, १९५० में, आसाम में, गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए थे जिनके कारण कई लाख मुसलमान पाकिस्तान चले गये थे। अतः १९५१ की जनगणना में मुसलमानों की सही संख्या नहीं दी जा सकी थी। इसी प्रकार १९६० में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर आसाम में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। १९६१ में जो जनगणना हुई उसमें मुसलमानों की सही संख्या दी गई है परन्तु इस दस वर्ष की अवधि में जो मुसलमान पाकिस्तान चले गये थे, वे वापस लौट आये हैं। आसाम में मुसलमानों की संख्या में अधिक वृद्धि का यही कारण है। भारत और पाकिस्तान कुछ समय पहले एक ही देश के अंग थे और इन दोनों के आपस में भाषा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अटूट सम्बन्ध है। दोनों देशों में एक दूसरे के सम्बन्धी रहते हैं। अतः सरकार को दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिय।

काश्मीर के बारे में शेख अब्दुल्ला ने जो बातें कहीं हैं, मुझे उन बातों से कोई प्रसन्नता नहीं हुई है क्योंकि इसका भारतीय मुसलमानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। काश्मीर के बारे में जो भी निर्णय किये गये थे उनमें भारतीय मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। मेरा केवल यही निवेदन है कि काश्मीर के बारे में कोई ऐसा निर्णय न किया जाये जिसका भारत के मुसलमानों पर बुरा प्रभाव पड़े।

मुझे पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ पूरी सहानुभूति है। अपने निजी हितों के कारण भी भारतीय मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति है। परन्तु यह खेद का विषय है कि इस देश में भी हम पिछले १७ वर्षों में मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं कर सके हैं।

हम सदा सुरक्षा के लिए सरकार की ओर देखते रहे हैं। यहां राजनीतिज्ञों और समाचारपत्रों ने भड़कीली बातें कह कह कर मुसलिम अल्पसंख्यकों के प्रति आशंका की भावनाएं पैदा कर दी हैं। धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांत भी इस नर-संहार को नहीं रोक सके। मैं यह कभी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने घोर अपराध किये। मैं उन द्वारा किये गये अमानवीय अत्याचारों की घोर निन्दा करता हूं। मैं बृहत्तर बंगाल, बृहत्तर भारत और समृद्ध भारत का समर्थक हूं।

मैं दोनों ओर के बहु संख्यक लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे स्थिति को जटिल न बनाएं। यदि दोनों ओर की बहुसंख्यक जातियां कुछ धैर्य से काम लेती और ऐसा मानसिक सतुलन बनाये रखती जैसा दोनों देशों के गृह मंत्रियों ने दिखाया है तो स्थिति कब की सुधर चकी होती।

यहां यह संकल्प पारित किया गया है कि पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के बारे में विश्व को बताया जाए। मैं तो विश्व चेतना को जगाने का साहस नहीं रखता किन्तु मैं यहां के बहुसंख्यक लोगों की भावना जगाना चाहता हूं और सकार को बताना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों की स्थिति दयनीय है।

मैं गृह मंत्री की अभ्यवेदना करता हूं कि उन्होंने सख्त कार्यवाही करके मुसलमानों में विश्वास की भावना जगाई है।

नेहरू लियाकत संधि में मेरा विश्वास नहीं है। मैं यह विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि भारत या पाकिस्तान दूसरे देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों का संरक्षण कर सकते हैं। विश्व इतिहास साक्षी है कि जब स्पेन से भूरे लोगों को निकाला जा रहा था तो तुर्क और मुगल भी उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। अतः भारत के मुसलमान पाकिस्तान से अपने संरक्षण की आशा नहीं कर सकते।

मैं फिर गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे साहस से काम लें और अंधकार तथा तबाही की शक्तियों को पनपने न दें। प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे बुद्ध चेतन्य; महात्मा गांधी, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की महान परम्परा को सशक्त बनाएं और इस समस्या को इस ढंग से हल करें कि देश में व्याप्त असंतोष और निराशा छिन्न भिन्न हो जाए।

Shri R. S. Pandey (Guna): The situation through which our country is passing demands vigilence, courage and strength to be displayed by us. We are endeavouring for the objectives of the security of our sovereignity, planned development, socialistic pattern of life and social and judicial justice for the citizens, for the last 17 years. We should not give way to any obstruction that hinders our endeavours. The Home Minister has promised that internal security and peace would be maintained and corruption would be eradicated within two years. It is welcomed.

In release of Sheikh Abudullah has created a political upheaval in the country. He is now pleading for self determination, against the time and situation. He wishes to solve the problem in a tripartite meeting consisting of Pakistan, Kashmir and India. Shri Lal Bahadur Shastri was astonished to hear it. But I may submit that the decision we have already taken about Kashmir is irrevocable. Kashmir is an integal part of India. No. part of this land has the right to secede. May be that Kashmir is the home of Sheikh Abudullah but it is also the home of 44 crores of people. That is the part of our culture as well.

Shri Badrudduja has said that he is much concerned with the plight of the muslims. I assure him that till there is congress Government every muslim would be protected. This is a secular country. We have extended our hands of friendship towards Pakistan as well despite the fact that Shri Ayub and Shri Bhutto are throwing threats upon us. The communal ferver created in Pakistan is against the very hurmany. Shri Golwalkar has said in his book entitled "Why a Hindu Rashtra" that a person who is not Hindu, has no right to be the citizen of India.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): One who does not follow the traditions of India has no right to be the citizen of India. Please read it full.

Shri R. S. Pandey: The agents of Pakistan had worked in Hazrat Bal incident, because they wished to inflame communal riots in Pakistan. Consiquently there were disturbances in Pakistan.

11 lakhs of Pakistan infiltrants have entered India and Home Minister should come forward with the assurance to the effect that these infiltrants would be expelled by a particular date. He should take stringent measures in this connection.

The communalists are creating communal atmosphere in the transit camps where the refugees are being received. Government should be vigilent about two dangers, one form the communalists and the other form the communists. All the communalist parties should be banned. We are wedded to democracy and this should be saved at all costs.

श्री मी० र० मसानी (राजकोट) : स्वतंत्र समाज में इस बात का बहुत महत्व है कि लोगों को सचाई का पता लगे। आज मैं दो मामलों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी सचाई का पता लोगों को लगना चाहिये। एक तो श्री डांगे के पत्रों की बात है जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में हैं और दूसरी (पीकिंग बनाम दिल्ली) 'पीकिंग वर्सेस दिल्ली" नामक पुस्तक को निषिद्ध करने के बारे में है ।

माननीय मंत्री का कथन है कि यह उसका उत्तरदायित्व नहीं है कि वह पत्रों की सचाई के बारे में जांच करे। मैं समझता हूं कि वे अपने कर्त्तव्य का पालन करने से इन्कार कर रहेहैं।

जिन पत्रों के बारे में विशेष विवाद है उनमें से एक राज्यपाल के नाम श्री डांगे का २८ जुलाई १९२४ का पत्र है। जिसमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए और वे ब्रिटिश सरकार के लिए गुप्तचर का काम करेंगे : १ अक्तूबर १९२४ को उन्होंने गवर्नर जनरल को रिहाई के लिए प्रपीत्र की थी। ये दोनों प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गई थीं। श्री डांगे का दावा है कि उनके ये पत्र जाली हैं। उन पत्रों पर लिखे टिप्पणों से पता लगता है कि पत्र सच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि पत्रों की सचाई की बात अनुमान पर न छोड़ दी जाए। देश की जनता और श्री डांगे दोनों के प्रति यह उचित व्यवहार होगा कि पत्रों की सचाई निश्चित की जाए। गृह मंत्री इस उत्तरदायित्व को क्यों टालना चाहते हैं ? क्या वे श्री डांगे को इसलिए संरक्षण देना चाहते हैं कि वह श्री ख्रुश्चेव के व्यक्ति हैं ?

दिल्ली के 'थाट' नामक पत्र का कहना है कि माननीय मंत्री यह नहीं चाहते कि उनके मित्र डांगे को कोई हानि पहुंचे। मैं चाहता हूं कि हमारा सार्वजनिक जीवन इस प्रकार के संदेह से मुक्त होना चाहिये। इस प्रश्न का एक राजनैतिक दल से नहीं बल्कि सारे देश से है इसलिए मंत्री महोदय को हस्ताक्षर परीक्षा के द्वारा पत्रों की जांच करवा के सचाई से अवगत कराना चाहिये।

अब मैं 'पीकिंग वर्सिस दिल्ली नामक' पुस्तक को लेता हूं और इस प्रकार की पुस्तकों को विषिद्ध करने का विरोध करता हूं। इस तरह से जो पुस्तकें निषिद्ध की जाती हैं उन्हें लोग अधिक चाव से पढ़ते हैं और वे अधिक उपलब्ध होती हैं। बाहर के देशों को तो हम मना नहीं कर सकते कि वे ये पुस्तकें न पढ़ें : अतः विदेशों में हमारा उपहास उड़ाया जाता है।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस पुस्तक को निषिद्ध क्यों किया गया है। १० जनवरी से मैं उन से प्रार्थना करता रहा हूं कि वे बताएं कि इसे निषिद्ध करने का कारण क्या है किन्तु उन्होंने मुझे कोई कारण नहीं बताया। इस पुस्तक को पढ़ने से हिमालय की सीमा और तिब्बत, भूटान तथा सिक्किम के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई है ।

"टाइम्स आफ इंडिया" में इस पुस्तक के बारे में लिखा गया था कि यह पहली पुस्तक है जिस में हिमालयवर्ती राज्यों अर्थात् नेपाल, भूटान और सिक्किम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है आश्चर्य होता है कि इसे निषिद्ध कर दिया गया है।

इसी प्रकार "रेडीकल ह्यूमेनिस्ट" और "टाइम्स लिट्रेरी सप्लीमेंट" नामक पत्रिकाओं ने भी इस पुस्तक की प्रशंसा की है। तो फिर इसे निषिद्ध करने का कारण क्या है ? क्या यह कारण है कि पुस्तक में साम्यवादी चीन के तुष्टीकरण की आलोचना की गई है, और प्रधान मंत्री द्वारा उसे समझाने में भूल करने और जनता को जानकारी से अवगत न करने की आलोचना की गई है। क्या इसलिये इसे निषिद्ध किया गया है कि नागालैंड के बारे में प्रशासन की भूलों का उल्लेख किया गया है ।

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है। यह पुस्तक निषिद्ध है अत. इसे यह पढ़ कर सुनाया नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री मी० र० मसानी : पुस्तक को रखना अपराध नहीं है। पुस्तक का आयात करना निषिद्ध है ।

पुस्तक में लिखा है कि चीन आरम्भ से ही दुर्व्यवहार करता रहा है और उसने एशिया के नेतृत्व में भारत को पछाड़ दिया है ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हाथी) : भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस पुस्तक को रखना बेचना या इस का अनुवाद करना भी जुर्म है और इसके अन्तर्गत आदेश हैं कि जिसके पास इसकी प्रति हो वह उसे स्थानीय पुलिस अधिकारी को दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुस्तक को पढ़कर न सुनाएं। आप सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना कर सकते हैं ।

श्री मी० र० मसानी : मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूं और इसे पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री मसानी ने जो उद्धरण दिये हैं उन्हें अभिलेख में से निकाल दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ पढ़ा गया है उसे कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।

श्री हिर विष्णु कामत : नियम ३८० के अनुसार अपमानजनक, अशिष्ट या संसद् विरोधी कथन को ही अभिलेख से निकाला जा सकता है। इन उद्धरणों में ऐसी कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को निहित अधिकार प्राप्त हैं। निषिद्ध पुस्तक के उद्धरण लोक सभा कार्यवाही वृतांत का अंग नहीं बन सकते।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा विनम्र निवेदन है कि नियम ३८० अर्थात् कार्यवाही वृतांत से निकाल देने से अधिक अधिकार अध्ययन के नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष को बड़े विस्तृत अधिकार हैं ।

श्री रंगा : आप नियमों के अनुसार बताय। नियमों में व्यवस्था न होने पर आप ऐसा कैसे कर सकेंगे। अध्यक्ष पद के अधिकार वहीं हैं जो कि उसमें दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा। और बाद में निर्णय दूंगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन हालात में मेरा सुझाव यह है कि इसे कार्यवाही में से निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : पुस्तक सदन में है, आप इसे अपने कब्जे में ले सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या हम उस पुस्तक को यहां सदन में लाकर उसमें से उद्धरण नहीं प्रकट कर सकते, जिनपर कि रोक लगी हो। कार्यवाही तो सरकार ने करनी है। सदन में तो हर चीज लाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में भी तो वही बात हो सकती है जो संवैधानिक और वैध हो।

श्री हरि विष्णु कामत : मान लो हमें सरकार को समझाना हो कि उनकी कार्यवाही गलत, तो हमें इस तरह की किताब यहां लानी होगी ताकि हमारी सरकार रोक वापिस ले सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से बात कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत: आखिर यही सदन में ही तो हम सरकार से सीधी बात कर सकते हैं।

श्री मी० व० मसानी (राजकोट) : मैं आपके विनिर्णय के बारे में तो नहीं बोल रहा। मैं आपका ध्यान नियम ३८० की ओर आकृष्ट करवाता हूं।

उपरोक्त पुस्तक के संबंध में जो भावना कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है इसे दासता की मनोवृति कहा जा सकता है। मैं जो १० जनवरी से इस बारे में श्री नन्दा जी से पत्र व्यवहार कर रहा हूं कि या तो उस पुस्तक पर से रोक हटा ली जाये अन्यथा वह स्पष्ट करें कि आखिर उस पुस्तक में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उस पर रोक लगाई गयी है। मेरे विचार में यह पुस्तक ऐसी है जो कि अधिक से अधिक लोगों द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। और यदि उस पर चर्चा भी हो जाय तो कोई बुरी बात नहीं। मेरा मत यह है कि पुस्तक पर रोक लगाया जाना हमारे संविधान के विरुद्ध है। हमारे गृह मंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया ह मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि राज्य की सुरक्षा इस पुस्तक के पढ़े जाने से नष्ट होने वाली नहीं थी। यह पुस्तक साम्यवादी चीन के विरुद्ध है और तिब्बत तथा भारत के पक्ष में है। इससे भारत की सुरक्षा को बिल्कुल कोई खतरा नहीं था और न ही कोई इससे हानि पहुंचने की आशका थी। यह पुस्तक जार्ज पैटरसन द्वारा लिखी गयी है। एक पुस्तक "सीमा समस्या का अध्ययन" प्रोफेसर लैम द्वारा लिखी गयी है। उसमें भारत की सीमा की समस्या के बारे में चर्चा की गयी है क्या हमारी सरकार उस पर भी रोक लगा देगी ? क्या ऐसा करके हम अपने आप को मजाक का विषय नहीं बना देंगे ? हो सकता है हमारे गृह कार्य मंत्री तथा उनके साथियों को इस बात की जरूरत न हो कि उन्हें "भारत चीन विवाद" के बारे में अधिक से अधिक तथ्य मालूम हों, परन्तु आम जनता को इसकी आवश्यकता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

इस पुस्तक में लेखक ने सारी समस्या का अध्ययन किया है और यदि कोई आलोचना की है तो वह यह है कि भारतीय लोगों को अपने वास्तविक हितों का पता नहीं है। उन्होंने चीनियों को प्रसन्न करने के लिये तिब्बत की गरीब जनता के प्रति घोर विश्वासघात किया और उनको कुरबानी का बकरा बना दिया। मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके आधार पर इस पुस्तक पर रोक लगायी जाये। मुझे इस बात का खेद है कि तीन मास से बराबर कहने पर भी गृहमंत्री ने पुस्तक को पढ़ा नहीं और न ही उसके बारे में अपना कोई विचार बनाया। यदि कोई वह अपना विचार व्यक्त करते तो इस पर तर्क चल सकती थी और तब शायद मामले को यहां लाने की जरूरत न पड़ती। अब हम उनसे यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं शिक्षित और प्रोढ़ हैं

हमें एक पुस्तक पढ़ने से वंचित रखा जा रहा है। यदि कोई विचार खतरनाक भी हो तो रोक लगा कर तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नियम ३८० के अन्तर्गत किसी पुस्तक के उदाहरण दिये जा सकते हैं। उनको कार्यवाही से निकाला नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने सार्वजनिक कर्त्तव्य के प्रति सच्चे नहीं हैं।

Shri Sheo Narain (**Boonsi**) : I congratulate the Minister of Home Affairs for very ably handling the communal situation and the steps taken to maintain and preserve communal harmony in the country. The Minister for Home Affairs have also expressed his determination that he would root out the corruption from the country within two years. I welcome this and hope that he will achieve success in his mission. It can be hoped that members of the opposition would not merely indulge in criticism of the Government but will give their full support and cooperation to check the evil.

I would urge upon the government that special attention should be given to the economic, social and educational development of the crores of Harijans, and the people of the backward communities. In this connection, it is most important that the government should see that the amount sanctioned for their welfare is properly utilised. Scholarships and stipends to Harijan students should be made available to them in time. We are welcoming the lacs of refugees and making arrangements for them. This is a very good thing but steps should be taken to settle the landless and poor Harijans and other landless persons on the land that is lying vacant and useless. The rights and interest of ten crores of Harijans should not be ignored.

Pakistan is uprooting lacs of people from there and pushing them out towards India. So many unauthorised people have come from Pakistan and settled on our land. We should demand land from Pakistan. The situation in villages is very bad, people are leaving villages in large number. There is almost police Raj in some places. Government should try to improve the law and order situation. It is really pitiable that those who went register complaints were themselves harassed by the Police. I urge that the government should pay adequate attention to this matter.

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): मैं इस बात के लिए आभार प्रदर्शित करती हूं कि मुझे अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं प्रयत्न करूंगी कि कुछ उन बातों का उत्तर भी दे सकूं जो कि कुछ माननीय सदस्यों ने गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर हो रही चर्चा के समय कही थी। कल बहुत से माननीम सदस्यों ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत किये थे। सभी का यह मत था कि इस दिशा में कुछ सुधार किये जायें। मेरा इस संदर्भ में यह निवेदन है कि सरकार देश भर में से छूतछात को नष्ट करने के लिये पूरा प्रयत्न कर रही है। हमारा राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है ताकि छूतछात अपराध अधिनियम के सम्बन्ध में कार्य संचालन को कड़ा बनाया जाय। हाल ही में जब इस बारे में राज्य सरकारों के मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था तो इस मामले को भी लिया गया था। और ढेबर आयोग के प्रतिवेदन के संदर्भ में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई थी। हमने राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर समस्त स्थिति का अनुमान लगाने और यह ढूंढने के लिए कि छूतछात को समाप्त करने के उपाय कहां तक सफल सिद्ध हुए हैं समितियां बनाने की सिफारिश की है। कार्यक्रम की क्रियन्विति में वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं और इसे पूर्णतः समाप्त करने के लिए और किन उपायों की जरूरत है इसका विचार भी इन समितियों को करना होगा।

गत वर्ष इस संसद् में यह आश्वासन दिया गया था कि इस मामले को सामुदायिक विकास मन्त्रालय को सौंपा जायेगा। उसके अनसार सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की है कि पंचायती निकायों को अनदेश दे कि वह अस्पश्यता को दूर करने के लिये क्रियाकारी पग उठाए। हम भी यह देखने के उपाय कर रहे हैं कि क्या इस अधिनियम के बारे में कोई अग्रेतर कदम उठाए जा सकते हैं या नहीं तथा हम इस मामले में विधि मन्त्रालय से परामर्श कर रहे हैं। हम अस्पश्यता के मामले में विशेष गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। एक सुझाव है जिससे प्रथम गोष्ठी को उत्तर प्रदेश में इस वर्ष में करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय कुछ फिल्में भी बना रहा है।

हम राज्य सरकारों को शिक्षा सम्बन्धी तथा विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता दे रहे हैं। केन्द्रीय खण्ड योजनाएं भी हैं तथा राज्य क्षेत्रों में भी योजनाएं हैं। पूर्वोक्त की वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः राज्यों द्वारा की जाती है तथा उपरोक्त पर व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों को दी गई छात्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि इन छात्रवृत्तियों को देने में जो समय का अन्तर है वह बहुत कम किया जाय।

सेवाओं के बारे में इलाहाबाद तथा बंगलौर के परीक्षापूर्व पाठ्यक्रमों से अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को काफी सहायता मिली है। इस वर्ष में जहां तक उन उम्मीदवारों का सवाल है, आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। हमने परीक्षापूर्व प्रशिक्षण का राज्य नागरिक सेवा परीक्षा तक विस्तार कर दिया है तथा दूसरी संघ लोक सेवा आयोग तक भी। हम गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों से यह प्रार्थना करने पर विचार कर रहे हैं कि जहां भी सम्भव हो वहां वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्रों के लोगों को नौकरी दें और स्वयं ही ऐसी नौकरियों के आंकड़े दें।

हमें शिकायतें मिली थीं कि रेलवे में अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के लोग कम संख्या में लिए जाते हैं। गृह मन्त्री ने इस बारे मे रेलवे मन्त्री को लिखा था। रेलवे मन्त्री इस कार्य की गतिविधि के बारे में समय समय पह सूचित करने के लिए सहमत हो गये हैं जो वे रेलवे लोक सेवा आयोग के परामर्श से करेंगे। उन्होंने सभी रेलों को हिदायतें दे दी हैं कि यदि आवश्यक तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार अनुसूचित जातियों में न मिलें तो उतनी संख्या मे उनमे से प्रशिक्षु के लिए जायं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

मन्त्रालय ने इस सम्बंध मे अध्ययन भी आरम्भ किया है कि पिछले ५ वर्षों में अनसूचित जाति के क्षात्र किन कारणों से अस्वीकृत किये गये और यदि उसका कारण सख्त परीक्षा हुआ तो आवश्यक कायवाही की जायगी।

आदिम जातियों के खण्डों के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया था और एक त्रुटि यह बतायी थी कि खण्डों में काम करने वाले कार्यकर्त्ता प्रशिक्षित नहीं हैं। मन्त्रालय ने ढेबर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के समय कार्यक्रम बताया था कि तीसरी योजना में ३०० और फिर चौथी योजना में ५०० खण्ड खोले जायगे और दया भाव वाले लोगों को नियुक्त करके प्रशिक्षण दिया जाएगा।

टाटा समाज विज्ञान संस्था का आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी एक वर्ष का पाठयक्रम है। इसके अलावा दो वर्ष का आदिम जाति कल्याण विशेषतः पाठ्यक्रम पर भारत सरकार खर्च करती है। खण्ड विकास अधिकारी और कृषि विस्तार अधिकारी आदि के लिए आदिम जाति स्थिति विज्ञान अध्ययन के लिए रांची और जबलपुर में अध्ययन केन्द्र है। राज्य सरकारों द्वारा ग्राम सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं खोलने का विचार है। गुजरात विद्यापीठ में ४ पाठ्यक्रम पूरे किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था ने एक मास का पाठ्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रखा है।

यह कहा गया था आदिम जातियों मे काम करने वाले लोगों को उनकी भाषा आनी चाहिये और प्राथमिक तक शिक्षा उनकी भाषा में देनी चाहिये। पहले तो उस भाषा के शिक्षक नहीं मिलते विभिन्न राज्यों की आदिम जाति संस्था मे उन भाषाओं का अध्ययन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा संस्था और महाराष्ट्र आदिम जाति संस्था पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है। बिहार, नेफा और नागालैण्ड में भी पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। लिपि तो उन राज्यों की होगी किन्तु भाषा आदिम जातियों की प्रयोग की जाएगी। हमने केन्द्रीय शिक्षा संस्था को वित्तीय सहायता दी है ताकि वे आदिम जातियों की भाषाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष केन्द्र स्थापित करे।

कल की चर्चा में कुछ सदस्यों ने कहा था कि जहां औद्योगीकरण हुआ है वहां आदिवासियों को पुनः बसाया जाए सम्बन्धित मन्त्रालयों को इसका अध्ययन करने के लिए लिखा है। राउरकेला इस्पात कारखाने ने २४४४ परिवारों को बसाया है। इसी प्रकार दुर्गापुर इस्पात परियोजना और भारी इंजीनियरि परियोजना ने काफी सहायता दी है।

इसके साथ ही अपराधी जातियों को बसाने का प्रश्न है। दूसरी योजना तक उन्हें बसाने की योजनाएं राज्य क्षेत्र में थीं अब केन्द्र ने इन्हें अपने हाथ में ले लिया है। दिल्ली में हमने उनके प्रतिनिधियों समाज कल्याण निदेशक और लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष से बातचीत की थी। इन जातियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा और रोजगार की योजनाएं बनाई जा रही है।

हम इस सम्बन्ध में मन्त्रालय और कमिश्नर के संगठन म परिवर्तन कर रहे हैं। मन्त्रालय में पिछड़ी जातियों सम्बन्धी काम के लिए एक निदेशक नियुक्त किया जा रहा है और आयुक्त के अधीन प्रत्येक राज्य में सहायक आयुक्त तथा असम जैसे बड़े राज्यों में सहायक आयुक्त नियुक्त किये जा रहे हैं। निदेशक को कागजी कार्यवाही नहीं करनी होगी बल्कि वह राज्यों का दौरा करेगा और जहां कहीं स्थानीय कठिनाई होगी वह मार्गोपाय सुझायेगा। हमें आशा है कि इस अधिकारी की नियुक्ति से इसे कार्यक्रम की कमी को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री शशिरंजन ने डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी की ओर संकेत किया था। वास्तव में प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण प्रशिक्षित लोगों की कमी है जिससे उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में कमी है। जनशक्ति निदेशालय और व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान सम्बंधी संगठनों के इन समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*)

प्रोफेसर एम एस ठक्कर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के अनुसार कई कदम उठाये गये थे किन्तु फिर डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी है। १९६३–६४ में प्रतिरक्षा के लिए भी वे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे। सरकार ने

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

निश्चय किया है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों में नियुक्त होने वाले डाक्टरों और इंजीनियरों के लिए यह नियम बनाया कि वे पहले निश्चित समय के लिए प्रतिरक्षा सेवाओं में कम करें।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी काम किये जा रहे हैं। १९५४-५५ में ५५००० रुपया इस काम के लिए नियत किया गया था जबकि १९६३-६४ के लिए ५.६ लाख रुपया नियत किया गया। सभी सरकारी बस्तियों में क्लबें हैं और श्री दाजी के कल्बों में जिन गतिविधियों की बात कही थी उनकी जांच की जा रही है।

गृह कल्याण केन्द्रों के द्वारा उन कर्मचारियों के परिवारों को ४०, ५० रुपये मासिक आय के काम सौंपे जाते हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी भण्डार भी खोले गये हैं और उनकी सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी बिक्री ५.१ लाख रुपये मासिक तक पहुंच गई है।

१९६१ की जनगणना के सम्बन्ध में जिन गलतियों की ओर संकेत किया गया था उनके बारे में राज्य के जनगणना अधीक्षक को लिख दिया गया है कि शीघ्र जांच करके स्थिति का पता लाएं। तथ्य मिलने पर निर्णय किया जाएगा।

श्री ब० क० रामस्वामी : आवास की समस्या के बारे में क्या किया गया है।

श्रीमती चन्द्र शेखर : पिछड़ी जातियों के आवास के लिए २९९ लाख रुपये और राज्य क्षेत्र में आवास के लिए ७६.६४ लाख रुपया नियत किया गया था जो खर्च हो चुका है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले फारु कबीले को अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल करने के बारे में क्या स्थिति है।

श्रीमती चन्द्र शेखर : १९५६ से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन की मांग की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों को लिखा गया था कि अपने प्रस्ताव भेजें। अभी तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने प्रस्ताव नहीं भेजे। अतः वे प्रस्ताव आ जाने पर हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और सभा को पूरा ब्योरा देंगे।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित--आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय इस देश में धार्मिक और जातीय साम्प्रदायिकता बढ़ रही है और धर्मनिरक्षता का उद्देश्य विलुप्त हो रहा है। इस बात का उदाहरण कलकत्ता में अल्प संख्यकों पर आयोजित आक्रमण है।

निस्संदेह सीमा पर पाकिस्तान एक धर्म प्रधान देश है और वहां अल्प संख्यकों को नरसंहार और कष्टों का सामना करते हुए रहना होगा किन्तु इस देश में भी ऐसी शक्तियां उभर रही हैं जो देश को पाकिस्तान जैसा ही धर्म प्रधान देश बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

पुराने नेता जो धर्म निरपेक्षता के प्रति निष्ठावान थे जा रहे हैं और जो प्रतिक्रियावादी गांधी जैसे महान भारतीय का काम करने से नहीं चूके धर्मनिरपेक्षता के लिए घोर खतरा

पैदा कर रहेहैं। वे विश्वास कर रहेहैं कि श्री नेहरू जो धर्म निरपेक्षता को ही अपना धर्म समझते हैं राजनीति से अलग होंगे तो किसी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं होगी कि उन्हें साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया से रोक सके। यदि पुनः धर्मनिरपेक्षता में विश्वास न जगाया गया तो यह देश साम्प्रदायिकता की आग में जल मरेगा। ये प्रतिक्रियात्मक शक्तियां देश के विख्यात साम्प्रदायिक दल है। उनके पास केवल राजनैतिक साधन ही नहीं प्रत्युत सैनिक शस्त्रास्त्र भी हैं। पाकिस्तान में जब कभी अमानुषिक अत्याचार होते है इन दलों को प्रसन्नता होती है। भले ही दिखावे के तौर पर वे कुछ भी कहें। वे भली प्रकार संगठित है और उनके समाचार पत्र भी जिन द्वारा गंदा प्रचार किया जाता है। वे बहुसंख्यक लोगों से कहते हैं कि यदि वे मुसलमानों को नहीं मारते तो उनमें पुरुषत्व कहां है। यह है उनकी पुरुषत्व सम्बन्धी धारणा। खेद की बात है कि सरकार भी उनकी बात को स्वीकार करती है। कुछ प्रतिक्रियावादी राज्यों में उन दलों के केन्द्र गांवों में भी स्थापित हैं।

यह कहना गलत है कि ईसाइयों और आदिवासियों ने भी नरसंहार में भाग लिया है। जमशेदपुर में प्रतिक्रियावादियों ने संगठित नरसंहार किया है।

श्री क० ना० तिवारी : यह बिहार के आदिवासियों के बारे में गलत वक्तव्य है।

श्री भागवत झा आजाद : ईसाई धर्म प्रचारकों ने आदिवासियों को जोश दिलाया और उन्होंने नरसंहार किया।

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (मेहर चन्द खन्ना) : इस देश में ८० लाख शरणार्थी आ चुके है जो १६, १७ वर्ष से शान्तिपूर्वक रह रहे है। श्री एन्थनी एक भी उदाहरण बताएं जब शरणार्थियों ने साम्प्रदायिक उपद्रवों में सहयोग दिया हो।

श्री फ्रैंक एन्थनी : नये शरणार्थी भी ऐसा नहीं कर रहे। ये कार्य प्रतिक्रियावादियों के हैं। कलकत्ता में क्या हुआ वे लोग गुंडे नहीं थे बल्कि प्रतिक्रियावादियों के साथी और बंगाली छात्र थे।

श्री क० ना० तिवारी : यह गलत है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : माननीय सदस्य छात्रों पर दोष लगा रहे हैं जबकि वे इनका उत्तर देने के लिए यहां नहीं हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : दूसरी बात यह है कि प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव कांग्रेस पर भी पड़ रहा है। शासक दल कुछ महत्वपूर्ण नेता भी इससे मुक्त नहीं है और इसके कारण स्पष्ट है। दुर्भाग्य की बात है कि वयस्क मताधिकार के कारण ही जातीय और धार्मिक साम्प्रदायिकता फैली है। प्रत्येक राज्य में जातीय आधार पर मतदान होता है। अतः चुनाव में धर्म और जाति के आधार पर संघर्ष होता है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : माननीय सदस्य द्वारा सभा में इस प्रकार के वक्तव्य का विरोध करना अत्यावश्यक है।

श्री एन्थनी : कुछ आवाम के साथ सर्वोत्तम भारतीय सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। कुछ के चुनावों का शोर शराबा ही पसंद नहीं करते और कुछ कहते हैं कि

[श्री एन्थनी]

के गुटबन्दी और चालबाजियों से दूर रहना चाहते हैं। यह कारण है कि केवल निम्न-कोटि के लोग सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट होते हैं। बंगाल में विधायकों के पिछलग्गू गुंडे हैं। यही कारण है कि जब कलकत्ता में नरसंहार हो रहा था तो पुलिस कोई कार्यवाही करने से डरती थी।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यह बिल्कुल गलत है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या यह वक्तव्य अभिलेख में जाने दिया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य की राय है चाहे वह कैसी भी है। किन्तु मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे आक्षेपपूर्ण भाषा न बोलें।

श्री फ्रेंक एन्थनी : मैं केवल कांग्रेस को ही दोष नहीं देता। सभी राजनैतिक दल सत्ता के प्रयोजन से ऐसा करते हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : माननीय सदस्य ने बंगाल के सभी विधायकों को गुंडों के नेता कहा है। मैं कहता हूं कि श्री एन्थनी कलकत्ता के गुंडों के नेताओं के नेता हैं।

श्री बदरुद्दुजा : एक औचित्य प्रश्न है। क्या एक माननीय सदस्य दूसरे पर इस प्रकार का आरोप लगा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने शब्द वापस लें। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जबकि आपने लिया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : किन्तु उन्होंने बंगाल के सभी विधायकों के बारे में कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधायकों के सम्बन्ध में ऐसा शब्द कहना अनुचित है। आप उन्हें वापस लें।

श्री फ्रेंक एन्थनी : बहुत अच्छा श्रीमान् यदि आप ऐसा कहते है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी अपने शब्द वापस लें।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री फ्रेंक एन्थनी : सभी दल इसके लिये उत्तरदायी हैं और अशांति फैल रही है तथा भारतीय भारतीय को धर्म भाषा जाति के आधार पर मार रहे हैं।

इस बात का उदाहरण है। कलकत्ता के उपद्रव के बाद बिहार में एक जाति के छात्र दूसरे जाति के लोगों, महिलाओं और बच्चों को मारने लगे थे। यह खबर "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी थी। अंत में असमी भाषियों ने कत्ल किया।

श्री क० ना० तिवारी : प्रोटेस्टेन्ट कैथोलिक को मार रहे हैं और कैथोलिक प्रोटेस्टेन्ट को।

श्री बसुमतारी : आप असम के बारे में क्या जानते हैं।

श्री फ्रेंक एन्थनी : बिहार के एक मंत्री ने कितनी भयानक कहानी सुनाई है। यदि सरकार इस नरसंहार की प्रतियोगिता को रोकना चाहती है तो इसे ऐसे मंत्रियों और समाचारपत्रों पर रोक लगानी चाहिये। अन्यथा यह धर्म निरपेक्षता उपहास मात्र है।

मेरे हिन्दू मित्र मुझे बताते हैं कि यदि यह देश हिन्दू राज्य बन जाए तभी संगठित और शक्तिशाली हो सकता है क्योंकि संकट के समय मुसलमानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । जब तक मुसलमानों पर निरंतर मृत्यु की छाया विद्यमान है उनमें देश के प्रति निष्ठा और प्रेम कैसे पैदा किया जा सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह केवल असंसदीय ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है ।

Shri Kachhavaiya : These words should be expunged from the record

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा यदि कोई शब्द असंसदीय हुए तो उन्हें निकाल दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, he is lowering the dignity of the House. Here is the Press of the world who is hearing the things said by the member against this country.

श्री खाडिलकर : यदि आप इस भाषण में कोई असंसदीय बात ढूंढेंगे तो वह न मिलेगी किन्तु वे स्थिति का ठीक विश्लेषण नहीं कर रहे और सभा की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिये उसका विरोध करना आवश्यक है ।

श्री विशाल राव : माननीय सदस्य जिस ढंग में बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि वे पाकिस्तान के एजेंट के रूप में बोल रहे हैं । सभा इसे सहन नहीं कर सकती ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह सच्चाई है कि हमारी जाति की निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कलकत्ता में जलाया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : हम सभा से चले जाएंगे ।

Shri Kachhavaiya : We walk out, because he is the Agent of Pakistan.

Shri Prakash Vir Shastri : Please remove him. You are the protector of the House. This atmosphere goes against the dignity of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह सभा की कार्यवाही कैसे चल सकेगी। मैं इस सभा को कल तक के लिए स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार १५ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday April 15, 1964/Chaitra 26, 1886 (Saka).

GIPND--LSIII--614 (Ai)LS 1-7-64--600